खण्ड-433, अंक-8
गुरूवार, 17 चैत्र, शक संवत् 1922
(6 अप्रैल, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 433 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रदेश में पंचायतों के चुनाव कराने सम्बन्धी नियम 311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1–76
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	76
जनपद बांदा में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1998-99 के बजट प्राविधान में की गई कथित अनियमितताओं की जांच टी० ए० सी० से कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	76–77
जनपद बुलन्दशहर में अप्रशिक्षित अध्यापकों की जांच तथा शोषण बन्द कराने विषयक शासन तथा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	77–78
जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा में स्थित सार्वजनिक तालाबों एवं घाटों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	78
महानगर गोरखपुर के पुराना गोरखपुर मोहल्ले से हुई एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी में लिप्त अपराधियों पर मुकदमा कायम कर गिरफ्तार किये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	78–79
गोरखपुर स्थित "दि मैकेनिकल डिपार्टमेन्ट प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक प्रा० लि०" में बड़े पैमाने पर की गयी फर्जी नियुक्तियों को रद्द करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद सिद्धार्थनगर ग्राम पचउथ, थाना देबरुआ के मृतक साधूराम की हत्या के नामजद अभियुक्त को पृथक करते हुए प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	79–80
पराग दूध डेरी मेरठ में व्याप्त अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	80
उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा० अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार नियम–301 की सूचनाओं पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	80–81
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की बजटरी समितियों (विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों) के गठन की अनिवार्यता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	81–82
मंत्रिपरिषद् के सामूहिक उत्तरदायित्व विषयक संविधान के अनुच्छेद–164(2) का अनुपालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	82–86
सहयोगी दलों द्वारा मंत्रि परिषद् की बैठक का बहिष्कार किये जाने विषयक प्रकरण पर औचित्य का प्रश्न (जारी)	86–88

विषय	पृष्ठ संख्या
नेता, प्रतिपक्ष द्वारा सदन संचालन में सहयोग का आश्वासन	88–90
सहयोगी दलों द्वारा मंत्रि परिषद् की बैठक का बहिष्कार किये जाने विषयक प्रकरण पर औचित्य का प्रश्न	90–98
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	98
प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव सम्बन्धी अध्यादेश को मा० उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रद्द किये जाने पर नियम–311 के अन्तर्गत सूचना	99–111
जिला प्रशासन झांसी द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर नियम–311 के अन्तर्गत सूचना (जारी) ...	111–119
उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1997-98 (सदन के पटल पर रखा गया)	119
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (सदन के पटल पर रखा गया) ...	119
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 तथा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	119
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	119–120
जिला प्रशासन झांसी द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर नियम–311 के अन्तर्गत सूचना	120–121
व्यापार कर की दरों में सुव्यवस्थीकरण के अधीन परिवर्तन/संशोधन के सम्बन्ध में संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री का वक्तव्य	121–124
दिनांक 24 मार्च, 1999 को श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक प्रश्नों पर दिये गये उत्तर में संशोधन हेतु कृषि मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य	124–125
प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	125
''इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भूगर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भूगर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय'' के सम्बन्ध में श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	125

विषय		पृष्ठ संख्या
दिनांक 26 फरवरी, 1999 के सदन में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) के विशेष प्रतिवेदन पर डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, मेजर जे० पी० सिंह तथा श्री अतुल कुमार आदि की नियम-216(4) की सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	...	125–126
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी)	...	126–140
प्रदेश में चिकित्सकों पर लगे लाइसेन्स शुल्क के कारण डाक्टरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विधायकों की क्षेत्रीय/निजी समस्याओं के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि की सूचनाएं	...	140–141
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	141–143
जनपद सीतापुर के समाजवादी पार्टी विधायक श्री रामेश्याम जायसवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अयूब खां को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर विधायकों की क्षेत्रीय/निजी समस्याओं के अन्तर्गत श्री श्याम लाल रावत की सूचना ...	...	143–146
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	... ...	146–148
खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य-योजना बनाने, रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग विषयक दिनांक 15 जुलाई, 1999 के तारांकित प्रश्न संख्या-4, नत्थी (ग) के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा (जारी)	... ...	148
नत्थियां	... ...	149–156

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
अंजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	पप्पू भइय्या, श्री	गोरखपुर
अजय भट्ट, श्री	अल्मोड़ा	ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
अजय राय, श्री	वाराणसी	ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
अतीक अहमंद, श्री	इलाहाबाद	धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
अनिल कुमार, श्री	बलिया	धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	नरेन्द्र सिंह, श्री	आजमगढ़
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना	प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
इन्द्रदेव सिंह, डा०	बिजनौर	प्रेम स्वरूप पाठक, श्री	बदायूं
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर	बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	बेचन राम, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	मंजू, श्रीमती	बलिया
काजिम अली खां, उर्फ		मानवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
नवेद मियां, श्री	रामपुर	मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
काशी राम, श्री	रामपुर	मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री	गढ़वाल
कृष्ण पाल सिंह, श्री	कानपुर देहात	यशवन्त, श्री	आजमगढ़
के० सी० सिंह "बाबा" श्री	उधम सिंह नगर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह,	
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	कुंवर	पडरौना
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज	रवीन्द्र शक्ला, श्री	झांसी
चौधरी नरेन्द्र सिंह	कानपुर देहात	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	राजपाल सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	राजेन्द्र यादव, श्री	गाजीपुर
		राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली

राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
राम बाबू हरित, डा०	आगरा
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनोद कुमार सिंह उर्फ	
पंडित सिंह, श्री	गोण्डा

विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सर्वेश कुमार उर्फ	
राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
हरिनारायण, श्री	बलिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

प्रेस दीर्घा

गुरुवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रदेश में पंचायतों के चुनाव कराने सम्बन्धी नियम–311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के अपने-अपने आसन पर खड़े होने एवं अपनी बात कहने के कारण व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश में एक संवैधानिक स्थिति खड़ी हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जाएं । सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि आज और कल दो दिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी है उसमें अधिक से अधिक माननीय सदस्य अपनी बात कह सकें इसीलिए कार्य-मंत्रणा समिति ने भी प्रस्ताव में उल्लेख किया था कि जिन दिनों धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा होगी उन दिनों नियम 56 की सूचना नहीं ली जाएगी । नियम 311 में इस विषय की हमारे पास सूचना आई हैं इसमें नियम 311 के अन्तर्गत तो नहीं विशेष उल्लेख के जरिए एक दो माननीय सदस्यों को सुन लिया जायेगा क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अधिक से अधिक माननीय सदस्य अपने विचार रख सकें । जिन माननीय सदस्यों को आज न सुना जा सके उनसे अनुरोध है कि सोमवार से नियम 56 की सूचनाएं स्वीकृत होने लगेंगी यानी वह दे सकेंगे तब दे दें । आज जो सूचनाएं इस संबंध में दी गयी हैं उनको नियम 300, 301 के पश्चात् सुन लेंगे । माननीय मौर्य जी आपकी भी सूचना है ।

प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की रूपरेखा

**1–श्री राम ललित चौधरी, श्री राजेन्द्र यादव तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या अभी हाल ही में भारत सरकार का कोई पत्र इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी हां ।

प्रदेश में "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" लागू किया जाना विचाराधीन है ।

प्रस्तावित "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" की रूपरेखा संलग्न है ।

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा रबी 1999-2000 से पूरे देश में "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" नामक नयी योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी रूपरेखा संलग्नक में वर्णित है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 149–150 पर)

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, रूपरेखा में दिया गया है कि तीन नगदी फसलों गन्ना आलू कपास को कवर करने का प्रयास किया गया है । रबी की फसल में यहां तीन फसलें नहीं आती हैं । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना के संबंध में भारत सरकार का यह पत्र कब आया और वर्ष 1999-2000 में गन्ना तथा आलू के किसानों ने कितना बीमा कराया गन्ना तथा आलू के कितने किसानों का कितना बीमा हुआ ? दूसरे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999-2000 की मुख्य फसल गेहूं, तिलहन पर लागू न किये जाने का क्या कारण है तथा फसल बीमा के अभाव में गेहूं की फसल अगर इस सीजन में नष्ट हो जाए क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या उसका मुआवजा देने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में बताया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू कराया जाना विचाराधीन है । भारत सरकार ने 1999-2000 में योजना लागू करने की योजना तैयार की थी । भारत सरकार ने इस बीमा योजना पर देश के समस्त प्रदेशों की सरकारों से उनकी सहमति मांगी थी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस बीमा योजना को लागू करेंगे । मान्यवर, हमने खरीफ की फसल से इस योजना को लागू करने की योजना बनाई है । आच्छादित की जाने वाली फसलों में धान, बाजरा, उर्द, मूंग, मसूर, रबी में गेहूं, चना, मटर, अरहर, सरसों और तीन नकदी फसलें हैं गन्ना, आलू और कपास ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये बीमा योजना इसी वर्ष से क्यों नहीं लागू की जा रही है जबकि भारत सरकार का पत्र तो दिसम्बर में ही आ गया होगा । इस बीच मान लीजिए फसलें क्षतिग्रस्त होती हैं तो क्या प्रदेश सरकार किसानों को उनका मुआवजा देगी ? इस वर्ष रबी की फसल से ही इस योजना को लागू होने की बात इस सरकार द्वारा की गयी थी । अब यह विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं पहले कह चुका हूं कि भारत सरकार ने सभी प्रदेशों से इस योजना के विषय में अपनी सहमति मांगी थी और आज तक केवल छः या सात प्रदेशों ने ही अपनी सहमति केन्द्र सरकार को भेजी है । यह योजना जी० आई० सी० के माध्यम से लागू की जानी है और इस योजना में कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिन पर विचार करने के उपरान्त ही इसे लागू किया जा सकेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसाकि इन्होंने अभी कहा कि फसलों को तीन भागों में बांटा । पहली आलू, प्याज, गन्ना दूसरी वाणिज्यिक फसलों में रबी और खरीफ में बाजरा और मूंग इसमें अरहर और चना ले लिया । मान्यवर, किसान तो जो बोयेगा उसमें यदि किसी दैवीय आपदा का शिकार वह हो जाता है तो उसकी सारी फसल नष्ट हो जायेगी । यह आवश्यक तो नहीं कि हर किसान एक जैसी ही फसल बोये । ऐसे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, शायद माननीय सदस्य ने हमारा उत्तर ठीक से पढ़ा नहीं । मैंने कहा था खरीफ में धान, मक्का, बाजरा, मूंग और रबी में गेहूं, चना, मसूर, अरहर को शामिल किया गया है । नकदी फसलों में गन्ना, आलू, कपास को शामिल किया गया है । मान्यवर, कपास की हमारे प्रदेश में बहुत कम

उपज है लेकिन फिर भी हमने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये कपास को इस योजना के अन्तर्गत रखा है । इसीलिये इसको भी शामिल किया है । गन्ना, आलू और कपास फसलें ली गयी हैं । सभी प्रमुख फसलों को बीमित करने का प्रयास किया गया है जो किसान लोग हमारे यहां लगाते हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था । आप सीधे-सीधे वही बात बता रहे हैं जो कि आपके लिखित उत्तर में आपने पढ़ा है । मैं जानना चाहता हूं कि शेष फसलें जो बीमित नहीं हैं, जो किसान बोता है जैसे तिल है, यदि वह नष्ट हो जायेगी तो क्या करेंगे ? खरीफ और रबी की सम्पूर्ण फसलें लेंगे लेकिन जो फसलें बची हैं उनको कब लेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने अभी बताया कि जितनी मुख्य फसलें हैं, सब ले ली हैं । फसल बीमा योजना लागू करने के लिये आवश्यक है कि उसकी प्रक्रिया निर्धारित होगी । जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा यह योजना चलाई जायेगी । जिस फसल की उत्पादकता और उपज के सारे आंकड़े मौजूद हैं । जिनको हम बराबर देखते रहे हैं, सर्वेक्षण करते रहे हैं, उस पर ही किसानों को मुआवजा दे पायेंगे । इस समय जो मुख्य फसलें हैं जिनके बारे में आंकड़े इकट्ठा किये जाते हैं, जिन पर क्रियान्वयन किया जाता है उनको शामिल किया गया है । बहुत छोटी-मोटी फसलें हैं जो कुछ ही क्षेत्रों में होती हैं, जब तक उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जायेंगे उसके लिये बीमा राशि का निर्धारण किस तरह से होगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर,मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा रबी 1999-2000 से पूरे देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू करने सम्बन्धी पत्र कब प्राप्त हुआ और जब भारत सरकार का निर्देश है कि 1999-2000 से पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू कर दी जानी है तो उसका उल्लंघन किन कारणों से हुआ है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैंने पूर्व में बताया कि जुलाई में पत्र प्राप्त हुआ था । उसमें विचार विमर्श होता रहा । अन्त में जाकर निर्णय लिया गया जब देखा कि हमारे अनुरूप बन गया है तब हमने लागू करने का निर्णय ले लिया । भारत सरकार ने इसे अपने यहां लागू करने के लिये निर्णय लिया है । इसमें काफी कुछ हिस्सा भारत सरकार का अंशदान भी रहेगा इसीलिये उनका सहयोग आवश्यक रहेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

पत्र जुलाई में प्राप्त हुआ यानि रबी की फसल बोने के पहले प्राप्त हुआ । आज रबी की फसल कट गयी है । 6-7 महीने के दौरान भी क्या इनको समय नहीं मिल पाया कि यह विचार करके बीमा योजना लागू करते । इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि यह मंत्री जी किसान विरोधी हैं और यह सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है । किसानों को लाभ न मिल सके इसलिये फसल बीमा योजना को लागू करने में हीला हवाली कर रही है । इसके विरोध में हम विरोध करते हैं और मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री अम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि प्रदेश के किसानों का जो नुकसान होता है, उनकी फसलों से जुड़ा हुआ प्रश्न है । आपके माध्यम से मैं माननीय कृषिमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने अपने उत्तर में कहा कि स्थानीय आपदाओं के मामले में जो नुकसान होगा उसका व्यक्तिगत आधार पर मूल्यांकन करके प्रयोगिक आधार पर करेंगी जो स्थानीय आपदाओं के मामले में आपने कहा है

एक्सपैरिमेन्टल बेसिस पर मूल्यांकन किया जायेगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसकी रूपरेखा क्या होगी ? दूसरी बात यह कि आपने उत्तर दिया है कि जो फसलों को नुकसान हो रहा है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार 50-50 प्रतिशत अपना अंशदान देकर इन फसलों के नुकसान के लिये एक कार्पस कोष की स्थापना करेगी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस 50 प्रतिशत के आधार पर कितनी धनराशि का प्रस्ताव आप कर रहे हैं कि किसानों को लाभ मिले । इसके साथ ही एक प्रश्न और करना चाहता हूं । एक बार खड़ा हुआ हूं ।

(इस समय 11 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए ।)

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि आर० के० बी० आई० के क्रियान्वयन के लिये विशिष्ट संगठन स्थापित करेंगे वह कब तक स्थापित होगा । जो सी० सी० आई० एस० फसल बीमा योजना लागू है जिससे कवर हो रहा है, क्या राष्ट्रीय बीमा योजना लागू होने के बाद पुरानी दोनों योजना लागू रहेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, धान और गेहूं के विकास खण्ड स्तर तक के आंकड़े उपलब्ध किये जाते हैं शेष फसलें जो हैं उसमें तहसील स्तर पर आंकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं । यह प्रस्ताव है कि फसल बीमा योजना जो लागू कर रहे हैं इसे ब्लाक स्तर तक अवश्य ले जाएं इसमें काफी व्यय समाहित होगा । जहां तक व्यक्तिगत क्षति का सवाल है जितनी फसल की ब्लाक स्तर तक सूचना उपलब्ध है उसकी मानक के अनुसार पूर्ति की जायेगी इसमें यह प्राविधान नहीं है कि ग्राम पंचायत तक आंकड़े इकट्ठे करायें, ग्राम पंचायत तक पहुंचने में समय लगेगा । किसान के हित के लिये जो मुख्य फसल धान और गेहूं है इसको विकास खंड स्तर पर सूचना होती है उसको आधार मानकर कर रहे हैं । कार्पस फण्ड की 18 करोड़ की योजना बनी है इसमें आधा धन भारत सरकार देगी आधा राज्य सरकार देगी । तीसरी बात कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका बीमा कम्पनियां कर रही हैं बीमा जो कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश में प्रचलित नहीं है । यह आंध्र प्रदेश आदि में प्रचलित है । हमारे यहां धान उड़द, मूंग सी० सी० आई० एस० में नहीं आती है । हम योजना इसलिए ला रहे हैं ताकि किसानों को लाभ हो सके, किसानों को सुविधा हो सके ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खलिहान में मटरी रहती है उसमें कीड़ा लग गया, फसल बरबाद हो गई उसे बीमा योजना के अन्तर्गत लेंगे । वृहद कृषक योजना के अन्तर्गत कहीं-कहीं फसल के बीमे हुए हैं तो इससे कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, हम लागू करने जा रहे हैं तो अभी बीमा कहां हुआ ? जो इन्होंने कहा कि मटर की फसल में कीड़ा लग गया तो मैं तो खड़ी फसल की बात कर रहा हूं कि उसमें बीमा किया जायेगा । मान्यवर, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो अनकन्ट्रोलेबुल हैं उसमें बीमा किया जायेगा । न कि खलिहान में फसल खड़ी है और उसमें कीड़ा लग गया । इसको अनकन्ट्रोलेबुल नहीं माना जायेगा ।

केन्द्र सरकार द्वारा अल्प बचत पर ब्याज की दर घटाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के संबंध में जानकारी

**2–कुं० रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा अल्प बचत पर ब्याज की दर कम कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार इससे निपटने के लिये कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

जी हां ।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कब से ब्याज दर कम किया है और इसके पहले कितना अल्पबचत में धन जमा था और लागू होने के बाद कितनी कमी आयी है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, 15 जनवरी, 2000 से यह ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी कर दी गयी है । लेकिन इसकी कमी के कारण जो जमा धनराशि है उसमें कोई कमी नहीं आयी है । 1999-2000 में जनवरी माह में 292.50 करोड़ तथा 99 में 416.03 करोड़ रुपया जमा हुआ है । इसका कारण यह है कि जो एक प्रतिशत ब्याज दर कम किया गया है, राष्ट्रीय बचत योजना में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो ब्याज दर थी उसके समान कर दिया गया है । इस नाते किसी प्रकार की वसूली में कमी नहीं आयी है । इस प्रकार की और फीगर फरवरी, 99 में जो जमा है, 98-99 का वह 3611.37 करोड़ जबकि फरवरी, 2000 में 4071.52 करोड़ जमा किया गया है इसलिये इसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि एक प्रतिशत ब्याज कम करके बैंकों में कितना ब्याज मिलता है उसके बराबर कर दिया गया है । लेकिन क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि जो म्यूचुअल फंडस हैं या अन्य निजी कम्पनियां हैं उसमें ब्याज दर अल्प बचत के मुकाबले अधिक है ? और यदि हां, तो इस प्रदेश में जमा करने वाले जो लोग हैं वह अल्प बचत के स्थान पर उन निजी कम्पनियों में निवेश करेंगे या नहीं करेंगे ? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक अप्रैल से एक प्रतिशत की कमी हुई है ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय बचत योजना है उसके अन्तर्गत ब्याज दर राष्ट्रीयकृत बैंकों से मिलने वालों से ज्यादा हो गयी इस नाते धन जमा होने की सम्भावना बढ़ गयी है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । मैंने यह पूछा था कि जो निजी कम्पनियां हैं, या म्यूचुअल फंडस हैं इनका ब्याज दर अधिक है तो ऐसी स्थिति में लोग वहां पर अधिक निवेश करेंगे कि नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, राष्ट्रीय बचत में जो धन जमा होने के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वह इस बात को प्रकट करते हैं कि लोगों को राष्ट्रीय बचत में जमा करने में अधिक प्रोत्साहन दिखाई देता है इस नाते उसका कोई असर नहीं पड़ेगा ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मेरा सवाल था कि निजी कम्पनियों व म्यूचुअल फंड स्कीम में ब्याज दर अधिक है, उसका उत्तर नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने निजी कम्पनियों एवं म्यूचुअल फंड स्कीम में बढ़ी ब्याज दर की बाबत जानन चाहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

कम्पनियों के बारे में उसकी सूचना लेकर के मान्यवर को सूचित कर दूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में जो यह राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसमें निरन्तर ब्याज दरों में घटोत्तरी हो रही है । निजी कम्पनियों, म्यूचुअल फंड स्कीम को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह निर्णय षडयंत्र के रूप में ब्यूरोक्रेसी कर रही है । और यह जो निजी कम्पनियां हैं यह आम निवेशकों के जमा धन को लेकर भाग रही हैं अभी तक इस संबंध में कोई कानून भी नहीं बन पा रहा है, आम निवेशक इस शोषण से बच सकें, इसमें प्रदेश सरकार का स्पष्ट मंतव्य आना चाहिए । निजी निवेशकों के हितों की सुरक्षा कैसे होगी क्या निजी कम्पनियों व म्यूचुअल फंड वालों की ब्याज दर से इन अल्प बचत योजनाओं में अधिक ब्याज दर रखने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, जो राष्ट्रीय बचत की योजनायें चल रही हैं उसमें भारत सरकार जमा धन का 75 प्रतिशत राज्य सरकार को विकास के लिये मिलता था, अब भारत सरकार के निर्णय के अनुसार वह 80 प्रतिशत धन मिलेगा । मान्यवर,जहां तक निजी कम्पनियों की बात है कोई षडयंत्र नहीं है । आम लोगों के हितों की बात भारत सरकार और हम लोग करते हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, एक ओर जमा खातों में अल्प बचत के या सावधिक जमा (फिक्सड डिपाजिट) के खातों में ब्याज दर में निरन्तर घटोत्तरी होती जा रही है । इस दृष्टिकोण को समक्ष रखकर कि प्रदेश के किसानों ने या दूसरे उद्यमी ने बैंकों से ऋण ले रखा है क्या उनके ऊपर ऋण की ब्याज की दरों में इसका प्रभाव कम करने का निर्णय सरकार लेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

ऐसा कोई विचार नहीं है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

जो सावधि जमा खाते हैं, अल्प बचत जमा खाते हैं । उन पर ब्याज दर निरन्तर घटती जा रही है और लोग जो ऋण लेते हैं, उन पर ब्याज दर बराबर बढ़ती जा रही है ? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका प्रश्न नीतिगत प्रश्न है । इस प्रश्न के माध्यम से तो उत्तर नहीं दिलाया जा सकता । आपने पूछा था कि सरकार विचार कर रही है ? तो मंत्री जी ने बता दिया कि ऐसा कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

वैसे माननीय मंत्री जी आप जानकारी देना चाहें तो दे दें, यह प्रश्न [illegible] नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

माननीय विधायक जी ने जो बात उठाई है, इस संबंध में भारत सरकार को लिखूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं इस प्रश्न पर नियम–47 में आधे घण्टे की चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर भेज दीजियेगा, सुसंगत नियमों में विचार कर लिया जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 204 के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में किसानों को वर्तमान रबी फसल की बुआई के लिए प्रमाणिक खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी

*1.–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को वर्तमान रबी की फसल की बुआई के लिये प्रमाणिक खाद एवं बीज उपलब्ध कराये जाने की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 151 पर)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, यह प्रदेश के किसानों से जुड़ा प्रश्न है और हर वर्ष ऐसी समस्यायें आती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के किसानों की खाद और बीज की न्यूनतम आवश्यकता क्या रही है और उसकी कितनी मात्रा में आपूर्ति हो पाई है ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मेरी भी इतनी बात जोड़ लें कि आने वाला समय खरीफ का समय है, प्रश्न तो रबी के बारे में है, लेकिन उसमें खरीफ को भी साथ जोड़ कर बता दें ताकि दोनों का साथ उत्तर आ जाय।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न रबी की फसलों के बारे में था, इसलिये खरीफ की फसलों का [illegible]न दूं। खाद की जो आवश्यकता माननीय पाण्डेय जी ने पूछी है। पूरी आवश्यकता के साथ ही [illegible]यास किया जाता है कि इसकी उपलब्धता रखी जाय। मैंने विवरण भी संलग्न कर भेजा है। वर्ष 1998-99 में प्रदेश में विभिन्न उर्वरकों का जो कुल वितरण हुआ था, उसके अनुसार 25.77 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 6.16 लाख मीट्रिक टन डी० ए० पी०, 0.86 लाख मीट्रिक टन एम० ओ० पी० पोटाश का वितरण हुआ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मैंने न्यूनतम आवश्यकता पूछी है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार ही आपूर्ति करने का प्रयास किया जाता है । हम यह मानकर चलते हैं कि हमारा इतना यह टारगेट है । इतना मटर रहेगी, इतना मसूर रहेगी और हर फसल की उर्वरक की आवश्यकता भिन्न-भिन्न होती है । इसलिये हम यह बता सकते हैं कि कितना था, कितना बंटा और कितना बचा । इसलिए जिस प्रकार इसकी सीमा घटेगी, बढ़ेगी, वैसे ही आवश्यकता घटेगी-बढ़ेगी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में आप देखेंगे कि उर्वरक की आपूर्ति क्रमिक है । देखा यह गया है कि बुवाई के समय बीज की कमी और जब खाद चाहिए अन्य उर्वरक चाहिए तो उनकी कालाबाजारी होती है तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करायेगी कि आने वाले वर्षों में फसलों की बुवाई के पहले सारे बीज अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध हो जायं और जब उर्वरक, कीटनाशक दवाओं की, यूरिया की आवश्यकता पड़े तो सारी की सारी समय से उपलब्ध करा दी जायं । होता क्या है कि जब बुवाई करेंगे तो बीज नहीं, उसके बाद वह गोदामों में रखा हुआ है और जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या ट्रान्सपोर्टिये हैं वह काले धन का काम करते हैं और किसानों का शोषण होता है तो मैं जानना चाहता हूं कि अगले फसल में इन सारी चीजों की ठीक समय से उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करायेगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अगली फसल में मान्यवर, प्रयास है कि जो कृषि निवेश है उनकी समय से उपलब्धता करा दी जाय ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो संलग्नक सूची माननीय मंत्री जी ने लगायी है इसको देखने से स्वतः विदित होता है आप देखें कि जैसे यूरिया खाद वर्ष 98-99 में वितरण हुई 25.77 लाख मीट्रिक टन और 1999-2000 में 7.70 लाख मीट्रिक टन, इससे यह प्रतीत होता है कि जब यूरिया की जरूरत थी तो उस समय यूरिया उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण वितरण कम हो सका तो 1998-99 से यूरिया का वितरण कम हुआ, इसका क्या कारण है ?

दूसरा प्रश्न है कि डी० ए० पी० खाद 1998-99 में वितरण हुई 6.16 लाख मीट्रिक टन और 1999-2000 में यह वितरण हुई 5.70 लाख मीट्रिक टन तो इन दोनों को देखने से प्रतीत होता है कि इनका वितरण 99-2000 में कम हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि 1998-99 की अपेक्षा 1999-2000 में यूरिया और डी० ए० पी० खाद का वितरण कम हुआ इसका क्या कारण है ? क्या इसका यह कारण नहीं है कि खाद की डी० ए० पी० की जरूरत जब थी तो उस समय डी० ए० पी० उपलब्ध नहीं थी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न माननीय सदस्य ने वर्ष 1999 में किया था और यह वर्ष 1999 में लगा हुआ था । जिस समय उत्तर भेजा गया था उस समय यूरिया का उपयोग नहीं होता । माननीय सदस्य को कृषि की कितनी जानकारी है, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यूरिया का उपयोग तो बुआई के बाद होता है तो अगर कोई यह कहे कि अक्तूबर में यूरिया क्यों नहीं बांटी गयी तो

मैं क्या बताऊं । मान्यवर, मेरे पास इस समय आद्यावधिक स्थिति 21-3-2000 तक की है । यह सूचना जो दी गयी थी वह 21-12-99 तक की सूचना उपलब्ध करायी गयी थी और गेहूं की बुवाई अधिकांशतः दिसम्बर के महीने में प्रारम्भ होती है क्योंकि लोग धान लेने के बाद इसको लगाने का काम शुरू करते हैं । इस समय मेरे पास 21-3-2000 तक की फीगर्स हैं 98-99 में जहां 25.77 लाख मीट्रिक टन यूरिया वितरण हुआ है और डी० ए० पी० 6.16 लाख मीट्रिक टन वितरण हुआ और 21-3-2000 को 8.46 लाख मीट्रिक टन वितरण हुआ है ।

मान्यवर, डी० ए० पी० का वितरण बढ़ा है इसलिये यूरिया का वितरण कम हुआ है । हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फेट का एक समीकरण बना रहे और इसका हमें लाभ मिला है, पोटाश का 0.68 मीट्रिक टन वितरण हुआ था 98-99 में और 0.68 मी० टन इस साल भी वितरण हुआ है। इस प्रकार मान्यवर, जो मुख्य तत्व यूरिया है, जितनी आवश्यकता थी, उतना उर्वरक उपलब्ध कराया गया और इस साल कहीं से भी इसकी कमी होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई और न माननीय सदस्य ने ही इसकी सूचना दी ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बुवाई के लिए प्रमाणित खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए जैसा आपने आंकड़ों के माध्यम से यह स्पष्ट भी किया है लेकिन चूंकि यह किसानों से जुड़ी समस्या है, प्रतिवर्ष बुवाई के समय खाद और बीज की कठिनाई होती है और जब यह समस्या आती है तो मार्केट में प्रमाणित खाद, बीज के अलावा मिक्चर खाद और मिक्चर बीज उपलब्ध करा दिया जाता है । किसान, गरीब किसान अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जिसे वह अच्छे बीज और खाद के लिए इकट्ठा करता है वह नकली खाद और मिक्चर बीज बोने के लिये बाध्य होता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो ऐसे स्थिति पैदा हुई । खाद और बीज में मिलावट करने वाले कुछ लोग पकड़े गये, क्या उन पर कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री अधिष्ठाता–

मा० गोरखनाथ पाण्डेय जी, यदि आपको ही कुछ जानकारी हो तो बतायें कि कहां से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई ?

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे जनपद में गोपीगंज में ही एक ऐसा ही दुकानदार पकड़ा गया था जिसमें सैकड़ों बोरी खाद इस प्रकार की प्रकाश में आयी थी और वहां सम्बन्धित अधिकारियों ने ही छापा मारा था, उस पर कुछ कार्यवाही भी हुई थी । लेकिन बाद में क्या हुआ ? यह जानकारी मेरी पास नहीं है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं इसकी जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । माननीय सदस्य ने भी कभी इसकी चर्चा नहीं की, नहीं तो मैं बता देता ।

श्री अधिष्ठाता–

यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और आमतौर पर यह कहा गया है कि सारी जगह मिश्रित खाद और मिश्रित बीज बेचा जा रहा है, क्या सामान्य रूप से जानकारी प्राप्त कर लेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, इसके लिये निरन्तर कार्यवाही चलती रहती है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो प्रश्न माननीय गोरखनाथ पाण्डेय जी ने उठाया है, भले ही आंकड़े न हों लेकिन पूरे प्रदेश में जब बुवाई का समय था उस समय डी०ए०पी० खाद बाजार में थी ही नहीं और मान्यवर, कभी सोसाइटी द्वारा कहीं-कहीं एक दो ट्रक खाद जाती थी, उससे अधिक उपलब्ध नहीं थी । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं, जैसा माननीय गोरखनाथ पाण्डेय जी ने पूछा है, मुझे निश्चित जानकारी है कि सारे प्रदेश में कमी थी । यह मिश्रित खाद नहीं थी यह नकली खाद पूरे बाजार में बिकी और जब सीजन खत्म हो गया तो खाद बाजार में उपलब्ध हो गयी। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ? यह मामला गम्भीर है । क्या यह आपके संज्ञान में नहीं आ पाया, क्या आप इस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं, कहीं से भी यह सूचना प्राप्त नहीं हुई कि डी० ए० पी० उपलब्ध नहीं है । दो वर्ष पहले जरूर यह स्थिति उत्पन्न हुई थी । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं यदि ऐसी कहीं कोई बात हो तो बता दें । जहां तक नकली खाद अपमिश्रित खाद की बात है तो निरन्तर कार्यवाही इस पर की जाती है । ऐसा नहीं है कि इसको अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है यहां से मुख्य सचिव, कृषि सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त के स्तर से गोपनीय तरीके से तिथि निश्चित की जाती है और जिले में एक साथ छापे मारे जाते हैं ताकि जिले के अधिकारियों को जानकारी हो सके और मिलावट करने वाले स्टाकिस्टों को जानकारी न हो सके । जहां से अपमिश्रित खाद या दवाओं की जानकारी मिलती है उस पर कार्यवाही की जाती है ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि कितनी नकली खाद पकड़ी गयी और कितने छापे मारे गये और कितने ट्रक खाद पकड़ी गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में अलग से सूचना की आवश्यकता होगी ।

प्रदेश में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु सरकार की योजना की जानकारी

*2—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में तिलहन की फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फसलों के अधिक उत्पादन के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां,तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या प्रदेश में तिलहन की फसलों का उत्पादन घट रहा है ? सरकार ने जवाब दिया कि ''जी नहीं'' । फिर मेरा प्रश्न था कि सरकार इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है । सरकार ने जवाब दिया है ''जी नहीं'' । यह

सरकार तिलहन के उत्पादन के लिये चिंतित नहीं है लेकिन विपक्ष के सदस्य चिंतित हैं । मेरी खासतौर से जिज्ञासा है कि अगर तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा तो इससे जनजीवन को फायदा पहुंचेगा । तेलों के अभाव में जनता को दिक्कत होती है । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों में तिलहन का उत्पादन कितना रहा है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या प्रदेश में तिलहन की फसलों का उत्पादन घट रहा है । मैंने उत्तर दिया कि "जी नहीं" । माननीय सदस्य ने फिर पूछा था कि क्या प्रदेश सरकार कोई विशेष कार्य योजना बना रही है । इसका उत्तर मैंने दिया "जी नहीं" । तिलहन का उत्पादन घट नहीं रहा है इसलिये उत्तर दिया जी नहीं और कार्य योजना बनाने की आवश्यकता प्रदेश सरकार को नहीं है क्योंकि भारत सरकार कार्य योजना बनाती है इसलिये इसका उत्तर दिया गया जी नहीं । जहां तक 5 वर्षों के आंकड़ों का प्रश्न है श्रीमन्, 97-98 और 98-99 इन दो वर्षों में चूंकि प्राकृतिक आपदायें आयीं थी इसलिये तिलहन ही नहीं धान तथा गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था और इस पर सदन में चर्चा भी हुई थी । इसलिये इन दो वर्षों को छोड़कर शेष सालों में तिलहन के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है । मैं आपको फीगर दे सकता हूं 1950-51 से लेकर 1998-99 तक की । उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है केवल दो वर्षों को छोड़कर जिसमें प्राकृतिक कारणों से दलहन और तिलहन सभी फसलों का नुकसान हुआ है । इस वर्ष पुनः हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ा है यद्यपि जितना चाहते थे उतना नहीं बढ़ पाया है लेकिन हम प्रगति पर हैं और इस साल उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ा है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्पादन लगातार बढ़ा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1997-98 में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पादन नहीं हुआ । 1998-99 में कितने क्षेत्रफल में दलहन/तिलहन बोया गया और 1999-2000 में कितने क्षेत्रफल में बोया गया ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 1998-99 में 10.09 तथा इस वर्ष 1999-2000 में 10.30 लाख हेक्टेयर में तिलहन का फसल बोया गया ।

श्री आर० के० सिंह पटेल–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दलहन-तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये बुन्देलखण्ड के पठारी क्षेत्र के लिए पूर्व में फौव्वारा सिस्टम से सिंचाई का सेट सब्सिडी देकर किसानों को मुहैया कराया जाता रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि फौव्वारा सिंचाई का जो सेट में अनुदान दिया जा रहा है उसको लागू करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का प्रश्न सीधे इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता लेकिन फिर भी माननीय सदस्य की जिज्ञसा के लिये अगर सूचना हो तो बता दें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

यह सुविधा अभी भी जारी है ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि तिलहन का उत्पादन नहीं घटा । अभी आंकड़ा बताया कि 1998-99 में 10.09 तथा 1999-2000 में 10.30 लाख हेक्टेयर पर दलहन/तिलहन की फसल बोयी

गयी । क्षेत्रफल में बहुत मामूली बढ़ोत्तरी हुई है । खपत की दृष्टि से जिस रफ्तार से उत्पादन बढ़ना चाहिए था वह नहीं बढ़ा । इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मांग की बढ़ती हुई रफ्तार के आधार पर क्या दलहन-तिलहन के उत्पादन के लिये कोई विशेष कार्ययोजना चलायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, इसका उत्तर आ चुका है कि कोई विशेष कार्ययोजना नहीं बनायी जा रही है ।

श्री राम औतार शाक्य–

अभी माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष क्षेत्रफल का आंकड़ा दिया । मेरा प्रश्न उत्पादन से था । मैं यह पूछना चाहता हूं कि विगत 2 वर्षों में उत्पादन कितना हुआ क्योंकि वर्ष 1997-98 में उत्पादन आवश्यकता से अधिक घटा था लेकिन क्षेत्रफल में बहुत फर्क नहीं आया था ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जहां तक उत्पादन का सवाल है वर्ष 1997-98 में उत्पादन घटा लेकिन 1999-2000 में उत्पादन बढ़ेगा और जो इन दो वर्षों के पहले के फीगर हैं, वहां तक पहुंच जायेगा ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार मांग बढ़ती जा रही है इसलिए, प्रदेश में तिलहन की मांग कितनी है, और उत्पादन कितना है इसको देखते हुए उत्पादन में जो कमी है उसको पूरा करने के लिये क्या सरकार कोई विशेष योजना बना रही है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, भारत सरकार का जो टेक्निकल मिशन है वह इस कार्य को देखता है चूंकि यह भारत सरकार की योजना है और उत्तर प्रदेश सरकार उसमें पूर्ण रूप से भागीदार है, इसलिए अलग से विशेष योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है । भारत सरकार से हमने जो मांग किया है उसका अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये हम भरसक प्रयास कर रहे हैं । ऐसी स्थिति आ रही है कि केवल तिलहन की फसल बोने में कमी हो रही है क्योंकि जहां-जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हो रहे हैं वहां तलहन से हटकर किसान ऐसी फसलें बो रहा है जिससे उन्हें उत्पादकता और लाभ अधिक मिले । इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि मिक्स बोआई कराकर तिलहन की फसल का उत्पादन बढ़ायें, इस प्रकार गेहूं और गन्ने के साथ तिलहन बोयें ।

मान्यवर, मांग और उत्पादन का अन्तर का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है किन्तु जो कार्यवाही कर रहे हैं उसमें प्रयास यह भी किया है कि आयल सीड पर किसानों को अधिक सुविधा उपलब्ध करायी जाय इसलिए भारत सरकार से मांग किया है कि सब्सिडी की राशि को बढ़ाकर दें ।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर क्षेत्र में शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि से किये गये विकास कार्यों में अनियमितताओं एवं धांधली की जांच

*2—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में पंचायती राज विभाग द्वारा किन-किन मदों में

कितनी कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? क्या यह सही है कि दशम् वित्त आयोग द्वारा अवमुक्त धनराशि से बनाई गयी सड़कों में अनियमिततायें एवं धांधली की गई है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

शासन द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जाती ।

शिकायतें शासन के संज्ञान में नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 में रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में पंचायती राज विभाग द्वारा किन-किन मदों में कितनी-कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है और उससे क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, दशम् वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1996-97 में 13,50,470 रुपये और 1997-98 में 13,50,000 रुपये और 1998-99 में 27,00,940 रुपये की धनराशि दी गयी है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने पूछा है कि क्या-क्या कार्य कराये गये हैं और क्या पूरी धनराशि का उपयोग हो गया है, यह मंत्री जी बता दें ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गत वर्ष पूरी धनराशि का उपयोग हो गया है । छोटे-छोटे कार्य कराये जाते हैं इसलिये स्पेसिफिक बताना कठिन है किन्तु माननीय सदस्य अलग से सूचना मांग लें तो उन्हें बता दिया जायेगा ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं मुख्य रूप से जानना चाहता हूं कि जो कार्य कराये गये हैं उनमें धांधली हुई है इसलिये क्या-क्या कार्य कराये गये हैं यह मंत्री जी बता दें ? वर्तमान वर्ष 1999-2000 में किन-किन मदों में धनराशि खर्च हुई यह भी जानकारी नहीं दी गयी है, इसलिए क्या मंत्री जी इसकी जानकारी सदन को करायेंगे ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा है यह प्रश्न जब किया गया था तो शिकायत संज्ञान में नहीं थी बाद में कोरिलेटेड प्रश्न से शिकायत संज्ञान में आयी उसी दिन इस बात का आश्वासन दिया गया था ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप लिखकर दे देंगे उसके आधार पर समुचित जानकारी मंत्री जी आपको उपलब्ध करा देंगे और कृत कार्यवाही से भी अवगत करा देंगे ।

सरकार द्वारा बदली गयी शीरा नीति से चीनी मिल मालिकों व सरकार को प्राप्त लाभ की जानकारी

*3—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या पुरानी शीरा नीति सरकार ने बदल दी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? सरकार द्वारा बदली गयी शीरा नीति से क्या वित्तीय वर्ष 1998-99 में चीनी मिल मालिकों व सरकार को लाभ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)—

जी हां ।

शीरा वर्ष 1999-2000 (1 नवम्बर, 1999 से 31 अक्टूबर, 2000) के लिये निर्धारित शीरा नीति के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे का 20% देशी शराब की आपूर्ति हेतु आरक्षित रखते हुए शेष 80% शीरे को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है । नियंत्रण मुक्त शीरे का प्रदेश से निर्यात अनुमन्य है ।

उपरोक्त संशोधित नीति के कारण नये शीरा वर्ष में सभी श्रेणी के शीरे के औसत मूल्यों में बढ़ोत्तरी की आशा की जाती है, जिसका सीधा लाभ मिल मालिकों को मिलना स्वाभाविक है । सरकारी राजस्व पर नयी नीति के प्रभाव मिश्रित होने की अपेक्षा की जाती है ।

श्री राम औतार शाक्य—

सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि शीरा नीति बदली है इसमें सीधा लाभ मिल मालिकों को मिलना स्वाभाविक है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नीति से गन्ना किसानों को भी कोई लाभ मिलेगा, यंह जो नीति बदली है उस नीनि को बदलने का क्या औचित्य है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

शीरा नीति में परिवर्तन गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र हो सके इसलिए किया गया । माननीय सदस्य अवगत हैं कि पिछले तीन वर्षों से गन्ना मूल्य प्रति कुन्तल पांच-पांच रुपये बढ़ाए गये उसके अनुसार चीनी के दामों में वृद्धि नहीं हुई । अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए शीरा नीति में संशोधन करने की आवश्यकता समझी गई एवं उसमें परिवर्तन किया गया । जिससे किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति ठीक हुई है ।

प्रदेश में खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु सरकार की योजना

*4—श्री राम ललित चौधरी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो [illegible] ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

वर्तमान में प्रदेश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास योजना तथा 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्रम चलाया जा रहा है । अतः अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में खाद्य तेलों का कुल कितना उत्पादन है तथा प्रदेश में कुल कितने खाद्य तेल की आवश्यकता है ? दूसरा सवाल यह है कि भारत सरकार के सहयोग से खाद्य तेलों की योजना कब से लागू की गई ? तथा लागू करने पर क्या खाद्य तेलों के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रदेश में खाद्य तेलों की आवश्यकता की सूचना कृषि विभाग में नहीं है । लेकिन खाद्य तेलों के सम्बन्ध में मैंने उत्तर देना इसलिए आवश्यक समझा कि खाद्य तेलों का सीधा सम्बन्ध तिलहन के उत्पादन से है । तिलहन का उत्पादन घट नहीं रहा है । किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण किसी वर्ष भले ही घट गया हो । हम हर तरीके से इसमें वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं । अगर तिलहन का उत्पादन होगा तो खाद्य तेलों का उत्पादन होगा । अगर तिलहन का उत्पादन घटा नहीं है तो निश्चित रूप से खाद्य तेलों का उत्पादन घटा नहीं है । जहां तक कब से लागू है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा है कि उत्पादन कितना है और मांग कितनी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

हमारे पास मांग के आंकड़े उपलब्ध नहीं है और पूरे प्रदेश के अंदर इतने आंकड़े एकत्र करना अत्यन्त मुश्किल है । जैसा मा० सदस्य ने एक यह सवाल पूछा कि भारत सरकार की योजना कब से लागू है तो मान्यवर, यह योजना पिछले कई वर्षों से चल रही है ।

श्री राम ललित चौधरी–

पहले हमारे पूर्व के प्रश्नों का उत्तर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी आप सीधे वार्ता न करें, कृपया हमारे माध्यम से प्रश्न पूछें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मांग के आंकड़े हमारे पास नहीं है । जहां तक उत्पादन का प्रश्न है वर्ष 1990-91 के मध्य से उत्पादन बढ़ा है । 90-91 में 13.74 लाख मैट्रिक टन,.....

श्री अधिष्ठता–

माननीय मंत्री जी आपका उत्तर आ गया है । यह बहुत अहम प्रश्न नहीं है । माननीय चौधरी जी आप इतने विस्तार में न जांय आपका उत्तर आ गया है अब आप बैठ जांय ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, ऐसा नहीं है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । किसी व्यक्ति को जब तक यह नहीं मालूम होगा कि उसका उत्पादन कितना है तो वह प्रगति की ओर कैसे जायेगा । कम या ज्यादा का निर्णय कैसे लेगा ? यह जानकारी होना जरूरी है और यह हमारी मांग है । दूसरा सवाल हमारा यह है कि आज खाद्य तेलों की मांग बढ़ रही है, क्या इसी मांग के अनुसार उत्पादन भी बढ़ रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसको बढ़ाने में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं । क्या किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बीज मुफ्त में देगी ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी सिर्फ इतना बतायें कि मांग के आधार पर उत्पादन के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

हमने भारत सरकार से तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए सब्सिडी बढ़ाने की मांग की है। हम भारत सरकार की योजना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, हमारे प्रश्नों का उत्तर आने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी, कृपया सहयोग करें।

5–कुं० रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

प्रदेश में गांवों के विकास हेतु स्कूल, चिकित्सालय तथा क्रीड़ास्थल आदि के निर्माण हेतु सरकारी भूमि आरक्षित करने की नीति

6–श्री रवीन्द्र पुण्डीर (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांवों में सरकारी भूमि के पट्टे गरीबों को आवंटित करने से पहले गांवों में विकास हेतु स्कूल, चिकित्सालय, क्रीड़ास्थल आदि के लिये भूमि आरक्षित की जाती है ? यदि हां, तो उसकी नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी हां।

उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 8-क की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निहित व्यवस्था के अनुसार गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारियों में निहित भूमि में से चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भी भूमि, जैसा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, 1954 के नियम–24-क के उपनियम (2) के खण्ड (1) से (13) में उल्लिखित है, आरक्षित की जा सकती है, जिसमें स्कूल, चिकित्सालय एवं क्रीड़ास्थल की मदें भी सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के शाहाबाद क्षेत्र में किसानों को समय से खाद तथा बीज उपलब्ध कराये जाने की मांग

7–श्री बाबू खां (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 89–शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों को समय से, खाद तथा बीज उपलब्ध कराया जा रहा है ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खाद्य बीज उपलब्ध न कराये जाने के कारण किसानों को बाजार में दूने दाम में खाद तथा बीज खरीदना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के किसानों के हितों को देखते हुये समय पर खाद तथा बीज उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

किसानों को आवश्यकतानुसार समय से खाद तथा बीज उपलब्ध कराये जाने के लिये जनपदवार आपूर्ति योजना तैयार की जाती है और तद्नुसार जनपदों में आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० को समाप्त किये जाने विषयक जानकारी

*४–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना (अनुपस्थित)–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त निगम लि० को समाप्त करने का निर्णय सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

डॉ० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० के लगातार घाटे में होने से बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

उत्तरांचल में पटवारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार द्वारा कृत कार्रवाई की जानकारी

*५–श्री भारत सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल में पटवारियों की लगभग एक वर्ष से चल रही हड़ताल से राजस्व ग्रामों में कानून-व्यवस्था संबंधी कार्य तथा राजस्व संबंधी समस्त कार्य पूर्ण रूप से ठप्प हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

पटवारियों द्वारा केवल पुलिस कार्य का बहिष्कार किया गया था । कानून व्यवस्था का कार्य नियमित पुलिस एवं नायब तहसीलदारों/पेशकारों द्वारा सम्पन्न किया गया । पटवारियों द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, उत्तरांचल में पुलिस व्यवस्था पटवारियों द्वारा होती है । पटवारी 6-7 महीने से हड़ताल पर थे, जिसके कारण उत्तरांचल की पुलिस व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई । माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि अब उनकी हड़ताल टूट गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी कौन-कौन सी मांगें थी और उन मांगों में से किन-किन को सरकार ने मान लिया जिसकी वजह से हड़ताल टूट गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, उत्तरांचल में पटवारियों का कार्य पुलिस का कार्य होता है । गृह विभाग से कुछ मांगें उनकी संबंधित थीं । पटवारियों की 3-4 खास मांगें थीं । पटवारियों के लिये चौकियां बनें, उन्हें

वायरलेस सेट मिलें, कुछ भत्ता बढ़ाने की बात थी । 21-1 को बैठक हुई थी उसके बाद भी बैठक हुई । उनकी बातों पर विचार हुआ और सारे बिन्दुओं पर विचार होने के बाद उनकी हड़ताल वापस हो गयी। अपराधियों को पकड़ने के लिये 100 रुपये उन्हें मिलता था, उसे 200 रुपये बढ़ाने पर सहमति हुई है और इस पर विचार भी चल रहा है । किसान बहियां अधिक बन जाने के कारण उनके वितरण में परेशानी हो रही थी इसलिये जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये हैं कि जो किसान बहियां अधिक हैं, उन्हें वापस कर दिया जाय । भत्ता बढ़ाने की बात थी, पहले 450 रुपये मिलता था, अब उसे दुगुना करने पर सहमति हुई है, इस पर विचार भी चल रहा है, राजस्व निरीक्षकों को दुगुना करने की बात थी । कुछ मांगें ऐसी थी जिन्हें मान लेना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

*10–श्री नवाब सिंह नागर–

। 2रे मंगलवार में ता० प्र० सं०–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

मिर्जापुर में विन्ध्याचल महोत्सव के आयोजन हेतु गठित कमेटी में विन्ध्याचल के सामाजिक कार्यकर्ताओं को नामित किये जाने की जानकारी

*11–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री को जानकारी है कि गत वर्ष 1998 में विंध्याचल महोत्सव का आयोजन विंध्यधाम में न करके मिर्जापुर में किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? इस वर्ष यह महोत्सव कहां किया जाना प्रस्तावित है ? क्या इस हेतु कोई कमेटी भी गठित की गयी है ? यदि हां, तो उसमें विंध्याचल के कितने और किन-किन सामाजिक कार्यकर्ताओं को नामित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति पूर्त एवं धर्मस्व मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल निशंक)–

जी हां ।

विन्ध्य महोत्सव का आयोजन विन्ध्याचल मण्डल के तीनों जनपद सोनभद्र, मीरजापुर, संत रविदास नगर की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक महत्ता को प्रकाशित करने हेतु किया जाता है । चूंकि विन्ध्याचल मीरजापुर नगर पालिका सीमान्तर्गत एक उप नगर है और यहां पर मेले के अनुरूप विकसित स्थल नहीं है इसीलिये उक्त महोत्सव का आयोजन मीरजापुर में किया गया था ।

मीरजापुर में ।

जी हां ।

विन्ध्याचल के निम्नलिखित सामाजिक कार्यकर्ताओं को कमेटी में नामित किया गया है :–

(1) श्री महेश्वर प्रसाद त्रिपाठी,

(2) श्री अरुण कुमार मिश्र,

(3) श्री ब्रह्म कुमार शुक्ल,

(4) श्री के० के० मिश्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नवरात्र का समय है । विन्ध्याचल का क्या महत्व है, हिन्दू धर्म के मतावलम्बी उसकी महत्ता को जानते हैं । 28-9-1998 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी और जो यह जी० ओ० है उसके क्रम-संख्या 65/98 में यह कहा गया है कि विन्ध्य परिपथ की तरफ तीर्थ यात्रियों

को आकर्षित करने के लिये प्रत्येक वर्ष विन्ध्याचल में विन्ध्य महोत्सव का आयोजन किया जायेगा और मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि इसका आयोजन मिर्जापुर में किया जा रहा है । अपने मुख्य मंत्री जी की इस घोषणा से फिर जाने का क्या कारण है ? दूसरा यह है कि इन्होंने कहा था इसी घोषणा में है कि 10 लाख रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष इस आयोजन को करने के लिये दी जायेगी । क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विगत वर्ष जो वित्तीय वर्ष बीता है इस वर्ष में कितनी राशि इस विन्ध्य महोत्सव को आयोजित करने के लिये विन्ध्याचल में दी है । मान्यवर, एक प्रश्न और पूछा था कि विन्ध्याचल के किन लोगों को इस आयोजन समिति में नामित किया है ? क्या इसमें किसी जन प्रतिनिधि को नामित किया है ? अगर नहीं किया है तो न करने के क्या कारण हैं ? इसमें जन प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का कष्ट करें ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

विन्ध्याचल मण्डल है जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा है.....

श्री अम्बिका चौधरी–

स्थान है ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

स्थान है और जो मण्डल है उसके सभी जनपदों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है । जिस स्थान की आप बात कर रहे हैं उसमें इतनी अवस्थापना नहीं है कि वहां आयोजन किया जा सके । विन्ध्याचल के लिये यह घोषणा है.....

श्री अधिष्ठाता–

आप विन्ध्याचल मण्डल राजस्व मण्डल की बात कर रहे हैं या परिपथ की ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

पूरे मण्डल की बात कर रहे हैं । संत रवि दास नगर, सोनभद्र भी उसी में आते हैं लेकिन जैसी कि आपकी भावना है कि वह विन्ध्याचल में हो । इस पर भी भविष्य में विचार कर लेंगे जब तक अवस्थापना पूरी नहीं हो पाती है तब तक नहीं कर पाते हैं । दूसरा आपने कहा था कि समिति में जन प्रतिनिधियों को कब से रखा जायेगा ? श्रीमन्, यह समिति बनी थी अब उसको निरस्त करने की बात नहीं है । लेकिन समिति में भी हम उन विशेष लोगों को रखते हैं जो कला के प्रति समर्पित हैं और जिनका उसमें विशेष योगदान भी है । गीत, संगीत, नाट्य कला में, स्थानीय कला में जिनकी रुचि है उन लोगों को इस समिति में रखा है । हम इस बात से सहमत हैं कि उसमें जनप्रतिनिधियों को भी होना चाहिए । अब जब समिति बनायी जायेगी तो उसमें जनप्रतिनिधियों को भी रखा जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० अम्बिका चौधरी जी के प्रश्न का हिस्सा यह था कि गत वर्ष जो 10 लाख रुपये की धनराशि इस आयोजन हेतु दी जानी थी वह दी है ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

1999-2000 में जो महोत्सव किया है उसमें तो सांस्कृतिक विभाग ने 9 लाख रुपये दिये । कुल 17 लाख, 48 हजार पांच सौ पचपन रुपये व्यय हुए । जिस घोषणा की बात आपने की है कमेटी ने अक्टूबर में इसको कराने का निर्णय लिया है उसमें 5 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गयी है आवश्यकता पड़ेगी तो और भी बढ़ायेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2000 में विन्ध्याचल महोत्सव कब करने वाले हैं ? नहीं कर रहे हैं तो क्यों ? मान्यवर, इसी घोषणा पत्र में

लिखा है कि एक करोड़ की निधि स्थापित की जावेगी ? इसके बारे में जानकारी दें कि क्या यह निधि स्थापित हो गई है ? नहीं तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैंने बताया कि कमेटी ने इसे अक्टूबर में करने पर विचार किया है और इसके लिये 5 लाख की वित्तीय व्यवस्था कर दी गई है आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी कर दी जावेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रदेश में नवसृजित जनपदों में तहसील भवनों के निर्माण हेतु बनायी गयी सरकारी कार्य योजना

12–श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नये सृजित जनपदों एवं उसमें नवसृजित तहसील भवनों के निर्माण कराये जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । नवसृजित जनपदों एवं तहसीलों के भवनों के निर्माण हेतु कार्य योजना बनाई गई है।

जिला पंचायतों द्वारा जनपद के अन्दर कस्बों में वाहन पड़ाव अड्डा स्थापित करने के मानक की जानकारी

*13–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायतों द्वारा जनपद के अन्दर कस्बों में वाहन पड़ाव अड्डा स्थापित करने का कोई मानक निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

पड़ाव अड्डा स्थान जहां वाहन रुकते हैं, पर पानी की व्यवस्था तथा छाया हेतु शेड का निर्माण कराना होता है तथा जिला पंचायतें जि० पं० अधिनियम की धारा 239-च (क) के अनुसार उपविधियां बनाकर पड़ाव अड्डा स्थापित करती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चकबन्दी विभाग में सहायक चकबन्दी अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

*14–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि चकबन्दी विभाग में सहायक चकबन्दी अधिकारी के कुल स्वीकृत 820 पदों में लगभग 450 पद रिक्त हैं, जिससे चकबन्दी कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

कुल स्वीकृत 820 पदों के विपरीत 444 पद रिक्त हैं ।

जी, हां । इन रिक्त पदों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के कोटे का अनुपात 50%-50% है । सीधी भर्ती के रिक्त सहायक चकबन्दी अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 की क्रमशः 168 तथा 80 रिक्तियों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है । पदोन्नति कोटे के शेष 196 रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ताजमहल को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु ताज ट्रिपोजियम जोन के रूप में प्रतिबन्धित क्षेत्र के फलस्वरूप आगरा/फिरोजाबाद में प्रभावित लोहा/कांच चूड़ी उद्योग के विकास हेतु योजनाओं की जानकारी

*15–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि आगरा स्थित ताज महल को प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु क्या 72 किमी० का क्षेत्रफल ताज ट्रिपोजियम जोन के अन्तर्गत चिन्हित कर प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया गया है ? क्या यह सही है कि आगरा और फिरोजाबाद का लोहा उद्योग एवं कांच चूड़ी उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या योजनायें बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरम्वती प्रताप सिंह)–

जी हां, लेकिन ताज महल को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु ताज महल के चारों ओर भारत सरकार द्वारा 10400 वर्ग कि०मी० का क्षेत्र चिन्हित कर ताज ट्रिपोजियम जोन के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें 25% भाग राजस्थान का भी आता है ।

जी, हां ।

मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गैस अथारिटी आफ इण्डिया (गेल) द्वारा गैस पाइप लाईन डालकर आगरा एवं फिरोजाबाद में गैस आपूर्ति की जा रही है । नेशनल मैटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर द्वारा गैस आधारित क्यूपला का सफल परीक्षण हो चुका है ।आगरा में नान क्यूपला आधारित 19 इकाइयां गैस द्वारा संचालित हो चुकी हैं, तथा वर्तमान में फिरोजाबाद की 40 इकाइयां गैस का प्रयोग कर रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पंचायती राज निदेशालय द्वारा गांव फण्ड में सूद/सस्पेन्स तथा अज्ञात खातों में उपलब्ध धन के व्यय आदि की जानकारी

*16–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज निदेशालय के परिपत्र संख्या–1/5044/93-15/91 दिनांक 23 मार्च, 1994 द्वारा गांव फण्ड में सूद सस्पेन्स तथा अज्ञात खातों में उपलब्ध धनराशि का 80 प्रतिशत भाग निदेशालय में मंगाया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि जिलों से प्राप्त की गयी है ? प्राप्त धनराशि एवं उसका व्याज किन-किन मदों में व्यय किया गया है ? क्या अवशेष धनराशि सामान्य लाभ निधि खाते में जमा की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा के ग्राम कोइलाडांड के काश्तकारों को बन्दोबस्त सम्बन्धी कागजात उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

1–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के तहसील फरेन्दा के ग्राम कोइलाडांड के बन्दोवस्त संबंधी कागजात तहसील में उपलब्ध न होने से काश्तकारों के भूमि की पैमाइश नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के लोगों को कागजात उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कव तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

ग्राम कोइलाडांड के अभिलेख सर्वे नायव तहसीलदार कार्यालय (स्थित जनपद गोरखपुर) में उपलब्ध हैं । काश्तकारों के भूमि की पैमाइश सर्वे नायव तहसीलदार द्वारा अपने अभिलेख एवं तहसील कर्मचारियों के सहयोग से की जाती है तथा अभिलेखों की प्रतिलिपि भी नियमानुसार सर्वे नायव तहसीलदर कार्यालय द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज के गांव खड़खड़ियां में चकबन्दी पूर्ण कराने की मांग

2–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के तहसील कैम्पियरगंज के ग्राम खड़खड़िया में विगत चार वर्षों से चकवन्दी प्रक्रिया लम्वित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम की चकवन्दी प्रक्रिया पूरी कराकर भूमि की पैमाइश करायेगी तथा काम्तकारों को कागजात उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कव तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम खड़खड़िया, तहसील कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर का जोत चकवन्दी अधिनियम की धारा 4 क(1) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 19-9-88 को हुआ है तभी से चकवन्दी क्रियायें प्रचलित हैं। उक्त ग्राम में सीमांकन एवं कव्जा परिवर्तन कराकर कृपकों को जोत चकवन्दी आकार-पत्र–35-क का वितरण कर दिया गया है । कार्य योजना के अनुसार समस्त चकवन्दी कार्य पूर्ण करके धारा–52 के अन्तर्गत कार्यवाही 31-12-2000 तक पूर्ण करने की सम्भावना है । शेप का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के क्षेत्र पंचायत फरेन्दा के ग्राम झुनुआ में चकबन्दी का कार्य पूर्ण कराने की मांग

3–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के क्षेत्र पंचायत फरेन्दा के ग्राम झुनुआ में विगत चार वर्षों से चकवन्दी प्रक्रिया लम्वित होने के कारण काश्तकार परेशान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम की चकवन्दी प्रक्रिया पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कव तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्न में उल्लिखित ग्राम–झुनुआ य चक्र की चकबन्दी के अन्तर्गत दिनांक 22-12-90 से लिया गया है जहां चकवन्दी प्रक्रिया प्रचलित है । इसे पूर्ण कराये जाने में अभी समय लगने की सम्भावना है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के ग्राम परवरपारा तहसील हरैया में ग्राम समाज की भूमि, चकमार्ग, चकरास्ता एवं अन्य भूमि पर अनधिकृत कब्जों को हटाने की मांग

4–श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद् लखनऊ के आदेश दिनांक 25-8-90 के अनुपालन में ग्राम परवरपारा तहसील हरैया जनपद बस्ती में ग्राम समाज की भूमि, चकमार्ग, चकरास्ता एवं अन्य भूमि पर अनधिकृत कब्जादारों से भूमि की पैमाइश कराकर क्या कब्जा हटवाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकरनगर में ग्राम पलई कल्याणपुर, थाना सम्मनपुर, तहसील अकबरपुर में कतिपय लोगों द्वारा कब्रिस्तान, मदरसा की भूमि पर कब्जा करने की शिकायत

5–श्री राम अचल राजभर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पलई कल्याणपुर थाना सम्मनपुर तहसील–अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर के निवासी श्री आशिक अली पुत्र श्री राजन आदि ने दि० 25-10-99 को अपर जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर को श्री छांगुर उर्फ छंगू पुत्र श्री राम चरण आदि द्वारा कब्रिस्तान व मदरसा की भूमि पर कब्जा करने के संबंध में पत्र दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जांचोपरान्त कब्रिस्तान की भूमि पर छांगुर उर्फ छंगू अथवा किसी अन्य का कब्जा नहीं पाया गया व मदरसा के नाम ग्राम पलई कल्याणपुर के राजस्व अभिलेखों में कोई भूमि अंकित न होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

6–श्री उवैदुर्रहमान–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी व धारचूला पशुपालन केन्द्रों पर याक पालन की मांग

7–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थानों में पशुपालन क्षेत्र में याक पालन अति लाभदायक है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद के मुनस्यारी व धारचूला के पशुपालन केन्द्रों पर गोवंश नस्ल में सुधार हेतु नर याकों की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी हां ।

वर्तमान में धनाभाव के कारण प्रश्नगत केन्द्रों पर गोवंश नस्ल में सुधार हेतु नर बाकों को उपलब्ध कगया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के ग्राम कोयलपुरा, पोस्ट कटया में रिक्त पड़ी जमीन के आवंटन में हुई अनियमितता को ठीक करने की मांग

8–श्री अजय भट्ट–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद–बस्ती के ग्राम–कोयलपुरा, पोस्ट–कटया में रिक्त पड़ी जमीन को अनुसूचित/पिछड़ी जाति के ऐसे व्यक्तियों को आवंटित की गयी है, जो कि उक्त ग्राम के निवासी ही नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त भूमि को अनु० जाति/पिछड़ी जाति के पात्र व्यक्तियों को आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त ग्राम की खतौनी वर्ष 1383 से 1385 फ० में फर्जी इन्द्राज बतौर पट्टा कर दिया गया है । उक्त ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है अतः फर्जी इन्द्राज निरस्त करने हेतु बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को लिखा गया है ।

चकबन्दी प्रक्रिया के उपरान्त ही उपलब्ध ग्राम समाज की भूमि का आवंटन किया जा सकेगा ।

कृषि निदेशालय के सेवा निवृत्त हुए कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण का मामला

9–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय द्वारा महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी अनुभाग, उ० प्र० इलाहाबाद को दिनांक 24 मार्च, 1999 को कितने पत्र वर्ष 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त हुये कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु भेजे गये थे और उनमें से कितने पत्रों पर कार्यवाही सम्पादित हो गयी है ? क्या निदेशालय द्वारा प्रेषित पत्र पत्रांक-पेंशन/307, दिनांक 24 मार्च, 1999 पर कार्यवाही हो गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त पत्र में उल्लिखित पेंशन के पुनरीक्षण संबंधी कार्यवाही कब तक पूर्ण करा दी जायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

दिनांक 24-3-99 को सात प्रकरण 1-1-86 को सैद्धान्तिक रूप से वेतन निर्धारित करने के पश्चात् महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद को भेजे गये । एक प्रकरण में महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा पेंशन पुनरीक्षित कर दी गयी है ।

जी नहीं ।

कार्यवाही महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा सम्पादित होनी है ।

जनपद जौनपुर में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को धनराशि वितरण की मांग

10–श्री श्रीराम यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में दो ग्राम चयनित किये गये थे जिन्हें 35 हजार रुपये पारितोषिक स्वरूप देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी थी ? क्या इस धनराशि का वितरण जनपद–जौनपुर के ग्रामों को कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामों के चयन की प्रक्रिया चल रही है ।

जिला पंचायत मथुरा द्वारा तहसील अर्डीग अड्डा पड़ाव के ठेकों में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में विधायक कोष्टक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

11–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्डीग तह० अड्डा पड़ाव के ठेके में जिला पंचायत मथुरा द्वारा ठेका निरस्त करके पुनः बोली हेतु तारीख निश्चित किये जाने विषयक अनियमितता के संबंध में विधायक कोष्टक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/ एम–1/25561/ मथुरा/99. दिनांक 20-7-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम जलालपुर तिवारी परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना के गाटा सं० 512 खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जा

12–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के ग्राम जलालपुर तिवारी, परगना–जगदीशपुर तह०–मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर के गाटा सं०–512 क्या खलिहान की सुरक्षित भूमि है ? यदि हां, तो क्या इस पर गांव के कुछ लोगों द्वारा फर्जी पट्टा कराकर कब्जा कर खेती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इस अवैध कब्जेदारी की कोई शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी कर्मचारी तथा अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

सुरक्षित खलिहान की भूमि का किसी प्रकार का कोई आवंटन नहीं हुआ है तथा न ही इस पर किसी के द्वारा कब्जा कर खेती की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के सीमान्त क्षेत्रों में पशुपालन केन्द्रों पर नर भेड़ (भेड़ों)) की व्यवस्था की जानकारी

13–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पशुधन मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़ चमोली, उत्तरकाशी के सीमान्त क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन रहा है ? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में भेड़ों की

संख्या क्या है ? भेड़ों की उन्नतिशील प्रजाति के प्रसार हेतु कितने पशुपालन केन्द्रों में नर भेड़ (मेढ़ों) की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

वर्ष 1993 की पशुगणना के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में46,083, उत्तरकाशी में 89,329 तथा जनपद चमोली में 74,247 भेड़े हैं ।

उक्त जनपदों में कुल 71 भेड़ एवं ऊन प्रसार/मेढ़ा केन्द्रों पर 1171 नर भेड़ (मेढ़ों) की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पशु चिकित्सा केन्द्रों पर पशुओं के उपचार हेतु आवंटित धनराशि बढ़ाने की मांग

14–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशु चिकित्सा केन्द्रों हेतु पशुओं की दवाओं आदि पर वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कुल कितनी धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है ? क्या सरकार पशुओं के उपचार हेतु धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में पशुओं के दवाओं आदि पर आयोजनागत मद में रु० 1,04,31,000/- (एक करोड़ चार लाख इक्तीस हजार) एवं आयोजनेत्तर मद में रु० 59,17,000/- की धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए धनाभाव के कारण पशुओं के उपचार हेतु धनराशि में वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा केन्द्र लालगंज में दवाओं की कमी दूर करने की मांग

15–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में लालगंज तहसील केन्द्र पर स्थित पशु चिकित्सा केन्द्र पर वित्तीय वर्ष 1999-2000 में दवाओं की मद में कुल कितना धन स्वीकृत किया गया है ? क्या सरकार पशु चिकित्सा केन्द्र लालगंज–आजमगढ़ में दवाओं की कमी को दूर करेगी ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में पशु चिकित्सालय लालगंज को रु० 7836.08 धनराशि की दवायें उपलब्ध करायी गयी थी ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण दवाओं की कमी को दूर किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सभी पशु चिकित्सा केन्द्रों पर नियमित डाक्टरों की नियुक्ति की मांग

16–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने चिकित्सा केन्द्रों पर नियमित डाक्टरों की नियुक्ति नहीं की गयी है ? क्या सरकार समयबद्ध सीमा में प्रदेश के सभी पशु चिकित्सा केन्द्रों पर नियमित डाक्टरों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

वर्तमान में कुल 525 पशु चिकित्सालयों पर नियमित डाक्टरों की नियुक्ति नहीं है ।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर नियमित नियुक्तियां की जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज तहसील केन्द्र पर स्थित पशु चिकित्सा केन्द्र के जर्जर भवन के निर्माण की मांग

17–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में लालगंज तहसील केन्द्र पर स्थित पशु चिकित्सा केन्द्र का भवन अत्यधिक जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सा केन्द्र लालगंज के जर्जर भवन के स्थान पर नवीन भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

जी हां ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आजमगढ़ से रु० 3.31 लाख की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। धनराशि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पंचायत बदायूं के नामित अधिकारियों द्वारा पद ग्रहण किये जाने की जानकारी

18–श्री भोलाशंकर मौर्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायतों को दिनांक 19-7-99 को जारी किये गये अधिनियम सं० 33 के द्वारा जिला स्तर के 26 अधिकारियों को जिला पंचायतों के अधिकारी नामित किया गया है ? यदि हां, तो क्या जिला पंचायत बदायूं के उक्त श्रेणी के अधिकारियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है ? यदि हां, तो किस दिनांक से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

दिनांक 19-7-99 को इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं । अपितु उक्त अधिनियम दिनांक 29-7-99 को प्रकाशित किया गया है ।

उपधारा (3) में उल्लिखित अधिकारी धारा 39 की उपधारा (1) में उल्लिखित पद भी धारण करेंगे । अतः अलग से कार्यभार ग्रहण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मथुरा में श्री जगदीश प्रसाद निवासी रैगडपुरा, थाना सदर बाजार की दुकान में आग लगने से हुई क्षति तथा मुआवजा दिलाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

19–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश प्रसाद पुत्र बाल किशन निवासी रैगड़पुरा थाना सदर बाजार जिला मथुरा की दुकान में आग लगने से हुई क्षति को मुआवजा दिलाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी- एम०/वि०को०/एम–1/25502/मथुरा/99, दिनांक 19-7-99 जिलाधिकारी, मथुरा के यहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

संदर्भित पत्रांक के आधार पर सदर तहसील के तहसीलदार से जांच कराई गई । जांच आख्या के आधार पर यह प्रकरण दैवी आपदा के अन्तर्गत न होने के कारण कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

जनपद सहारनपुर में मसाला पीसने वाले मशीन मालिकों से मण्डी शुल्क लिये जाने का औचित्य

20–श्री संजय गर्ग–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि खाद्य पदार्थ धनिया, हल्दी, मिर्च, पीसने वाली मशीनों से जनपद–सहारनपुर में मण्डी शुल्क लिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त कुटीर उद्योगों को मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो जनपद–सहारनपुर में मण्डी शुल्क लिये जाने का आधार क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

फुटकर मसाला पीसने वाले मशीन मालिकों से मण्डी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन मसालों का थोक क्रय कर मशीन से पीस कर विक्री का कार्य करने वाले मशीन मालिकों से मण्डी शुल्क लिया जाता है । इसी प्रकार की व्यवस्था सहारनपुर के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जनपदों में भी लागू है ।

जी नहीं ।

निर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर प्रदेश की समस्त मण्डी समितियों में नियमानुसार मण्डी शुल्क प्राथमिक आवक पर लिये जाने की व्यवस्था है तदनुसार मण्डी शुल्क संग्रह किया जाता है । इसी प्रकार की व्यवस्था सहारनपुर के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जनपदों में भी लागू है ।

प्रदेश में पशुपालन विभाग में समूह–ग के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग

21—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पशुपालन विभाग में समूह–ग के 500 अभ्यर्थियों के रिक्त पदों हेतु दिसम्बर, 1998 में परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

पशुपालन विभाग में समूह "ग" के 692 पदों के लिये दिसम्बर, 1998 में परीक्षा आयोजित की गयी थी ।

परीक्षा के परिणाम के आधार पर 273 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है ।

प्रदेश में आबकारी विभाग में समूह ''ग'' के रिक्त पदों हेतु आयोजित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानकारी

22—श्री संजय गर्ग–

क्या आवकारी मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में आवकारी विभाग में समूह–ग के 88 रिक्त पदों हेतु दिसम्बर, 1998 में परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां ।

जी नहीं ।

आशुलिपिक एवं सहायक लेखाकार के पदों को छोड़कर शेष पदों पर चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी गयी है ।

जनपद मैनपुरी की गांव पंचायत जगतपुर, ब्लाक सुल्तानगंज में हुए प्रधानी चुनाव में नगला देवगंज एवं कटका ग्रामों को मतदाता सूची में शामिल न किये जाने की जानकारी

23–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव पंचायत–जगतपुर, ब्लाक--सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी में दिनांक 25-10-99 को हुये प्रधानी के उप चुनाव में नगला देवगंज एवं कटका ग्रामों के मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल कराये विना प्रधानी का उप चुनाव कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त मतदाताओं को अव मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

इसका कारण ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की त्रुटि है । ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री स्वतंत्र कुमार की लापरवाही के कारण एवं इस हेतु उन्हें निलम्बित किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-कलान, ग्राम-कुण्डलिया के बाढ़ राहत से वंचित ग्रामवासियों को मुआवजा देने विषयक पत्र तथा कृत कार्यवाही

24–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 8-10-98 जो ग्राम कुंडलिया ब्लाक कलान जनपद शाहजहांपुर के बाढ़ राहत से वंचित ग्रामवासियों को मुआवजा दिलाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री, बाढ़ राहत मंत्री, आयुक्त बरेली मण्डल तथा जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मा० सदस्य का पत्र दिनांक 8-10-98 का नहीं बल्कि दिनांक 31-8-98 का प्राप्त हुआ था ।

वर्ष 1998 की बाढ़ के समय ग्राम कुंडलिया ब्लाक कलान जनपद फर्रूखाबाद में सम्मिलित था। बाढ़ प्रभावितों को तत्समय आटा, नमक, माचिस, दाल, मोमबत्ती, चना, गुड़, मिट्टी का तेल आदि वितरित किया गया था। पुनः दिनांक 1-12-98 को उक्त ग्राम जनपद शाहजहांपुर में शामिल हो गया। उक्त ग्राम के बाढ़ प्रभावित पात्र परिवारों को गृह अनुदान के वितरण की सूचना जिलाधिकारी, शाहजहांपुर/फर्रूखाबाद से प्राप्त की जा रही है। यह ग्राम वर्ष 1999 में बाढ़ प्रभावित नहीं हुआ।

प्रदेश के पूर्वांचल के कतिपय जिलों में फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में मृत घोषित कर फर्जी बैनामा व दाखिल खारिज में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

25–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेटा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि माह जुलाई/अगस्त 1999 में प्रदेश के पूर्वांचल के कतिपय जिलों के फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में मृत घोषित लोगों ने "उ० प्र० मृतक संघ" के बैनर तले विधान भवन के सम्मुख प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्जी बैनामा व दाखिल खारिज में लिप्त लोगों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से जिला पंचायत बस्ती द्वारा जिला पंचायत संत कबीर नगर को दी जाने वाली धनराशि शीघ्र भिजवाने की मांग

26–श्री राम ललित चौधरी–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से कितनी धनराशि जिला पंचायत बस्ती से जिला पंचायत संत कबीर नगर को वर्ष 1997-98, 1998-99 में दी जानी थी तथा उसमें से कितनी धनराशि दी गयी है ? जिला पंचायत बस्ती द्वारा जिला पंचायत संत कबीर नगर को देय धनराशि अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार समयबद्ध तरीके से जिला पंचायत संत कबीर नगर को दी जाने वाली धनराशि को शीघ्र भिजवाने का निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

चकबन्दी आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी/उप संचालक चकबन्दी, मिर्जापुर को प्रेषित पत्र में संदर्भित प्रकरण की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के पहले सप्ताह हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत प्रकरण की जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जांच आख्या के आधार पर श्री अ[illegible] कुमार, लेखपाल चकबंदी को दोषी पाया गया था, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित की थी जिसमें कठोर चेतावनी के साथ समाप्त कर दी गई है। किन्तु शासन ने चकबन्दी आयुक्त को निर्देशित किया है कि उक्त कर्मचारी की सत्यनिष्ठा शंकते

हुए इन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये तथा श्री विदेशी राम चकबन्दी कर्ता के विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही 3 माह के अन्दर पूरी करायी जाये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के ग्राम पंचायत धरवासपुर, विकास खण्ड नरायनपुर में सम्मिलित राजस्व ग्राम धरवासपुर शिकारपुर व बरुइयां में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग

28–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत धरवासपुर, वि० ख०–नरायनपुर, जनपद–मिर्जापुर में सम्मिलित राजस्व ग्राम धरवासपुर, शिकारपुर व बरुइयां में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत क्रमशः किस-किस तिथि को धारा 4(2) का प्रकाशन हुआ है ? उक्त राजस्व ग्रामों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त तीनों ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया अवरुद्ध किये जाने से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया शीघ्र समाप्त करने हेतु निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम धरवासपुर का धारा 4(2) का प्रकाशन 1-8-93, ग्राम शिकारपुर का धारा 4(2) का प्रकाशन 31-8-93 तथा ग्राम बरुइयां का धारा 4(2) का प्रकाशन दिनांक 31-8-93 को हुआ ।

ग्राम धरवासपुर में धारा 10 का प्रकाशन दिनांक 31-12-96 को हो चुका है । ग्राम शिकारपुर की पड़ताल का कार्य दिन. 20-7-95 को समाप्त कर दिया गया है तथा ग्राम बरुइयां का धारा 9 का प्रकाशन दिनांक 10-8-99 को हो चुका है ।

उक्त ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया अवरुद्ध नहीं है । इनमें चकबन्दी प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चल रही है । इससे कोई विकास कार्य बाधित नहीं हो रहे हैं ।

इन ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुसार ग्राम धरवासपुर व शिकारपुर का धारा–52 का प्रकाशन क्रमशः फरवरी, 2002 तक तथा मार्च, 2002 तक एवं ग्राम बरुइयां का धारा–52 का प्रकाशन दिसम्बर, 2001 तक किया जाना है, शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के ग्राम धरवासपुर, परगना हवेली, तहसील चुनार में चकबन्दी के दौरान हुए परिवर्तन की जानकारी

29–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम धरवासपुर, परगना–हवेली, तहसील–चुनार, जिला–मिर्जापुर में पिछली चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान गाटा सं० 178 (पुराना नं० 52) रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा जोत आ० पत्र–41 में मुसलततौर पर रास्ता दर्ज है ? यदि हां, तो क्या जो० आ० पत्र 45 में उक्त गाटे की नवैयहत में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम धरवासपुर, परगना हवेली, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर के जोत चकबंदी आकार पत्र–41 में गाटा संख्या–178 मुसल्लमतौर पर रास्ता दर्ज नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी ।

ग्राम धरवासपुर द्वितीय चक्र की चकवंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत है और गाटा संख्या–178 के संबंध में वाद चकवन्दी अधिकारी अदलहाट के समक्ष विचाराधीन है और इस प्रकरण का सम्यक निस्तारण विधि व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा । वाद के त्वरित निस्तारण हेतु चकबन्दी अधिकारी, अदलहाट को निर्देश जारी कर दिया गया है ।

मिर्जापुर, अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड, लो० नि० वि० का विभिन्न मार्गों हेतु भूमि सुरक्षित करने विषयक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र अदलहाट को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

30–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 'अधिशासी अभियन्ता' प्रा० खण्ड, लो० नि० वि० मिर्जापुर का पत्रांक 4591/सी दिनांक 31-11-94, जो विभिन्न मार्गों हेतु भूमि सुरक्षित करने विषयक था और जो चकवन्दी अधिकारी क्षेत्र–अदलहाट, जनपद मिर्जापुर को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

चकवन्दी समिति की राय से 13 गाटों में सम्पर्क मार्ग हेतु 0.521 हे० भूमि सुरक्षित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज, ग्राम रेसी के श्री बृजेश प्रताप सिंह, श्री रण बहादुर सिंह आदि द्वारा ग्राम सभा की सुरक्षित आबादी गाटा संख्या–1843 रकबा का फर्जी इन्द्राज की शिकायत

31–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री बृजेश प्रताप सिंह, श्री रण बहादुर सिंह आदि ग्राम रेसी, तहसील–गौरीगंज का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-11-1999 जिसमें ग्राम सभा की सुरक्षित सामान्य आबादी गाटा सं०–1843 रकबा 11 बिस्वा को पट्टा आधार वर्ष खतौनी में दर्ज कर दिये जाने तथा वही भूमि सुरक्षित खाते में भी दर्ज करने की शिकायत थी, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त भूमि का वास्तविक इन्द्राज क्या है ? क्या सरकार तथाकथित पट्टे की जांच कराकर फर्जी इन्द्राज करने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

नवीन परती (धारा 122 वी 4 एफ का लोभ दिया गया है ।

उप जिलाधिकारी, गौरीगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-6-1992 फर्जी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार विभाग की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

32–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–नं० 099026 दिनांक 28-4-99 परियोजना प्रवन्धक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, मैनपुरी को प्राप्त हुआ है जो कतिपय सड़कों के निर्माण कराये जाने के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पर अव तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मा० सदस्य का पत्र संख्या–099026 दिनांक 28-4-99 परियोजना प्रवन्धक, उ० प्र० भूमि सुधार निगम को दिनांक 30-4-1999 को प्राप्त हुआ । संदर्भित पत्र में 24 ग्रामों से सम्वन्धित रोड़ चिन्हित की गयी है, जिसमें से विश्व वैंक पोषित ऊसर सुधार परियोजना के अन्तर्गत मात्र एक ग्राम सुरजनपुर चयनित था, जिस पर सड़क का निर्माण हो चुका है । पत्र में वर्णित शेष 23 ग्राम विश्व वैंक योजना में चयनित नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज व बेवर में यू० पी० डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट परियोजना में सड़क निर्माण की जानकारी

33–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री कृपया वतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज व वेवर में यू० पी० डाईवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट परियोजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी पेटिंग स्तर तक की सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 1-5-1999 को पत्रांक क–2 नं० 099057 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी को कतिपय सड़कों के निर्माण हेतु दिया गया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव में से कौन-कौन सी सड़क का निर्माण कराया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज में परियोजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि यह ब्लाक यू० पी० डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट परियोजना के अन्तर्गत चयनित नहीं है । ब्लाक–वेवर उक्त परियोजना के अन्तर्गत चयनित है और उसमें निम्नलिखित मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है :––

क्र०सं०	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)
1	एल० वी० मार्ग से दौलतपुर खजुरिया	2.00
2	एल० वी० मार्ग से जाखा	3.00
3	वेवर मोटो मार्ग से नगला पैठ अतनयी कला छुहारेपुर होते हुए अकवरपुर गनी	6.00
4	टखरऊ से जीवनपुर वरौली	2.00

क्र०सं०	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)
5	नवीगंज जशमयी मार्ग से श्यामपुर भटपुरा	3.50
6	चंदुली–मानपुर नहरपुल वाया वाजपुर	2.00
7	जी० टी० मार्ग अकवरपुर वीकू से रामनगरिया	3.00
8	परोखा से लायकपुर से जगतपुर	5.00
	योग :	26.50

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के जिला उद्यान अधिकारी द्वारा आलू उत्पादन लक्ष्य का निर्धारण करने का मामला

34–श्री समर पाल सिंह–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में जिला उद्यान अधिकारी मऊ द्वारा जनपद में कुल कितना मीट्रिक टन आलू उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? लक्ष्य के सापेक्ष्य उत्पादन कितने प्रतिशत हुआ ? क्या यह सही है कि निर्धारित लक्ष्य का आलू पी० सी० एफ० शीतगृह सैमरी जमालपुर एवं पी० सी० एफ० शीतगृह तडियांव (कोपागंज) में रखा गया ? क्या उक्त दोनों शीतगृहों का आलू एक ही शीतगृह में रखा जा सकता था ? यदि हां, तो क्या गलत लक्ष्य निर्धारण के लिये दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

द्यान मंत्री (श्री धनराज यादव)–

जिला उद्यान अधिकारी, मऊ द्वारा जनपद में आलू उत्पादन का लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद जौनपुर, तहसील मछलीशहर के ग्राम सोनहिता में चकरोड़ जोत लिये जाने विषयक श्री दिवाकर सिंह आदि के शिकायती पत्र पर जांच तथा कार्यवाही की मांग

35–श्री वावू लाल कुरील–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद–जौनपुर, तहसील मछलीशहर के ग्राम–सोनहिता में श्री पारसनाथ सिंह, श्री अमरनाथ सिंह, पुत्रगण स्व० लक्ष्मी नारायण सिंह आदि द्वारा पूरी चकरोड जोत लिये जाने के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त के संवंध में माह अक्टूवर, 1999 को जिलाधिकारी, जौनपुर को श्री दिवाकर सिंह आदि का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार संवंधित व्यक्तियों के चक की पैमाइश कराकर चकरोड खाली करायेगी ? यदि हां, तो कव तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी, नहीं ।

सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार, मछलीशहर के यहां बेदखली का वाद 122-बी ज० वि० अ० के अन्तर्गत दर्ज है । निर्णयोपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर में निघासन पशु चिकित्सालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की लगातार अनुपस्थिति के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी

36–डा० कौशल किशोर–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि राम बोला पुत्र श्री सियाराम, निवासी ढसरापुर, ब्लाक व जनपद लखीमपुर में चतुर्थ श्रेणी के पद पर निघासन के पशु चिकित्सालय में तैनात था ? यदि हां, तो वह कब से कार्यालय नहीं गया है ? इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

दिनांक 11-10-95 से कार्यालय पर नहीं उपस्थित हुआ है ।

इस सम्बन्ध में पशु चिकित्सा अधिकारी, खीरी ने अपने पत्र दिनांक 20-10-95 व 30-10-95 द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, खीरी को सूचित करते हुए दिनांक 31-10-95 को श्री रामबोला के घर पर पत्र भेजकर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया ।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 30-10-95 द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी को श्री रामबोला का वेतन रोकने एवं श्री रामबोला को डियूटी पर उपस्थित होने हेतु पंजीकृत पत्र द्वारा सूचित किया । दिनांक 31-10-95 को श्री रामबोला के पिता द्वारा श्री रामबोला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना निघासन, खीरी में दर्ज करायी गयी है, जो विवेचनाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हाथरस के जिला मुख्यालय के निर्माण हेतु जमीन का अधिग्रहण तथा धन के आवंटन का प्रकरण

37–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के जिला मुख्यालय के निर्माण हेतु क्या जमीन का अधिग्रहण तथा धन का आवंटन कर लिया गया है ? यदि हां, तो कहां पर कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा कब से निर्माण कार्य शुरु हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

1—जनपद हाथरस के मुख्यालय हेतु भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित धारा 4(1)/17 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है तथा प्रतिकर भुगतान हेतु रु० 320 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ।

2—ग्राम खोखना तथा दादनपुर ढकपुरा में 200 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 4(1)/17 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है ।

3—भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने एवं धनराशि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

4—प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा श्री इन्द्रपाल की नियुक्ति व सेवा समाप्ति का मामला

38–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा श्री इन्द्रपाल की नियुक्ति जीप चालक के पद पर दिनांक 13 अक्टूबर, 1995 को की गयी थी ? क्या यह सही है कि पत्रांक 96/स्था०–1/ पी० आर०/98 दिनांक 7-4-98 को उसकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 23-10-99 को जांचोपरान्त जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा उक्त कर्मचारी को चतुर्थ श्रेणी पद पर पुनः समायोजित करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन आदेशों का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पांण्डेय–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, जिला पंचायत राज अधिकारी, हरदोई की आख्या दिनांक 8-10-99 की प्रति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए पृष्ठांकन के रूप में जिलाधिकारी, हरदोई ने मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई को उक्त पत्र की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित की थी कि श्री इन्द्रपाल को चतुर्थ श्रेणी के पद पर समायोजित करने का कष्ट करें । आदेशों का अनुपालन इस कारण नहीं किया गया क्योंकि तृतीय श्रेणी के पद हेतु आवेदक अर्ह नहीं है और आवेदक के प्रार्थना-पत्र के अनुसार चतुर्थ श्रेणी का पद जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सृजित/रिक्त नहीं है ।

फर्रुखाबाद में श्री गौरीशंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक, कलेक्ट्रेट का वेतन निर्धारण कर पेंशन, पुनरीक्षण प्रकरण महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद को न भेजे जाने का कारण

39–श्री रामपाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि शासनादेश संख्या–सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24-8-1998 के अनुसार श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय जिला अधिकारी, (फतेहगढ़) फर्रुखाबाद का दिनांक 1-7-1979 व 1-1-1986 के क्रम में नोशनल वेतन निर्धारित करके पेंशन पुनरीक्षित प्रकरण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आज तक न भेजें जाने के क्या कारण हैं ? सरकार कब तक पेंशन पुनरीक्षित प्रकरण महालेखाकार को भेजना सुनिश्चित करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

संदर्भित शासनादेश के अनुपालन में श्री गौरीशंकर श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त कार्यालय अधीक्षक, कलेक्ट्रेट, फर्रुखाबाद का नोशनल वेतन निर्धारण किया जा चुका है । जिलाधिकारी कार्यालय के पत्रांक–285/छः विविध(98-99)/वी०सी०, दिनांक 16-10-99 द्वारा पेंशन पुनरीक्षित हेतु प्रकरण महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद को भेजा जा चुका है ।

जनपद महराजगंज व गोरखपुर में आयी भयंकर बाढ़ से तहसील फरेन्दा व कैम्पियरगंज में क्षतिग्रस्त मकानों की क्षतिपूर्ति देने की मांग

40–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–महराजगंज व गोरखपुर में वर्ष 1997-98 में आयी भयंकर बाढ़ से फरेन्दा तहसील व कैम्पियर गंज, गोरखपुर में मकानों की क्षतिपूर्ति हेतु क्या

आर्थिक सहायता दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त जनपदों में बाढ़ से हुये नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की क्षतिपूर्ति के वितरण का कोई प्राविधान नहीं है । क्षतिग्रस्त मकानों के गृह स्वामियों को दैवी आपदा राहत निधि से गृह अनुदान दिये जाने का प्राविधान है । वर्ष 1998 में तहसील कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर में कुल 61 ग्रामों में गृह अनुदान के रूप में रु० 21,12,600/- का वितरण किया गया है । शेष पात्र परिवारों में वितरण किया जा रहा है । जनपद महराजगंज से गृह अनुदान के वितरण की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । विस्तृत विवरण जिला अधिकारी, गोरखपुर एवं महराजगंज से प्राप्त किया जा रहा है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में ग्राम अरवल, गाटा संख्या–613 पर किसी अवैध कब्जे को हटाने की मांग

41–श्री चेतराम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व पो० अतवारा, तहसील मुसाफिरखाना, जनपद सुल्तानपुर की भूमि गाटा संख्या 613 पर इसी ग्राम के कुछ लोगों ने अस्थाई झोपड़ी बनाकर मिनी राइस मिल लगा ली है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में अतवारा नाम का कोई ग्राम नहीं है । तहसील मुसाफिरखाना के इसौली परगना में अरवल नाम का ग्राम है, जिसके गाटा संख्या–613 षट् वार्षिक खतौनी सन् 1402 से 1407 फसली के खाता संख्या–6 पर अब्दुल अजीज पुत्र हसनरजा निवासी ग्राम–पारा के नाम संक्रमणीय भूमि दर्ज है । इस भूखण्ड में किसी राइस मिल का निर्माण नहीं हुआ है ।

तहसील मुसाफिरखाना, परगना–बसौली, ग्राम–अरवल में स्थित भूमि संख्या–613 संक्रमणीय खाते की भूमि है, अतः सरकारी भूमि न होने के कारण कब्जा हटाने की कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता हेतु जाने वाली टीम पर व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण, विजयी प्रतियोगी को देय नगद पुरस्कार न देने का कारण

42–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता 1995-96 हेतु प्रदेश सिविल सर्विसेज वेट लि० टीम पर आने जाने वाला व्यय का 75 प्रतिशत रुपया खिलाड़ियों को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शेष 25 प्रतिशत धनराशि टीम मैनेजर को पदक प्राप्त खिलाड़ियों की सूची बिना उपलब्ध कराये ही उन्हें भुगतान कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों के मूल प्रमाण-पत्र जमा कराये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन खिलाड़ियों को शासन द्वारा अभी तक नियमानुसार दिया जाने वाला नगद पुरस्कार नहीं दिया गया है ? क्या वर्ष 1995-96 के अन्य खेलों के विजयी खिलाड़ियों को भी पुरस्कार नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त खिलाड़ियों के मूल प्रमाण-पत्र एवं नगद पुरस्कार दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह)–

जी हां ।

जी हां । टीम मैनेजर द्वारा प्रतियोगिता सम्बन्धी अवशेष धनराशि की मांग व्यय विवरण के आधार पर की गयी थी ।

जी नहीं । टीम मैनेजर द्वारा विजयी खिलाड़ियों के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

टीम मैनेजर द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पुरस्कृत किये जाने वाले खिलाड़ियों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी ।

जी नहीं ।

शासनादेश संख्या 3642/बयालिस-95/9/एसपी/8/94, दिनांक 29-2-96 के प्रस्तर–4 में विद्यमान व्यवस्था के आधार पर अब नियमानुसार भुगतान सम्भव नहीं है ।

43–श्री उबैदुर्रहमान–

[2रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चित्रकूट में भूमि संरक्षण इकाई राष्ट्रीय जलागम कर्वी प्रथम द्वारा वर्ष 95-96 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत परियोजना बगरेही तृतीय एवं खरौंधप्रथम द्वारा कराये गये कार्यों की बकाया मजदूरी का भुगतान कराने की मांग

44–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में भूमि संरक्षण इकाई राष्ट्रीय जलागम कर्वी प्रथम द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत परियोजना बगरेही एवं खरौंध में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कतिपय कार्य कराये गये थे ? यदि हां, तो क्या श्रमिकों की मजदूरी बकाया है ? यदि हां, तो श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

भूमि संरक्षण इकाई, राष्ट्रीय जलागम कर्वी प्रथम, जनपद चित्रकूट द्वारा वर्ष 95-96 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत परियोजना बगरेही तृतीय एवं खरौंध प्रथम में कार्य कराया गया था ।

जी हां, परियोजना बगरेही तृतीय में 6382 मानव दिवसों की रु० 211895.00 तथा खरौंध प्रथम की 5819 मानव दिवसों की रु० 192027.00 कुल 12201 मानव दिवसों की मजदूरी अंकन 403922.00 बकाया है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चित्रकूट से धन प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट में स्प्रिंकलर सेट निर्माता कम्पनियों के नोजल/पाइप परीक्षण रिपोर्ट मानक के अनुरूप प्राप्त होने के बाद अनुमन्य बकाया अनुदान राशि का भुगतान

45–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में जनपद चित्रकूट में स्प्रिंकलर सेट निर्माता कम्पनियों के नोजल/पाइप परीक्षण रिपोर्ट मानक के अनुरूप प्राप्त होने के बाद भी अनुमन्य अनुदान राशि का तीन प्रतिशत भुगतान करना शेष है ? यदि हां, तो किन-किन निर्माता कम्पनियों का भुगतान बकाया है ? क्या बकाया अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

46—श्री अजय कुमार पोइया–

[3रे बुधवार में अता० प्र० सं०–188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय-निर्माण योजना में लाभान्वित ग्रामों की जानकारी

47–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत पौने दो सौ शौचालय बनाये जाने की योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 1999-2000 में किये जाने के अन्तर्गत जनपद हरदोई के मल्लावां–91 विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 177 शौचालय बनाये जाने की योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 1999-2000 में किये जाने के अन्तर्गत जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम गौरा (माधौगंज), सोन्हार (माधौगंज), फुलई (मल्लावां), अटवारा–चकोला (मल्लावां) तथा तेरिया–भवानीपुर (मल्लावां) को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर , ब्लाक जैतीपुर के ग्राम पिपरथरना में ओमेन्द्र पाल सिंह का उद्यान विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों में हुई धांधली सम्बन्धी शिकायती पत्र/कृत कार्यवाही

48–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंकरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ओमेन्द्र पाल सिंह, ग्राम पिपरथरना ब्लाक जैतीपुर (शाहजहांपुर) का शिकायती-पत्र दिनांक 26-7-1999 जो उद्यान विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों में व्यापक धांधली की जांच के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर शिविर कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद जौनपुर में बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को आई० सी० डी० पी० योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं वन निगम द्वारा तेंदू पत्ता आवंटन तथा बीड़ी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना की सुविधा की मांग

49–श्री अफजाल अहमद–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जौनपुर जनपद में बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियां पंजीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत समितियों को आई०सी०डी०पी० योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं वन निगम द्वारा तेंदू पत्ता आवंटन तथा बीड़ी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

जी हां ।

पंजीकृत बीड़ी औद्योगिक सहकारी समितियों को आई० सी० डी० पी० योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई । पंजीकृत बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को वन निगम द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अनुसार तेंदू पत्ता आवंटन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । जिन बीड़ी श्रमिकों को परिचय पत्र प्राप्त हो चुका है, उन सभी बीड़ी श्रमिकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर में धामपुर तहसील कार्यालय के निर्माण की मांग

50–श्री मूलचन्द–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि धामपुर जनपद बिजनौर में तहसील कार्यालय के निर्माण हेतु स्योहारा आर०एस०एम० महाविद्यालय मार्ग पर जमीन उपलब्ध है ? यदि हां, तो उस पर कब तक तहसील कार्यालय बनवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

भवन निर्माण हेतु आंगणन के परिक्षणोपरान्त धनराशि की व्यवस्था होने पर यथासमय कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बांदा में भूमि संरक्षण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय जलागम इकाई द्वारा विकास खण्ड नरैनी के ग्राम महवरा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मेड़बन्दी के कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

51–श्री बाबू लाल कुशवाहा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1994-95 व 1995-96 में भूमि संरक्षण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय जलागम, बांदा इकाई द्वारा विकास खण्ड नरैनी के ग्राम गहवरा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मेड़ बन्दी का कार्य कराया गया था ? क्या यह सही है कि उसमें कार्य करने वाले

श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? मजदूरी का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

केवल वर्ष 94-95 में भूमि संरक्षण इकाई (रा० जला०) बांदा द्वारा विकास खण्ड नरैनी के ग्राम गहबरा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मेड़बंदी का कार्य कराया गया था ।

जी हां, ग्राम गहबरा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में कुल धनराशि रु० 874796.00 का कार्य सम्पन्न कराया गया था, जिसमें से धनराशि रु० 660131.00 का भुगतान किया जा चुका है और धनराशि रु० 214665.00 का भुगतान किया जाना अवशेष है ।

अवशेष दायित्व हेतु धनराशि रु० 214665.00 उपलब्ध कराने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा से भूमि संरक्षण अधिकारी (रा० जला०), बांदा द्वारा अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक दायित्वों के विरुद्ध धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, जिससे यह भुगतान सम्भव नहीं हो सका है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से सृजित दायित्वों के भुगतान हेतु धन की मांग की गयी है, जैसे ही धन प्राप्त होगा, मजदूरों का भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में भवन विहीन पशु चिकित्सालयों हेतु भवन उपलब्ध कराने की मांग

52–श्री कृष्ण चन्द्र पुरेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में कुल कितने पशु सेवा केन्द्र/पशु चिकित्सालय हैं ? उनमें से कितने चिकित्सालयों के पास अपने भवन हैं तथा कितने किराये के भवन में चल रहे हैं ? क्या सरकार भवन विहीन पशु सेवा केन्द्रों/चिकित्सालयों के भवन निर्माण कराये जाने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में 35 पशु चिकित्सालय तथा 68 पशु सेवा केन्द्र कार्यरत हैं ।

11 पशु चिकित्सालय तथा 40 पशु सेवा केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनाभाव के कारण पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन की भूमि संरक्षण इकाई जलागम उरई द्वारा ग्राम काशीरामपुर में घास रोपण तथा नाला निर्माण के कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी के भुगतान की जानकारी

53–श्री श्रीराम पाल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि भूमि संरक्षण इकाई, जलागम, उरई जालौन द्वारा ग्राम काशीरामपुर में घास रोपण तथा नाला निर्माण के कार्य में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न किये जाने की शिकायत श्री गंगादीन मेट द्वारा दिनांक 2-11-99 को किये जाने के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी, जालौन, उरई द्वारा श्री राकेश कुमार पटैरिया, अवर अभियन्ता, डी०आर०डी०ए०, उरई द्वारा जांच आख्या एक सप्ताह के अन्दर मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्या मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर, ग्राम जल्लापुर खद्दया में पशु चिकित्सालय खोलने की मांग

54–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जल्लापुर खद्दया ब्लाक –बेवर, जनपद–मैनपुरी में पशु चिकित्सालय खोले जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-10-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

ग्राम्य जल्लापुर खद्ददया क्षेत्र पंचायत बेवर जनपद मैनपुरी में पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में पशु चिकित्साधिकारी, बेवर से जांच कराई गई है, जांचोंपरान्त इस ग्राम में पशु चिकित्सालय खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, तहसील-भोगांव ब्लाक-किशनी में कुसमरा देहात को गांव सभा गठित करने की जानकारी

55–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायतीराज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक किशनी तहसील–भोगांव, जनपद–मैनपुरी में कुसमरा देहात को गांव सभा/पंचायत गठित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा-कुसमरा में सम्मिलित राजस्व ग्राम-कुसमरा, हरचन्द्रपुर व नगला भोपत को सम्मिलित कर कुसमरा के नाम से नगर पंचायत गठित की जा चुकी है । ग्राम कुसमरा का अन्य कोई ग्राम या मजरा शेष न रहने के कारण कुसमरा देहात के नाम से गांव सभा/पंचायत गठित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद बस्ती की तहसील बस्ती के अन्तर्गत कतिपय गांवों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से पीड़ितों को सहायता देने की मांग

56–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998-99 में तहसील व जनपद–बस्ती के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मनपुर, करमी बुजुर्ग, पठानपुर खाखोड़ा, लौवाड़ा, गोरिया, और कम्हरिया में कितने मकान पूर्ण रूप से बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गये ? क्या सरकार उक्त पीड़ितों को आवास बनवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । वर्ष 1998-99 की बाढ़ से जनपद बस्ती के तहसील बस्ती के ग्राम-लक्ष्मनपुर में 17 मकान, ग्राम करमी बुजुर्ग में 25 मकान,, ग्राम पठानपुर खखोड़ा में 6 मकान, लौवाड़ा में 7 मकान.

गोरिया में 12 मकान तथा ग्राम कम्हरिया में 23 मकान बाढ़ एवं अतिवृष्टि से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे ।

जी नहीं । सभी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को क्षतिग्रस्त मकानों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु पात्रता के आधार पर नियमानुसार गृह अनुदान की सहायता उपलब्ध करा दी गई है ।

जनपद अम्बेडकर नगर में जिला मुख्यालय एवं अन्य जनपदीय कार्यालयों के निर्माण की मांग

57–श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में जिला मुख्यालय एवं अन्य जनपदीय कार्यालय के निर्माण पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपदीय कार्यालयों के अविलम्ब निर्माण हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

संबंधित याचिकाओं को मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31-1-2000 को निरस्त किया जा चुका है तथा निर्माण कार्य हेतु धनराशि की व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है ।

लखनऊ संयुक्त कृषि निदेशक, प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के अधीन कार्यरत कतिपय दैनिक श्रमिकों को सेवा से पृथक करने का कारण तथा पुनः सेवा में लेने का औचित्य

58–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि संयुक्त कृषि निदेशक, प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, लखनऊ के अधीन कार्यरत कतिपय दैनिक श्रमिकों को दिनांक 30-6-1992 को सेवा से पृथक कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सर्वश्री महेश पाण्डेय, सुरेन्द्र बहादुर तथा रंजन लाल को दिनांक 6-2-1995 को पुनः सेवा में ले लिया गया ? क्या इनसे वरिष्ठ श्री मनोज कुमार को अभी तक सेवा में नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी को दण्डित करते हुए वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां, उस समय दैनिक श्रमिकों के लिये कोई भी शासकीय कार्य नहीं था ।

जी हां, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के अन्तरिम आदेश दिनांक 6-1-1993 के अनुपालन में इन्हें पुनः दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखा गया ।

जी हां, माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 12-1-1993 के अनुपालन में कार्य न होने के कारण श्री मनोज कुमार को कार्य पर नहीं रखा गया है ।

जी नहीं ।

याची द्वारा दायर की गई रिट याचिका का विरोध करने हेतु प्रतिशपथपत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है ।

जनपद अम्बेडकर नगर के मण्डी समिति टाण्डा के अन्तर्गत पौसरा राजबहा की पटरी पर होते हुए बरुआ जलाकी से मोहिउद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करने की मांग

59–श्री लालजी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के मण्डी समिति टाण्डा के अन्तर्गत पौसरा राजबहा की पटरी पर होते हुए बरुआ जलाकी से मोहिउद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग खड़ण्जा से

लेपन स्तर तक स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

कार्य मई, 2000 तक पूर्ण करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैकेज घोषणा में जनपद मेरठ के मोदीपुरम्-कल्लवपुरम् क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय के निर्माण की सरकार की योजना

60–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैकेज घोषणा में जनपद मेरठ के मोदीपुरम्-पल्लवपुरम् क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय के निर्माण की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह योजना पूर्ण हो जायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम् की औपचारिक स्थापना हेतु कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश संख्या 6 सन् 2000 दिनांक 3 मार्च, 2000 को प्रकाशित हो चुका है ।

उक्त कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद मेरठ के सरधना नगर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित गेस्ट हाऊस में फर्निशिंग व विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी

61–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ के सरधना नगर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित गेस्ट हाऊस में फर्निशिंग व विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

यथाशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा ।

दुग्ध विकास विभाग के अधीन संस्थापित महिला डेरी परियोजना (उत्तरांचल) द्वारा उत्पादित दूध से विभाग को प्राप्त लाभ की जानकारी

62–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दुग्ध विकास विभाग के अधीन संस्थापित महिला डेरी परियोजना (उत्तरांचल) ने वर्ष 1998-99 में कुल कितना दुग्ध उत्पादन किया ? दुग्ध व्यवसाय में उक्त उत्पादित दूध से विभाग को कुल कितना लाभ हुआ ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयपाल सिंह)–

महिला डेरी परियोजना (उत्तरांचल) द्वारा उत्तरांचल के सभी 12 जनपदों में महिला दुग्ध समितियां गठित कर दुग्ध-संग्रह/उपार्जन करवाया जा रहा है न कि दुग्ध उत्पादन । यह दूध समितियों के माध्यम से सीधे संबंधित दुग्ध संघ को भेज दिया जाता है । वर्ष 1998-99 में कुल 19,45,899 लीटर दुग्ध-उपार्जन किया गया है ।

दुग्ध व्यवसाय से प्रारम्भिक दुग्ध समितियों अथवा दुग्ध संघ को लाभ होना है, विभाग को नहीं । अतः दुग्ध व्यवसाय से विभाग को लाभ होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद जौनपुर, तहसील शाहगंज, ग्राम-राजेपुर की फसली वर्ष 1370 से 1374 के मध्य दर्ज भूमि के अभिलेखों में किये गये फेरबदल की जांच

63–श्री अफजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम राजेपुर, तहसील शाहगंज जिला जौनपुर की फसली वर्ष 1370 से 1374 के मध्य ग्राम सभा की कितनी भूमि दर्ज थी ? क्या वह 15 नवम्बर, सन् 1999 को भी दर्ज है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्राम सभा की भूमि के हस्तान्तरण के अभिलेखों के आधार पर जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

क्योंकि दिनांक 3-3-76 को 107 आवंटियों के पक्ष में गांव सभा भूमि का आवंटन किया गया है तथा दिनांक 30-7-76, 24-1-77 व दिनांक 12-8-97 को ग्राम सभा भूमि का कतिपय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पक्ष में धारा 122 बी (4) एफ० ज०वि०अ० के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण का आदेश पारित किया गया है ।

किसी प्रकार की शिकायत अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण हस्तांतरण के अभिलेखों के आधार पर जांच की आवश्यकता नहीं पाई गयी ।

जनपद जौनपुर, तहसील शाहगंज, ग्राम-राजेपुर की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

64–श्री अफजाल अहमद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम राजेपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश जिलाधिकारी जौनपुर को दिनांक 23 मार्च, 1990 को तथा दिनांक 28 नवम्बर, 1992 उनके द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम राजेपुर, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के उद्देश्य से सन् 1990 से 1992 के मध्य सर्वेक्षण कराकर कुल 40 अवैध अध्यासियों के विरूद्ध धारा 122 बी० जमी० वि० अ० के अन्तर्गत तहसीलदार शाहगंज/अपर तहसीलदार शाहगंज के न्यायालय में बेदखली की कार्यवाही की गई । निर्णयोपरान्त 12 अवैध अध्यासियों के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित कर गांव सभा भूमि से बेदखल किया गया । शेष 28 व्यक्तियों का अध्यासन अवैध सिद्ध न होने के कारण कार्यवाही समाप्त की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चम्पावत कृषि अनुसन्धान केन्द्र सुई (लोहाघाट) को संचालित रखने की मांग

65–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को यह जानकारी है कि पन्त नगर विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा संचालित कृषि अनुसन्धान केन्द्र सुई (लोहाघाट) जिला चम्पावत को बन्द कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त

कृषि अनुसन्धान केन्द्र से काफी कृषक लाभान्वित हो रहे थे ? यदि हां, तो क्या सरकार व्यापक जनहित के ध्यान में रखते हुए उसे पूर्ववत् बनाये रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जी नहीं । पंतनगर विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा संचालित कृषि अनुसंधान केन्द्र सुई पूर्ववत कार्य कर रहा है ।

जी हां । वर्तमान में भी केन्द्र के संचालन से कृषक लाभान्वित हो रहे है ।

चूंकि कृषि अनुसंधान केन्द्र सुई पूर्ववत् कार्य कर रहा है, अतः इसे पूर्ववत् बनाये रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, तहसील गोवर्धन में निताई घोर सेवा कमेटी द्वारा भूमिहीनों को पट्टे उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

66-श्री अजय कुमार पोइया--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि निताई घोर सेवा कमेटी गोवर्धन तहसील व जिला मथुरा के भूमिहीनों को पट्टे उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या-सी०एम०/वि०को०/ एम-1/21957/मथुरा/99, दिनांक 2-4-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

राजस्व विभाग में सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी प्रकरण की जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि बंगाली समुदाय के व्यक्ति अपने समुदाय के व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटित कराना चाहते हैं । यह समस्त पश्चिमी बंगाल के निवासी हैं तथा गोवर्धन एवं राधा कुण्ड स्थित मन्दिरों में पूजा-अर्चना करते हैं । यहां के मूल निवासी न होने के कारण पात्रता की श्रेणी में नहीं आते । अतः उन्हें आवास स्थल आवंटित किया जाना सम्भव नहीं है ।

67--श्री अजय कुमार पोइया--

(अश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद मथुरा गोवर्धन क्षेत्र के ग्राम सकरवां को चकबन्दी से बाहर किये जाने के कारण विधायक कोष्ठक में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

68--श्री अजय कुमार पोइया--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन क्षेत्र जनपद मथुरा के ग्राम सकरवां को चकबन्दी से बाहर किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/ एम-21958/ मथुरा/99, दिनांक 2-4-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां ।

ग्राम सकरवां तहसील व जिला मथुरा को चकबन्दी क्रियाओं से पृथक कराने के लिए जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, मथुरा का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । जिस पर प्रश्नगत ग्राम सकरवां तहसील व जनपद मथुरा को धारा-6 (1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है ।

जनपद सुल्तानपुर तहसील मुसाफिरखाना, ग्राम घोसियान मजरे जलालपुर, तेवारी के खलिहान चकरोड पर अवैध कब्जा करने की शिकायत तथा कृत कार्यवाई

69–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुसाफिरखाना, जनपद सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री असगर अली पुत्र शौकत अली, निवासी ग्राम घोसियान मजरे जलालपुर, तेवारी, तहसील मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर का रजि० पत्र दिनांक 8-9-99 जो खलिहान, आबादी चकरोड पर अवैध कब्जा कर पेड़ लगाने तथा उसका निजी उपयोग करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

दिनांक 18-11-99 को उप जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पुलिस बल व राजस्व कर्मचारियों की सहायता से पैमाइश करवाकर अवैध कब्जा हटवा दिया गया । गाटा सं०–442 पर से बेदखली व क्षतिपूर्ति का वाद तहसीलदार मुसाफिरखाना के न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर, तहसील बदलापुर, ग्राम भेलूपुरा की भूमि गाटा संख्या–109 पर अवैध कब्जे हटाने की मांग

70–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम भेलूपुर न्याय पंचायत–जोखापुर, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर के गाटा संख्या–109 में 1 एकड़ 14 डिसमिल जो ग्राम समाज की भूमि है, को जीतू नाविक पुत्र श्री मिरथाई नाविक एवं अन्य को वर्ष 1999 में आवंटित की गयी है ? क्या उक्त ग्राम समाज की भूमि को श्री इकबाल अहमद ने अपने नाम रजिस्ट्री करायी है ? यदि हां, तो कब ? क्या यह भी सही है कि उक्त गाटा सं०–109 में जीतू नाविक का मकान बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इकबाल अहमद के पक्ष में की गयी रजिस्ट्री को अवैध करार करते हुए आवंटित धारक के प्रति न्याय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ में मण्डी परिषद् द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्राप्त पत्रों पर कृत कार्यवाई की जानकारी

71–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डी परिषद् द्वारा मार्गों की स्वीकृति के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के पत्र सी०एम०/वि०को०/एम–1/23014/प्रतापगढ़/99, दिनांक 5-5-99 पत्र संख्या 23844/प्रतापगढ़/99, दिनांक 27-5-99 एवं पत्र सं०–25349/प्रतापगढ़/99, दिनांक 16-7-99 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सम्पर्क मार्ग के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में मण्डी समिति प्रतापगढ़ को वित्तीय स्थिति एवं प्रस्तावित कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से प्रस्ताव मांगा गया है, जो अभी अप्राप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

72-श्री उबैदुर्रहमान–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सिद्धार्थ नगर के चकबन्दी विभाग में किये गये स्थानान्तरण के विरुद्ध स्थगनादेश द्वारा लगी रोक तथा अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितता पर कार्यवाही की जानकारी

73–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के चकबन्दी विभाग में कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण इस वर्ष किया गया था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से स्थानान्तरण रोक दिया गया है ? उक्त अधिकारियों के स्थगन आदेश निरस्त करने के लिए विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं के आरोप भी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

इस वर्ष जनपद सिद्धार्थनगर से मात्र एक अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी क स्थानान्तरण किया गया था जो उक्त अधिकारी द्वारा दायर रिट सं०–22851/99 में पारित मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 28-5-99 द्वारा स्थानान्तरण आदेश रोक दिया गया ।

मा० उच्च न्यायालय में प्रति उत्तर दिनांक 1-9-99 को दाखिल किया जा चुका है ।

जी हां ।

शिकायत की जांच उप संचालक चकबन्दी, बस्ती से कराई गई है । जांचोपरान्त इन्हें निलम्बित कर आरोप पत्र जारी किया गया । निलम्बन आदेश के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश दिनांक 4-2-2000 प्राप्त हुआ है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज की विभिन्न खेल स्पर्धाओं में जाने वाली उत्तर प्रदेश की समस्त टीमों को अनुमन्य रेल किराया, दैनिक भत्ता आदि का भुगतान कराने की मांग

74–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज की विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्तर प्रदेश राज्य की टीमों को वर्ष 1998-99 में भाग लेने हेतु अनुमन्य रेल किराये, दैनिक भत्ता एवं अन्य व्यय का 75 प्रतिशत धन उपलब्ध कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त टीमों को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि केवल कबड्डी टीम को ही सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या शेष टीमों को अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब तक शेष टीमों को अवशेष धनराशि भुगतान न करने के लिए दोषीजनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुँवर रघुराज प्रताप सिंह–

जी हां । अनुमन्यता, मांग एवं उपलब्धता के आधार पर टीमों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ।

जी नहीं, सम्यक व्यय विवरण के अभाव में कतिपय मामले परीक्षणाधीन हैं ।

जी नहीं । कबड्डी टीम के अतिरिक्त और टीमों को भी भुगतान किया गया है । प्रत्येक प्रकरण में वास्तविक व्यय विवरण व साक्ष्य प्राप्त होने पर सम्यक परीक्षणोपरान्त नियमानुसार ही भुगतान संभव है । टीमों के व्यय विवरण के प्रस्तुतिकरण व परीक्षणोपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उटता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आजमगढ़ के सभी पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति करने की मांग

75–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कुल पशु चिकित्सा केन्द्रों के सापेक्ष कितने डाक्टरों की कमी है ? क्या सरकार सत्र, 1999-2000 तक जनपद आजमगढ़ के सभी चिकित्सा केन्द्रों पर डाक्टरों की नियमित नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद आजमगढ़ के समस्त पशु चिकित्सालयों के सापेक्ष 18 पशु चिकित्सकों की कमी है ।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियुक्ति की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज पावर लिफ्टिंग प्रतियोगता के खिलाड़ियों तथा कबड्डी टीम को कलर (ट्रैक सूट) दिये जाने की मांग

76–श्री लवकुश कुमार–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 की अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो त्रिरुअनन्तपुरम (केरल) में आयोजित थी, के लिए प्रदेशीय पावर लि० टीम के खिलाड़ियों को कलर (ट्रेक सूट) प्रदान कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसी वर्ष की कबड्डी टीम को कलर (ट्रेक सूट) प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो प्रदेशीय पावर लि० टीम के खिलाड़ियों को कलर (ट्रेक सूट) कब तक प्रदान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुँवर रघुराज प्रताप सिंह–

जी नहीं ।

प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु टीम प्रस्थान कर चुकी थी । खेल अनुभाग से कबड्डी टीम को कलर (ट्रैकसूट) प्रदान करने संबंधी कोई आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं । प्रतियोगिता से वापसी के उपरान्त ट्रैकसूट दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है । औचित्य पूर्ण न होने के कारण ।

जनपद मेरठ के सरधना क्षेत्र की मण्डी परिषद् से ग्राम चिन्दोड़ी होते हुए ग्राम चरला तक स्वीकृत सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग

77–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना विधान सभा क्षेत्र, जनपद मेरठ की मण्डी परिषद् से ग्राम चिन्दोड़ी होते हुए ग्राम चरला तक सड़क स्वीकृत है ? यदि हां, तो कितना धन उक्त सड़क के निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ ? कब तक उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

रु० 10.81 लाख ।

मई, 2000 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद मैनपुरी की तहसील मैनपुरी की कतिपय ग्राम सभाओं में लम्बित चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने हेतु धारा–52 के प्रकाशन की मांग

78–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में किस-किस तहसील में कितने ऐसे ग्राम हैं जिनमें 20 वर्ष से अधिक चकबन्दी प्रक्रियायें प्रारम्भ हुए बीत गये हैं और चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है ? क्या सरकार धारा 52 का प्रकाशन शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद मैनपुरी की तहसील मैनपुरी के 2 ग्राम एवं तहसील भोगांव के 4 ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत 20 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है जिनमें जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–52(1) के अन्तर्गत प्रकाशन की कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी है ।

उक्त ग्रामों में से ग्राम बेवर देहात, घुटारा मासूमपुर, भांवत, सयान एवं औडेन्य पड़रिया में मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं में स्थगन आदेश पारित किये हैं तथा एक ग्राम नौनेर में 652 आपत्तियां, 48 अपीलें एवं 9 निगरानियां लम्बित हैं । उक्त मामले में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन है इसलिए इन ग्रामों का कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है । उक्त मामलों के निस्तारण के उपरान्त ही इन ग्रामों का कार्य पूर्ण कराकर धारा–52 (1) के अंतर्गत प्रकाशन की कार्यवाही कराया जाना संभव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला के मोहल्ला रफी नगर में बड़ी मस्जिद व दूसरी दाहा मस्जिद व बाजार के पास स्थित शराब की दुकान को अन्यत्र हटाने की मांग

79–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला के मोहल्ला रफी नगर में बड़ी मस्जिद व दूसरी दाहा मस्जिद व मजार से लगभग 25 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान स्थित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शराब की दुकान अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के अनुसूचित जाति के पट्टेदारों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने विषयक विधायक प्रकोष्ठ से प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा के अनुसूचित जाति के पट्टेदारों के सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यवाही करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम/

22033/ मथुरा/99, दिनांक 5-4-99 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उक्त पत्र को जांच हेतु क्षेत्राधिकारी वृन्दावन को भेजा गया, जांच में यह पाया गया कि आवेदक द्वारा सन्दर्भित प्रार्थना-पत्र दिनांक 19/20-3-99 को प्रेषित किया गया था । इस प्रकरण में मु०अ०स० 13/99 धारा 147/148/149 भा०द०वि० एवं 3(1)10 एस०सी०एस०टी० एक्ट एवं 27 जेड०एल०आर० एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो सकी थी । अभियुक्तों पर पुलिस का लगातार दबाव रहने के कारण अभियुक्तों को निम्नलिखित तिथियों को आत्मसमर्पण कर जेल भेजा गया । अभियुक्त किशोरी पुत्र लाल सिंह, छैलो पुत्र खप्पन एवं भूरा पुत्र लीला सिंह को दिनांक 27-3-99 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल भेजा गया । अभियुक्त ओमकार पुत्र वासदेव को दिनांक 8-4-99 को आत्मसमर्पण कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त पूरन पुत्र किशन एवं पप्पू पुत्र रंजीता को दिनांक 24-4-99 को आत्मसमर्पण कर जेल भेजा गया तथा अभियोग की विवेचना से आरोप बखूबी साबित होने पर सभी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–117 दिनांक 24-4-99 को प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है । प्रश्नगत जमीन जमुना खादर में है, जो जमुना नदी के पानी के कटाव में कट जाती है, को आवेदक गण अपनी बताते हैं । विपक्षीगण अपनी बताते हैं । जिसके चलते वर्ष 1999 में उक्त जमीन में फसल आदि भी नहीं हो सकी, तथा दिनांक 27-11-99 को कार्यालय उप जिलाधिकारी मथुरा के पत्र सं० आशु लि०/99 दिनांक 26-11-99 के अनुसार ग्राम आटस खादर में आवंटियों को कब्जा दिलाने के प्रकरण में श्री नगेन्द्र प्रताप उप जिलाधिकारी मथुरा व तहसीलदार मथुरा एवं अन्य राजस्व कर्मचारियों द्वारा पैमाइश किये जाने हेतु आवश्यक पुलिस बल चौकी जैत थाना वृन्दावन से आवंटियों की जमीन नपवाने हेतु (पैमाइश) ग्राम आटस खादर में मौके पर गया था पैमाइश के दौरान ग्राम जहांगीरपुर, थाना-मॉट की तरफ से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पैमाइश करने वाले कर्मचारियों के ऊपर फायर किये गये जिसके सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश राजस्व निरीक्षक पुत्र स्व० राम प्रसाद क्षेत्र मथुरा द्वारा थाना वृन्दावन पर मु०अ०सं० 643/99 धारा 147/ 148/149/ 307/ 353 भा०दं०वि० के अन्तर्गत बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना उ० नि० श्री ओमवीर सिंह चौकी जैत थाना वृन्दावन द्वारा की गयी विवेचना से अभियुक्तगण छैलो पुत्र रज्जन ठाकुर, भूरा पुत्र लीला सिंह, किशोरी पुत्र वासदेव, राम हरी पुत्र बाबू, पप्पू पुत्र नत्थी, किशन पुत्र लीला, पप्पू पुत्र मंगला समस्त विपक्षीगण ग्राम जहांगीर पुर थाना मांट मथुरा के नाम प्रकाश में आये जिनमें से दिनांक 29-11-99 को किशन पुत्र लीला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा अन्य अभियुक्तों को पुलिस का लगातार दबाव रहने के कारण दिनांक 7-12-99, 8-12-99 को न्यायालय आत्मसपर्मण कर जेल भेजा गया विवेचना से सभी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र संख्या–99/99 दिनांक 31-12-99 को प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है । संदर्भित प्रकरण से सम्बन्धित जमीन की पैमाइश नहीं हो सकी है ।

जनपद देवरिया, तहसील सलेमपुर , ग्राम खजुरी करौता में चकरोड़ पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

81–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–खजुरी करौता, तहसील–सलेमपुर, जनपद–देवरिया के चक नं० 507 व 508 के मध्य चकरोड दर्ज है ? यदि हां, तो क्या उक्त चकरोड पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त चकरोड से अवैध कब्जा खाली करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

केवल गाटा सं० 507 राजस्व अभिलेखों में चकरोड़ दर्ज है ।

जी हां ।

अवैध कब्जा करने वालों के विरूद्ध उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी० के अन्तर्गत तहसीलदार सलेमपुर के न्यायालय में वाद योजित है ।

जनपद जौनपुर में किसान भवन के निर्माण हेतु श्री बांकेलाल विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

82–श्री अफजाल अहमद–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद में किसान भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में विधायक श्री बांके लाल सोनकर का दिनांक 26-3-99 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मा० विधायक ने अपने पत्र दिनांक 26-3-99 द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जिला गन्ना सहकारी समिति लि० जौनपुर मेहरावां हेतु किसान भवन बनाने हेतु रुपये–20 लाख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ।

मा० विधायक द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त पत्र को जिलाधिकारी जौनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जौनपुर ने शासन को अवगत कराया है कि सुनिश्चित रोजगार योजना के मार्ग निर्देशिका में किसान भवन निर्माण हेतु कोई प्राविधान नहीं है । तद्नुसार उन्होनें अपने पत्र दिनांक– 3-7-99 द्वारा मा० विधायक को भी अवगत करा दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम पंचायत नुआली को शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि से किये गये विकास कार्यों की जानकारी

83–श्री भाई लाल –

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम पंचायत नुआली में वर्ष 1996-97, 1997-98 व 1998-99 में कुल कितना धन शासन द्वारा भेजा गया है तथा प्राप्त धन को किन-किन कार्यों में खर्च किया गया है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

वर्ष 1996-97, 1997-98 व वर्ष 1998-99 में कुल रुपये–749250.00 मात्र स्वीकृत किया गया है । उक्त धनराशि को पंचायत भवन, खड़ंजा-निर्माण, सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य, इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प, अधिष्ठापन एवं मरम्मत तथा कूप मरम्मत पर खर्च किया गया है ।

जनपद हरदोई के ब्लाक प्रमुखों को गत दो वर्षों से दिये जाने वाले भत्ते के भुगतान की मांग

84–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या पंचायतीराज मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ब्लाक प्रमुखों को गत दो वर्षों से दिये जाने वाले भत्ते का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भत्ते का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 1998-99, 1999-2000 में आय-व्ययक व्यवस्था न होने के कारण ब्लाक प्रमुखों के भत्तों का अभी तक भुगतान नहीं किया जा सका है ।

आय-व्ययक व्यवस्था होने पर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी ।

जनपद सुल्तानपुर तहसील गौरीगंज ग्राम शाहगढ़ के प्रधान द्वारा किये गये गबन की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

85–श्री तेजभान सिंह–

क्या पंचायतीराज मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रंगनाथ शुक्ल पुत्र श्री राज बहादुर शुक्ल, निवासी ग्राम–शाहगढ़, तहसील–गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 24 अगस्त, 99 को प्रेषित फैक्स जिलाधिकारी, सुल्तानपुर तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है जो शाहगढ़ ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य का रु० 80,000/- निकाल कर, उससे कोई कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो क्या इस शिकायती-पत्र तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित रिपोर्ट की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा है ? यदि जांच नहीं करायी गयी, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

प्रधान ग्राम पंचायत के विरूद्ध शिकायती-पत्र के संबंध में खण्ड विकास अधिकारी–शाहगढ़ से जांच करायी गयी । जांच में 32125.50 रुपये का दुरुपयोग पाया गाया । जिसके सम्बन्ध में प्रधान के विरुद्ध थाना मुंशीगंज में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–शाहजहांपुर, विकास खण्ड जैतीपुर, ग्राम गोठिया धारस में निर्माणाधीन विकास खण्ड जैतीपुर पंचायत घर हेतु ग्राम पंचायत के फर्जी प्रस्ताव सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाई की जानकारी

86–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पंचायतीराज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 24-2-99 जो ग्राम गोठिया धारस विकास खण्ड जैतीपुर में बनाये जा रहे पंचायतघर में ग्राम पंचायत का फर्जी प्रस्ताव करके निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में है, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जांच कराई गई एवं शिकायत निराधार पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठतां ।

जनपद अम्बेडकर नगर के क्षेत्र जहांगीर गंज पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण की मांग

87–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर में किन-किन ग्राम सभाओं में पंचायत भवन नहीं हैं ? क्या उनके भवन बनाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

विधान सभा क्षेत्र-जहांगीरगंज जनपद–अम्बेडकर नगर की कुल 135 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है ।

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में पंचायत भवन निर्माण मद में बजट व्यवस्था न होने के कारण पंचायत भवन निर्माण किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड रामपुर में चौलिया–नाहपुर गांव तक पक्के मार्ग निर्माण की मांग

88–श्री संजय गर्ग–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड रामपुर के गांव रंजीतपुर, पनाहपुर, सैजना में अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति की ही आबादी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त गांवों के आने जाने हेतु कोई पक्का मार्ग नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इचौलिया से पनाहपुर गांव तक पक्का मार्ग बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जनपद-खीरी में रामपुर नामक कोई विकास खण्ड नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी में रामपुर नामक कोई विकास खण्ड नहीं है ।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां के कक्सय-भजेहटा मार्ग से निकले सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने की जानकारी

89–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पंचायतीराज मंत्री को जानकारी है कि जनपद–हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां के अन्तर्गत कक्सय-भजेहटा मार्ग से निकले सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के लिए वर्ष 1998 में धन स्वीकृत किया गया था जिसकी प्रथम किश्त अक्टूबर, 1998 में अवमुक्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विभागीय शिथिलता के चलते एक वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभी तक उपरोक्त सम्पर्क मार्ग को पक्का नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी नहीं । उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 3-5-98 को कार्य पूर्ण कराया जा चुका है ।

वाराणसी में कोयले से चलने वाली कतिपय पंजीकृत/अपंजीकृत फैक्टरियों द्वारा प्राप्त कोयले की कालाबाजारी करने के विरूद्ध सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

90–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद में कोयले से चलने वाली कितनी पंजीकृत/अपंजीकृत फैक्टरियां हैं ? क्या यह सही है कि ऐसी बहुत सी फैक्टरियां हैं जो बन्द पड़ी हैं

परन्तु कोयले को प्राप्त कर कालाबाजारी कर रही हैं ? यदि हां, तो वे फैक्टरियां कौन-कौन सी हैं और ऐसी फैक्टरियों पर क्या कार्यवाही सरकार करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

वाराणसी जनपद में कोयले से चलने वाली पचास इकाइयां पंजीकृत हैं । अपंजीकृत इकाइयों की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा पंजीकृत परन्तु कार्यरत न रहने वाली इकाइयों की जांच करायी गयी, जिसके अनुसार 33 इकाइयां अकार्यरत पाई गयीं ।

इस प्रकार की 33 इकाइयां हैं, जिनकी सूची संलग्न है । इन इकाइयों के लघु उद्योग पंजीकरण निरस्त किये जा चुके हैं एवं इनके पक्ष में वर्ष 99 में जारी कोल स्पांसरिंग भी निरस्त की जा चुकी है । साथ ही वर्ष 2000 के लिये स्पांसरिंग नहीं की जा रही है ।

(सूची के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 152–153 पर)

91–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 30-3-2000 के अता० प्र० सं०–77 द्वारा उत्तरित ।

जनपद हाथरस के बस्तोई, ब्लाक हंसायन में स्वीकृत पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु आवंटित धन की जानकारी

92–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि बस्तोई, ब्लाक हंसायन जनपद हाथरस में पशु चिकित्सालय स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु धन कब तक आवंटित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

अनावासीय भवन निर्माण हेतु रुपये 8.95 लाख आंटित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय द्वारा समूह 'ग' के अन्तर्गत लेखाकारों के पदों पर पिछड़ी जाति के आरक्षण कोटे को भरे जाने विषयक शिकायती पत्र तथा कार्यवाही

93–श्री दिलीप कुमार–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998 में कृषि निदेशालय द्वारा समूह ''ग'' के अन्तर्गत लेखाकार के पदों पर चयन करने हेतु विज्ञापन दिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त लेखाकार की भर्ती में श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण की सुविधा दिये जाने में अनियमिततायें बरती गयी थीं जिसकी शिकायत श्री राजेश कुमार एवं श्री अवधेश प्रसाद वर्मा ने मा० पिछड़ा वर्ग आयोग से की थी ? यदि हां, तो क्या मा० पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा परीक्षणोपरान्त अपने पत्र सं०–1774/160–शि०आर०–99/ रा०पि०आ० /99, दिनांक 30-9-99 के द्वारा निर्णय/संस्तुति सचिव, कृषि विभाग, उ० प्र० शासन को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

शिकायत प्राप्त हुई थी ।

जी हां ।

छूटे हुये पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की आदेश संख्या–मु०प्र०(11)6683/ समूह ''ग'' लेखाकार/नियुक्ति, दिनंक 29-3-2000 द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में शहीद स्थलों के लिए उद्यान स्थापना विषयक जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को पत्र एवं उसका पालन

94–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा उनके आदेश सी० एम०/वि०को०/ एम–3/18359 दिनांक 23-11-98 जो शहीद स्थलों के लिये उद्यान की स्थापना विषयक था, का पालन कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हैं ?

श्री धनराज यादव–

जी नहीं ।

उक्त पत्र जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० भूमि सुधार निगम में श्रेणी 'क', 'ख', 'ग', 'घ' के स्वीकृत पदों पर अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

95–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० भूमि सुधार निगम में श्रेणी 'क' 'ख', 'ग', 'घ' में अब तक कितने पद स्वीकृत हैं और कितने भरे गये हैं ? क्या अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो कोटा पूर्ण करने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र पुवायां में मण्डी परिषद् द्वारा स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

96–श्री चेतराम–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1997-98 में कुल कितनी एवं कौन-कौन सड़कें निर्माण हेतु स्वीकृत की गयीं ? उनमें से कितनी सड़कें बनकर पूर्ण हो चुकी हैं तथा कौन-कौन सड़कें किन कारणों से अपूर्ण पड़ी हुई हैं ? अपूर्ण सड़कों का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

निर्वाचन क्षेत्र पुवायां, जनपद शाहजहांपुर क्षेत्रान्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1997-98 में कोई भी सड़क स्वीकृत नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर, ग्राम-अमहरा एवं मेरापुर छदामी में गांव पंचायत बनाये जाने विषयक पत्र तथा कृत कार्यवाही

97–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अमहरा एवं ग्राम मेरापुर छदामी, ब्लाक बेवर, जनपद–मैनपुरी की गांव पंचायतों के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये एक पंचायत का क्षेत्र बनाये जाने विषयक पत्र संख्या–सी० एम०/वि०को०/एम–2/27272/मैनपुरी/99, दिनांक 30-10-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

परिसीमन हेतु निर्धारित समय सीमा दिनांक 15-4-99 के उपरान्त पत्र प्राप्त होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र पुवायां के ब्लाक खुटार के ग्राम हंसपुर में न्यायालय के स्थगनादेश के कारण लम्बित चकबन्दी को पुनः कराने विषयक जानकारी

98–श्री चेतराम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पुवायां की ब्लाक खुटार के ग्राम हंसपुर में विगत कई सालों से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के स्थगन आदेश के कारण चकबन्दी प्रक्रियायें लम्बित हैं ? यदि हां, तो जनहित में शासन द्वारा अब तक स्थगन आदेश निरस्त कराने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम हंसपुर, परगना खुटार, तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर में चकबन्दी प्रक्रियाऐं मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–13634/81 हजूर सिंह बनाम डी०डी०सी० में पारित स्थगन आदेश दिनांक 5-11-81 रिट याचिका संख्या–9254/84 व 6740/84 मौहन सिंह बनाम डी०डी०सी० में पारित स्थगन आदेश दिनांक 9-5-84 रिट याचिका संख्या–6202/83 कपूर सिंह बनाम डी०डी०सी० में पारित स्थगन आदेश दिनांक 13-5-83 के कारण ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियाऐं स्थगित हैं ।

विभाग की ओर से मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु उक्त याचिकाओं में दिनांक 15-3-91, 21-3-91 तथा 21-3-91 को प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया गया था साथ ही स्थगन आदेश निरस्त कराने हेतु आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किया गया था । पुनः चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 28-11-97 तथा दिनांक 28-5-98 को पूरक प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर स्थगन आदेश निरस्त कराने हेतु अनुरोध किया गया, किन्तु अभी तक मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश निरस्त नहीं किया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत पुवायां रोड से पैना बुजुर्ग वाया चिनौर मार्ग के जीर्णोद्धार की मांग

99–श्री चेतराम–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर अन्तर्गत पुवायां रोड से पैना बुजुर्ग वाया चिनौर मार्ग जिला पंचायत शाहजहांपुर द्वारा बनाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग

टूट कर जीर्ण शीर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का जनहित में जीर्णोद्धार करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी हां ।

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से जिला पंचायत द्वारा रख-रखाव करने एवं आवश्यकतानुसार निर्णय लेने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी एवं आसपुर देवसरा को यू० पी० डी० ए० एस० पी० योजना में शामिल करने के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

100–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री के आदेश–सी०एम०/वि०को०/एम–3/16694/प्रतापगढ़/98. दिनांक 28-9-1998 एवं 17434/प्रतापगढ़/98. दिनांक 23-10-1998 जो जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी एवं आसपुर देवसरा को यू० पी० डी० ए० एस० पी० योजना में शामिल करने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

जी हां ।

परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जनपद प्रतापगढ़ के पांच विकास खण्ड यथा-मंगरौरा, सांगीपुर, सन्धवा, चन्दिका एवं लक्ष्मनपुर को द्वितीय चरण हेतु चयनित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला व तहसील मथुरा, ग्राम दामोदर पुरा एवं माधोपुर के श्री घनश्याम, श्री चरन सिंह आदि के पट्टे को निरस्त किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

101–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री घनश्याम, श्री चरन सिंह, श्री देवी सिंह व श्री जयचन्द्र आदि निवासी–दामोदर पुरा एवं माधौपुर, तहसील व जिला मथुरा में वैधानिक पट्टा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/21965/मथुरा/99. दिनांक 3-4-99 जिलाधिकारी, मथुरा के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

भूमि की श्रेणी राजस्व अभिलेखों में 6(4) अकृषिक भूमि रेत अंकित थी, जिसका आवंटन कृषि कार्य हेतु नहीं किया जा सकता । अपितु बालू खनन हेतु ही किया जा सकता है । फलतः वैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मथुरा के आदेश दिनांक 6-11-98 द्वारा समस्त पट्टों को निरस्त कर दिया गया है ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम–वारासूरजपुर,ब्लाक सुल्तानगंज में बने पंचायत घर की गुणवत्ता खराब होने की जांच विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

102–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–वारासूरजपुर, ब्लाक सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी में बने पंचायत घर की गुणवत्ता खराब होने की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सी०एम०/वि०को०/ एम–2/26874/मैनपुरी/99, दिनांक 5-10-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जांच कराई गयी । जांच में गुणवत्ता में कमी नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी क्षेत्र बेवर, ग्राम-जल्लापुर खद्दइया में मवेशी अस्पताल बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

103–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगदीश सिंह निवासी–जल्लापुर खद्दइया क्षेत्र पंचायत बेवर, जनपद–मैनपुरी का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ मवेशी अस्पताल के निर्माण विषयक पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2/मैनपुरी/99 दिनांक 5-10-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

ग्राम जल्लापुर खद्दइया क्षेत्र पंचायत बेवर, जनपद मैनपुरी में पशुचिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में पशुचिकित्साधिकारी बेवर से जांच कराई गई है, जांचोपरांत इस ग्राम में पशु चिकित्सालय खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी तहसील भोगांव, ग्राम हुसैनपुर, पो० कुसमरा की चकबन्दी की जिल्द की सील खुलवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

104–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–हुसैनपुर डा०–कुसमरा, तहसील–भोगांव, जनपद–मैनपुरी की चकबन्दी की जिल्द आ०प० 45 की सील खुलवाने विषयक पत्र संख्या–सी०एम०/ वि०को०/ एम–1/26826/मैनपुरी/99 दिनांक 5-10-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । प्रश्नगत मामले में जांच करायी जा रही है । जांच रिपोर्ट अभी प्रतिक्षित है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–प्रतापगढ़, ब्लाक–मंगरौरा में यू०पी०डी०ए०एस०पी० फेज–2 में चयनित कार्यों को पूरा करने की मांग

105–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या उद्यान एवं खाद्य संस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी०डी०ए०एस०पी० फेज–2 में चयनित ब्लाक मंगरौरा, जनपद–प्रतापगढ़ के लिये अनुमन्य सभी कार्य शरू कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

जी हां ।

जनपद/विकास खण्ड स्तर पर स्टाफ की तैनाती हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । विकास कार्यों को निर्धारित समय पर करने का कार्यक्रम है ।

जनपद–मैनपुरी, तहसील–भोगांव, ग्राम–किन्हावर पर अलीपुर पट्टी में फर्जी खातों की फर्जी इन्द्राज करने की शिकायत सम्बन्धी पत्र/कृत कार्यवाही

106–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम किन्हावर पर अलीपुर पट्टी तहसील भोगांव, जनपद–मैनपुरी के श्री कमलेश कुमार का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग लेटर के साथ जो फर्जी खातों की फर्जी इन्द्राज को समाप्त करने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–/26822/मैनपुरी /99 दिनांक 5-10-99 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जांच करायी गयी । खाता संख्या–691 पर रघुनाथ पुत्र सुखवासी नि० किन्हावर का नाम नियत प्रक्रिया के अन्तर्गत अभिलेखों में अंकित है । इसी प्रकार खाता संख्या–1044 के गाटा संख्या 721 पर भी रघुनाथ सिंह पुत्र सुखवासी का नाम सही अंकित है । खाता 1044 के गाटा संख्या 1522/0, 162 हे० पर रघुनाथ पुत्र सुखवासी के नाम फर्जी प्रविष्टि प्रतीत होती है, जिसे निरस्त कराने हेतु धारा 33/39 भू०रा०अधि० के अन्तर्गत कार्यवाही कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

107–श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद–हरदोई, तहसील–सण्डीला, ग्राम–गौसगंज में भारी वर्षा के कारण दीवार गिरने से हुई मृत्यु तथा मृतक आश्रितों को सहायता देने की मांग

108–श्री अब्दुल मन्नान

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम गौसगंज–तहसील–सण्डीला, जनपद–हरदोई के माह सितम्बर, 1999 में भारी वर्षा होने के कारण दीवार गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक परिवार के आश्रितों को सहायता राशि दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम–गौसगंज, तहसील–सण्डीला, जनपद–हरदोई में माह सितम्बर, .1999 में भारी वर्षा होने के फलस्वरूप दिवार गिरने से चार व्यक्तियों व एक बकरी की मृत्यु हई थी ।

जी हां । मृतक परिवार के आश्रितों को नियमानुसार राहत सहायता वितरित की गई है ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम–काज़ीपुर में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति को आवंटित भूमि पर कब्जा हटाने की मांग

109–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के तहसील–सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम काजीपुर में गत 5 वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को भूमि पट्टे पर दी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त आवंटित भूमि पर दबंग व्यक्तियों के कब्जे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी पैमाइश कराकर सम्बन्धित व्यक्तियों को कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

समस्त पट्टेदार अपनी आवंटित भूमि पर काबिज हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बलरामपुर, तहसील–तुलसीपुर, ग्राम सैखनियां निवासी श्री राम सहाय का लेखपाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र/कृत कार्यवाही

110–श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील–तुलसीपुर, जनपद–बलरामपुर के अन्तर्गत ग्राम–सैखनियां के निवासी श्री राम सहाय का नवम्बर, 1999 के मध्य श्री राम सुझावन लेखपाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

राजस्व निरीक्षक व लेखपाल द्वारा पूर्व में गयी पैमाइश व नक्शा तरमीमी न्यायालय के आदेश से निरस्त की जा चुकी है और मौके पर कब्जे के अनुसार ही तरमीम करने के निर्देश दिये गये हैं । दोषी लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बिजनौर में खों नदी व रामगंगा नदी की बाढ़ से हुई क्षति से प्रभावित परिवारों को सहायता देने की मांग

111–श्री मूलचन्द–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–मुकरपुरी, जीतहिम्मों, नवादाकेशों, गांधरपुर, ाडीवाला टांडा आदि ग्राम जनपद–बिजनौर खों नदी व राम गंगा नदी की बाढ़ से वर्ष 1998 एवं

1999 में किसानों की फसलें नष्ट हो गयी थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1998 में खों नदी एवं रामगंगा नदियों में बाढ़ से प्रभावित ग्रामों के 1868 प्रभावित परिवारों को 620 कुन्तल गेहूं बीज निःशुल्क वितरित किया गया है । वर्ष 1998 में बाढ़ से किसी की फसल की क्षति 50% से अधिक न होने के कारण नियमानुसार कोई सहायता देय नहीं है ।

प्रदेश में धर्म स्थलों को पुरातत्व व संस्कृति विरासत के रूप में प्रदत्त मान्यता की जानकारी

112–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या संस्कृत एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नवम्बर, 1999 तक कुल कितने धार्मिक स्थलों को पुरातत्व विरासत के रूप में मान्यता दी गयी है ? कितने अन्य धार्मिक स्थलों को उक्त मान्यता प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? उत्तरांचल क्षेत्र में कुल कितने धर्मस्थलों को अब तक पुरातत्व व सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

नवम्बर, 1999 तक पुरातात्विक महत्व के 58 धार्मिक स्थलों को सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है तथा ऐसे ही 20 अन्य धार्मिक स्थलों को संरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । उत्तरांचल क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व के 32 धार्मिक स्थलों को सरकार द्वारा संरक्षित घोषित किया गया ।

जनपद–मऊ, मधुवन–तहसील की स्थापना के आदेशानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की मांग

113–श्री सुधाकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद–मऊ में मधुवन तहसील की स्थापना के आदेश हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त तहसील का कार्य कब तक शुरू होगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जनपद–मऊ में मधुवन तहसील का कार्य दिनांक 27 अगस्त, 1997 से प्रारम्भ हो गया है ।

जनपद–वाराणसी में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में श्री राम बहाल मौर्य लेखपाल को अपने पूर्व क्षेत्र में तैनात करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

114–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम बहाल मौर्य, लेखपाल को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का अनुपालन कराने हेतु पूर्व क्षेत्र में ही रखे जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सी०एम०/वि०को०/एम–1/27931/मैनपुरी/दिनांक 2-12-99 जिलाधिकारी, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04-11-96 के अनुपालन में श्री राम बहाल मौर्य, लेखपाल को अपने पूर्व क्षेत्र में उप जिलाधिकारी (दक्षिणी) वाराणसी के आदेश दिनांक 23/27 1996 द्वारा तैनात कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी समिति मैनपुरी, मण्डी समिति बेवर में सम्पर्क सड़कों को बनाने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद्, उ० प्र० लखनऊ को पत्र/कृत कार्यवाही

115–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सड़के बनवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सी०एम०/वि०को०/एम–1/27933/ मैनपुरी दिनांक 2-12-99 एवं सी०एम०/वि०को०/एम–1/27934/मैनपुरी, दिनांक 2-12-99 निदेशक, मण्डी परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मार्गों का स्थलीय सर्वे कराया गया । लेकिन मण्डी समिति मैनपुरी तथा मण्डी समिति बेवर की स्थिति ऋणात्मक होने के कारण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाना अभी सम्भव नहीं हो सकेगा ।

जनपद–मऊ की तहसील–मधुवन, ग्राम दुबारी में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

116–श्री सुधाकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद–मऊ के ग्राम–दुबारी का चकबन्दी कार्व वर्ष 1974 से हो रहा है ? यदि हां, तो चकबन्दी कार्य पूर्ण न होने का कारण क्या है ? चकबन्दी प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम–दुबारी, तहसील–मधुवन, जनपद–मऊ में दिनांक 26-7-75 से चकबन्दी कार्य चल रहा है।

ग्राम–दुबारी में कुल गाटा संख्या–7735 व बन्दोबस्त क्षेत्रफल 3070 एकड़ है । अभिलेखों में अत्यधिक त्रुटियां होने के कारण ग्राम–दुबारी निगरानी स्तर से सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर दिनांक 19-3-94 को प्रत्यावर्तित किया गया है । पुनः सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर चक निर्माण कार्य चल रहा है ।

नियोजित कार्यक्रम/कार्य योजना के अनुसार दिनांक 31-3-2003 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ।

जनपद मथुरा के उद्योग विभाग के अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

117–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के उद्योग विभाग के अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/मथुरा/एम–3/11275/98, दिनांक 25-5-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

विधायक कोष्ठक का संदर्भित पत्र दिनांक 25-5-98 विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–जौनपुर में अतिवृष्टि से हुई फसलों एवं मकानों की क्षतिपूर्ति के लिये कार्यवाही की मांग

118–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999 में अतिवृष्टि से जौनपुर जनपद में कितनी फसलों एवं मकानों का नुकसान हुआ है ? क्या क्षतिपूर्ति हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद–जौनपुर में अतिवृष्टि से वर्ष 1999 में खरीफ की फसलों को 16.45 प्रतिशत एवं 5712 मकानों का नुकसान हुआ है ।

अतिवृष्टि से खरीफ की फसलों की क्षति 50 प्रतिशत से कम होने के कारण नियमानुसार राहत सहायता अनुमन्य नहीं है ।

क्षतिग्रस्त मकानों के सम्बन्ध में पात्र 559 लाभार्थियों को रु० 3,94,900/- की धनराशि गृह अनुदान के रूप में वितरित की गयी है ।

जनपद–मैनपुरी, ब्लाक बेवर की ग्राम सभा मल्लापई को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में पत्र/कृत कार्यवाही

119–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–सभा मल्लापई ब्लाक बेवर, जनपद–मैनपुरी के ग्रामीणों द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र जो उक्त गांव पंचायत को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में था, प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी०एम०/वि०को०/एम०/3705/99(73) दिनांक 30-11-99 सचिव, पंचायती राज उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

शासनादेश सं०–798/33-1-2000/604/98. दिनांक 25 मार्च, 2000 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–मैनपुरी, ब्लाक बेवर, गांव पंचायत नवीगंज को पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित करने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

120–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव पंचायत नवीगंज ब्लाक बेवर, जनपद–मैनपुरी को पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री के कार्यालय के पत्र सं० सी०एम०/वि०को०/एम/3705/99(76) मैनपुरी दिनांक 30-11-99 के साथ सचिव, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

शासनादेश सं०–798/33-1-2000/604/98, दिनांक 25 मार्च, 2000 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज, मजरा फरीदपुर, ग्राम–मुरखापुर की चकरोडों पर अवैध कब्जा समाप्त करने की मांग

121—श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–मरखापुर मजरे फरीदपुर, विकास खण्ड गोसाईगंज, जनपद–लखनऊ के कुल कितने चकरोडों पर किन-किन व्यक्तियों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है? क्या मंत्री जी दोषी के खिलाफ कार्यवाही करते हुये अवैध कब्जे समाप्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम–मरखापुर मजरे फरीदपुर, विकास खण्ड गोसाईगंज, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जनपद–लखनऊ के कुल मात्र एक चकरोड संख्या–609/0-4-5 पर श्री मुन्नू पुत्र उदल, महफूज अली पुत्र शाहिद अली व महादेव पुत्र छंगा एवं इब्राहिम अली पुत्र शाहिद अली द्वारा अवैध कब्जा किया गया था ।

अवैध कब्जे से सम्बन्धित चक मार्ग की स्थलीय पैमाइश कर उसे अवैध कब्जे से मुक्त कर दिया गया है । अब मौके पर कोई विवाद व अवैध कब्जा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–मथुरा के कस्बा गोवर्धन स्थित गोवर्धन-सोंख रोड पर पंचायत की भूमि पर अनियमित रूप से किराये पर दिये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

122–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा के कस्बा गोवर्धन स्थित गोबर्धन-सोंख रोड पर जिला पंचायत की भूमि खसरा नं०–460 व 471 के भूखण्ड को अनियमित रूप से किराये/पट्टे पर दिये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/23531/मथुरा/99 दिनांक 20-5-99 उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

शासन स्तर पर निर्णय हेतु विचाराधीन है ।

123–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद–बरेली, तहसील आंवला के गांव नगला चम्पतपुर, थाना भमौरा में ऋण वसूली प्रकरण में बन्द श्री ख्याली राम की मृत्यु तथा उनके आश्रितों को मुआवजा देने की मांग

124–श्री समरपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि आंवला तहसील, जनपद–बरेली के गांव नगला चम्पतपुर निवासी ख्यालीराम की ऋण वसूली के प्रकरण में तहसील कर्मियों द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 1999 को

हवालात में बन्द करने के उपरान्त उसकी मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक व्यक्ति के आश्रित को कोई मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो कब तक दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी दोषियों को दण्डित करते हुये मृतक आश्रित को मुआवजा प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

तहसील आंवला, जनपद बरेली की हवालात में निरुद्ध श्री ख्यालीराम पुत्र श्री सर्वसुख निवासी नगला चम्पतपुर, थाना भमौरा, जिला बरेली की दिनांक 5-12-99 को अकस्मात तबियत खराब होने के कारण चिकित्सा के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आंवला पर प्रातः 07.30 बजे मृत्यु हो गयी थी ।

मृतक आश्रित को जीवनयापन हेतु ग्राम नगला चम्पतपुर स्थित 1.049 हेक्टेयर भूमि का पट्टा कृषि हेतु दिया गया है, तथा आश्रित को तहसील में ही सीजनल संग्रह चपरासी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, आंवला द्वारा उसी तिथि को की गयी, जिसमें प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने के आरोप में दो चपरासी, संग्रह अमीन तथा नायब नाजिर को निलम्बित किया गया तथा नायब तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है । जिलाधिकारी, बरेली द्वारा सम्पूर्ण घटना की विस्तृत जांच के लिये मजिस्ट्रेटी जांच के निमित्त उप जिलाधिकारी, फरीदपुर को सौंप दी गयी है, जो विचाराधीन है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में जिला पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों के ऊपरी तल पर निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की जांच

125–श्री मो० मुकीम–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में जिला पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों के ऊपरी तल पर जिला पंचायत द्वारा सितम्बर 1999 में दुकानों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य किस मद एवं स्रोत से प्राप्त धन से कराया गया है ? क्या उक्त निर्माण कार्य जिला पंचायत की बैठक द्वारा प्रस्तावित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

प्रकरण की जांच मण्डलायुक्त से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । जांच परिणाम प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर में बझेरा से आगे जल्लापुर खदइया की सड़क के अवशेष भाग को पूर्ण करने की मांग

126–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी ब्लाक–बेवर में बझेरा से आगे जल्लापुर खदइया की सड़क के अवशेष भाग में पूर्व में दशम् वित्त आयोग में स्वीकृत सड़क जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा बनाये जाने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं० सी०एम०/वि०को०/एम–

2/26886/मैनपुरी/99 दिनांक 14-10-99 सचिव, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग लम्बाई 7 कि०मी० में से 3.7 कि०मी० का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है एवं इस के आगे 2 कि०मी० का निर्माण हेतु जिला पंचायत मैनपुरी ने टेण्डर आमंत्रित किये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ० लि० के आय-व्ययक की स्थिति की जानकारी

127–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कितनी सरकारी डेरियों को बन्द करने का फैसला किया गया है ? क्या सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में स्थित सरकारी डेरी के वर्ष 1998-99 व 1999–2000 के आय-व्ययक की स्थिति बतायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयपाल सिंह–

प्रदेश में किसी भी सरकारी/सहकारी डेरी को बन्द करने का फैसला नहीं किया गया है ।

जनपद जौनपुर में कोई भी सरकारी डेरी कार्यरत नहीं है, बल्कि विभाग द्वारा सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, जौनपुर का गठन किया गया है, जिसकी आय-व्यय की स्थिति निम्नवत् है :––

(क) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, जौनपुर को वित्तीय वर्ष 1998-99 में कुल 24.20 लाख की नकद हानि हुई एवं रु० 29.70 लाख की कुल हानि हुई है ।

(ख) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, जौनपुर को वर्ष 1999-2000 में माह नवम्बर, 1999 तक कुल रु० 12.05 लाख की नकद हानि हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मथुरा, तहसील मांट, ग्राम मीरपुर में सड़क की जमीन पर अवैध कब्जों व पट्टेदारी को समाप्त करने विषयक पत्र/कृत कार्यवाही

128–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मीरपुर, तह०–मांट, जनपद मथुरा की कच्ची सड़क की जमीन में से 30/200 फुट के भूखण्ड को अनियमित रूप से किराये/पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/ एम–1/23676/मथुरा/99. दिनांक 24-5-99 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सम्बन्धित पत्र नहीं खोजा जा सका एवं पुनः प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण इकाई गोमती नगर, लखनऊ कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच के संबंध में विधायक श्री रामहर्ष सिंह एवं श्री बाबू राम आदि के शिकायती पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

129–श्री चेतराम–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 3-4-99, 16-6-99, 18-6-99, 26-8-99 के पत्र जो विधायक श्री रामहर्ष सिंह, श्री बाबूराम एवं श्री चेतराम तथा श्री विद्या सागर गुप्त सदस्य, विधान सभा का शिकायती पत्र है जो कृषि सचिव को सम्बोधित है दिनांक 26-3-99 जो भूमि संरक्षण इकाई (गोमतीनगर) लखनऊ कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में दिये गये हैं प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़, पट्टी के मण्डी परिषद् द्वारा नहर सेवा मार्ग को पक्का किये जाने में विलम्ब के कारण की जानकारी

130–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले गुरुवार को पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 107 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि विशेष सचिव, कृषि के अर्ध शा० पत्र सं०–84/12-5-99 दिनांक 3-2-99 का पालन करते हुये नहर की पटरी को पक्का करने का कार्य किस तिथि को शुरू किया गया ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

नहर की पटरी का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है ।

नहर की पटरी को पक्का करने हेतु दिनांक 24-3-99, 6-7-99 एवं 24-10-99 को निविदायें आमंत्रित की गयी किन्तु कोई निविदा फार्म बिके नहीं । पुनः दिनांक 7-1-2000 को निविदा आमंत्रित करने पर निविदा विभागीय दरों से अधिक होने तथा एकल निविदा प्राप्त होने एवं विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ न मिलने के कारण निविदा समिति द्वारा निविदा निरस्त करने की संस्तुति की गयी । तद्नुसार निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु उप निदेशक (निर्माण), इलाहाबाद को निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद आजमगढ़, तहसील मेंहनगर के भवन निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि पर तहसील भवन निर्माण की मांग

131–श्री रामजग–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मेंहनगर तहसील जनपद आजमगढ़ के भवन के निर्माण हेतु हरीबांध का पोखरा की भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो तहसील भवन का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

धनराशि आदि की व्यवस्था होने पर आवश्यक कार्यवाही यथासमय की जायेगी ।

जनपद बलिया, विकास खण्ड सीयर, ग्राम सहियां के श्री अवध बिहारी पाण्डेय को उनके मकान पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

132–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सहियां विकास खण्ड सीयर, जनपद बलिया निवासी विनायक प्रसाद पाण्डेय, दत्तक पुत्र अवध बिहारी पाण्डेय को उसी गांव के छेदी पाण्डेय आदि द्वारा डरा धमका कर उनके मकान पर जबरिया कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उसके वास्तविक हकदार को कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

अवध बिहारी पाण्डेय की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रघुनन्दनी के समय से ही छेदी उर्फ व्यास पाण्डेय दत्तक पुत्र बुद्धिराम साकिन सहियां सुरजीपुर मुतलिके हल्दीरामपुर, वि० खण्ड–सीयर, जनपद बलिया का विवादित मकान पर कब्जा बताया जाता है । छेदी पाण्डेय के अनुसार रघुनन्दनी ने उन्हें वसीयत भी लिखा है । कथित वसीयत के आधार पर न्यायालय मुंसिफ बलिया के वाद संख्या : 26/85 छेदी उर्फ व्यास पाण्डेय बनाम दुर्गा पाण्डेय आदि लम्बित है, जिसमें उभय पक्षों को यथास्थिति कायम रखने का आदेश भी पारित है । सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश पारित होने के पश्चात् आदेशानुसार अनुपालन कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

133–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 30-3-2000 को अता० प्र० सं०–76 द्वारा उत्तरित]

जनपद चित्रकूट के तहसील कर्वी के ग्राम महुटा रूपौली के श्री बलरा पुत्र श्री महिपाल की ऋण अदायगी के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

134–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 28-10-99 को जनपद चित्रकूट के तहसील कर्बी के ग्राम महुटा रूपौली के बलरा पुत्र महिपाल के ऋण अदायगी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी चित्रकूट/तहसीलदार कर्वी व अध्यक्ष, तुलसी ग्रामीण बैंक बांदा को दिये गये पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

तहसीलदार कर्वी से जांच कराने पर स्पष्ट हुआ कि तुलसी ग्रामीण [illegible] पहाड़ी से श्री बलरा पुत्र महिपाल निवासी महुटा रूपौली के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी हुआ [illegible] बाकीदार द्वारा धनराशि वसूल होकर तुलसी ग्रामीण बैंक बेंढी पुलिया में जमा कर दी गयी थी [illegible] तुलसी ग्रामीण बैंक पहाड़ी में स्थानान्तरित करा दी गयी है और बकायेदार बेबाक होकर उसका खाता बन्द हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली, तहसील सलोन, ग्राम दोहरी में पांच वर्ष पूर्व भूमिहीनों को आवंटित पट्टे में की गयी अनियमितताओं की जांच कर दोषीजनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

135–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत दोहरी तहसील सलोन जनपद रायबरेली में विगत पांच वर्षों में भूमिहीनों को जो पट्टे आवंटित किये गये हैं उनमें से पात्र व्यक्तियों को आवंटित न करके अपात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अपात्र व्यक्तियों के पट्टे निरस्त करते हुये दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम पंचायत दोहरी, तहसील सलोन, जनपद रायबरेली में विगत पांच वर्षों में कोई पट्टे आवंटित नहीं किये गये। वर्ष 1997-98 में ग्राम सभा दोहरी द्वारा एक प्रस्ताव भूमि आवंटन का किया गया था, जिसमें शिकायत होने के कारण तहसीलदार के स्तर से दि० 29-10-97 को प्रस्ताव की स्वीकृत करने की संस्तुति नहीं की गयी। उक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल निरीक्षण भी कराया गया। जिसमें कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, तहसील केराकत, ग्रा० हरीपुर के बादू राम शर्मा के यहां आग की घटना से हुई दो बच्चों की मौत के कारण आर्थिक सहायता की मांग

136–श्री श्रीराम यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 11-1-96 को श्री बादू राम शर्मा ग्राम हरीपुर, पोस्ट हरीपुर थाना जलालपुर, तहसील केराकत जनपद जौनपुर के यहां मडहे में आग लगने की घटना हुई थी जिसमें इनके सारे सामान के साथ दो बच्चे भी जिन्दा जलकर मर गये थे ? यदि हां, तो क्या इन्हें कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम हरीपुर, थाना जलालपुर, तहसील केराकत, जनपद जौनपुर में दिनांक 11-1-96 को श्री बादू राम शर्मा के घर में डिबरी इधर से उधर ले जाते समय असावधानी वश मकान में आग लगी थी जिसमें उनके बच्चे मर गये थे तथा मकान एवं खाद्यान्न भी जल गया था।

प्रकरण दैवी आपदा के अन्तर्गत नहीं आता है, जिस कारण श्री बादू राम शर्मा को आर्थिक सहायता नहीं दी गयी।

जनपद गोण्डा में जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी द्वारा खेल एवं युवा कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी तथा उन पर व्यय

137–श्री राम विशुन आजाद–

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोण्डा में जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी द्वारा खेल एवं युवा कल्याण की कौन-कौन सी योजनायें कहां-कहां चलायी जा रही हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में किन-किन योजनाओं हेतु कितना-कितना धन का खर्च किया गया है ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह–

जी हां, जनपद गोण्डा में खेल विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन एवं खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की विविध योजनायें हैं जिनका आयोजन गोण्डा में किया जा रहा है।

युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण अंचल में विविध प्रतियोगितायें, ग्रामीण खेलकूद (अनु० जाति) सेमिनार तथा युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन की योजनायें हैं और इनका संचालन जनपद गोण्डा के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में किया जा रहा है ।

जी हां । खेल विभाग के सम्बन्ध में संलग्नक–1 दृष्टव्य है ।

युवा कल्याण विभाग द्वारा किये गये व्यय सम्बन्धी विवरण संलग्नक–2 में दृष्टव्य है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 154–155 पर)

जनपद बरेली, तहसील नवाबगंज के ग्राम नौगवां भगवन्तपुर के पट्टेदारों को कब्जा दिलाने की मांग

*138–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी नवाबगंज, (बरेली) को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 1999 जो तहसील नवाबगंज के ग्राम नौगवां भगवन्तपुर के 18 पट्टेदारों को कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या नौगवां भगवन्तपुर तहसील नवाबगंज के पट्टेदारों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, गंगापुर पशु चिकित्सालय को पुनर्विनियोग द्वारा निर्माण की मांग

139–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–1/22144/प्रतापगढ़/99 दिनांक 6-4-1999 जो गंगापुर पशु चिकित्सालय जनपद–प्रतापगढ़ को पुनर्विनियोग से बनाये जाने के सम्बन्ध में था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

गंगापुर पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के लिये वर्ष 1999-2000 की जिला योजना की पुनर्विनियोग के संबंध में होने वाली बैठक में विचार करने हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा प्रागव पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

140–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा प्रागव पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में कार्यरत क्षेत्र प्रबन्धक के भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक विधायक

कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/26637/मथुरा/99. दिनांक 13-9-99 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मा० विधायक के उक्त शिकायती पत्र पर जांच करायी जा रही है ।

जनपद मथुरा, निवासी नगला रामपुर के श्री लाल सिंह को चकबन्दी होने के बाद कब्जा दिलाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

141—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लाल सिंह निवासी–नगला रामपुर, जनपद मथुरा की जमीन पर चकबन्दी के बाद वैधानिक कब्जा दिये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/27152/मथुरा/99. दिनांक 27-10-99 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सन्दर्भित पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि फार्म हेतु प्रदत्त भूमि पर कुल उत्पादन एवं लाभ-हानि का विवरण

142–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों को क्रमशः कितनी-कितनी हेक्टेयर भूमि कृषि फार्म के लिये दी गयी है ? वर्ष 1999–2000 में उक्त कृषि फार्मों द्वारा कितना अनाज, सब्जी, फल व दुग्ध आदि का उत्पादन किया गया ? उक्त कृषि फार्मों की लाभ हानि की स्थिति क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रदेश के तीनों कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों को कृषि फार्म हेतु दी गयी भूमि का विवरण निम्नवत् है :––

1— चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, कानपुर	1972.88 हे०
2—गो० ब० पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर	4037.00 हे०
3—नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय, फैजाबाद	1677.00 हे०

कृषि फार्मों का वित्तीय वर्ष–जून, 1999 से प्रारम्भ होकर मई, 2000 को समाप्त होगा, अतः फार्मों के अनाज सब्जी, फल व दुग्ध आदि उत्पादों का विस्तृत विवरण रबी की खड़ी फसल के विधायन के बाद मई, 2000 के अन्त में दिया जाना सम्भव हो पायेगा ।

उल्लिखित कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि फार्मों को लाभ हानि का विवरण तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को दे दिये गये हैं तथा लाभ हानि का विवरण प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कराकर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

143–श्री नरेन्द्र सिंह–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

जनपद भदोही संत रविदास नगर के विकास खण्ड औराई स्थित पीपर गांव के पंचायत घर में ग्राम पंचायत कार्यालय खोलने की मांग

144–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश संख्या 3/69/33-3-99-71/98 दि० 12 जुलाई, 1999 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत घर में ग्राम पंचायत का कार्यालय खोलने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या जनपद भदोही संत रविदास नगर के विकास खण्ड औराई स्थित ग्राम पंचायत, पीपरगांव के पंचायत घर में कार्यालय खोला गया है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त पंचायत घर में कार्यालय खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी नहीं ।

पंचायत भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ।

जी हां । अपेक्षित व्यवस्था कर ली गयी है ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज के चिरकिहिट गांव में चकबन्दी पूर्ण कराकर धारा 52 में प्रकाशन कराने की मांग

145–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में लालगंज तहसील के अन्तर्गत चिरकिहिट गांव की चकबन्दी पूर्ण होकर धारा 52 का प्रकाशन हो गया है ? यदि नहीं, तो उक्त गांव में धारा 52 का प्रकाशन कब तक हो जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

उक्त ग्राम का कार्य सम्पन्न करने हेतु कार्य योजना बना ली गयी थी । कार्य योजना के अनुसार धारा–52(1) के अन्तर्गत कार्यवाही दिनांक 30-12-2002 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

146–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

147–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम अगरावां के ग्राम प्रधान के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में पत्र/कृत कार्यवाही

148—श्री तेजभान सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर का पत्रांक 69/एस०टी०डी०एम० 11/99 दिनांक 18-11-1999 जो ग्राम अगरावां, ब्लाक व जनपद सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध जांच करने से सम्बन्धित है, जिला पंचायती राज अधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

संबंधित प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबन्धित करते हुए त्रिसदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है ।

जनपद उन्नाव में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के बावजूद मण्डी समिति बांगरमऊ की आय में गिरावट के कारणों की जानकारी

149–श्री राम शंकर पाल–

क्या कृषि मंत्री को जनकारी है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने के बावजूद जनपद उन्नाव की मण्डी समिति बांगरमऊ की आय में गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1999–2000 में गिरावट आयी है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मण्डी समिति की आय में गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1999-2000 में गिरावट नहीं आयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा की श्रीमती कस्तूरी पत्नी श्री हरचन्दी निवासी मड़ौरा की भूकम्प से हुई मृत्यु तथा अनुग्रह सहायता की मांग

150—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरचन्दी पुत्र पुट्टी नि० मड़ौरा तहसील व जिला मथुरा में आये भूकम्प से उनकी पत्नी कस्तूरी की मृत्यु हो गयी थी ? क्या एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता विवेकाधीन कोष से उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/25503/मथुरा/99, दिनांक 19-7-99 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । श्रीमती कस्तूरी पत्नी श्री हरचन्दी निवासी मड़ौरा की मृत्यु दिनांक 3-5-99 को तूफान/आंधी में पक्की दीवार व छप्पर गिरने से हुई थी ।

जी हां ।

मृतक कस्तूरी के पति श्री हरचन्दी निवासी मड़ौरा को रु० 25,000/- की धनराशि दैवी आपदा राहत निधि से अनुग्रह सहायता के रूप में वितरित की गयी है ।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को ब्लाक जामों ग्राम घोसियान के ग्राम प्रधान के विरुद्ध ग्राम समाज की सम्पत्ति के दुरुपयोग तथा विकास कार्यों में अनियमितता के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्तियों के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

151—श्री तेजभान सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्रीमती राजपती, ग्राम पंचायत सदस्य, कल्लू पुत्र भगोल व बम्ब बहादुर सिंह, सुरेश कुमार सिंह आदि ग्राम–घोसियान, ब्लाक–जामों, सुल्तानपुर का दिनांक 25-10-99 का रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र जिसमें ग्राम प्रधान के विरुद्ध ग्राम समाज की सम्पत्ति के दुरुपयोग, विकास कार्यों में अनियमितता तथा ग्राम सभा के धन का दुरुपयोग करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इसकी जांच करायी गयी। जांच आख्या के अनुसार प्रधान के विरुद्ध की गयी शिकायत निराधार पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

152—श्री श्रीराम पाल–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर के जिला विकास अधिकारी को गोरियाबाद के गौतमगढ़ी की पंचायत निधि से बनाई गई सड़क पर की गयी अनियमितता की शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

153—श्री तेजभान सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर०पी० मिश्र, जिला विकास अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित मुख्य विकास अधिकारी, आर०एस० साहू, सुल्तानपुर का पत्रांक–894 एस०टी०–मु०वि०अ० 99 दिनांक 26-10-1999 जो गोरियाबाद के गौतमगढ़ी की पंचायत निधि से बनाई गई सड़क पर अनियमितता की शिकायत की जांच हेतु निर्देशित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बक्शी का तालाब की न्याय पंचायत कुम्हरावां व न्याय पंचायत रसूलपुर सादाव की ग्राम सभाओं के विकास हेतु प्राप्त धन में हुई अनियमितता की जांच कर धन वसूली के आदेश की जानकारी

154–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड बक्शी का तालाब में जनवरी, 1995 से 31 मई, 1998 के मध्य न्याय पंचायत कुम्हरावां व न्याय पंचायत रसूलपुर सादाव की समस्त ग्राम सभाओं में राज्य वित्त आयोग व स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? आवंटित धनराशि किस निर्माण कार्य हेतु कब तक कितनी धनराशि आहरित की गयी है ? क्या उपरोक्त न्याय पंचायतों को ग्राम सभाओं में खण्ड विकास अधिकारी, बक्शी का तालाब व जिला पंचायती राज अधिकारी, लखनऊ तथा अपर जिला अधिकारी परियोजना, लखनऊ के स्तर से कराये गये कार्यों की जांच एवं की गयी अनियमितताओं के धन के वसूली के आदेश जारी किए गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रश्नगत अवधि में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है, परन्तु ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत रु० 1,61,604/- आवंटित किया गया था।

विवरण संलग्न है।

विशिष्ट शिकायत सम्बन्धित औपचारिक शिकायती पत्र प्राप्त होने पर विचार करने में आपत्ति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 156 पर)

155—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[4थे बुधवार के अता० प्र० सं०–145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

156—श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 30-3-2000 को अता० प्र० सं०–75 द्वारा उत्तरित]

जनपद कानपुर, तहसील घाटमपुर, ग्राम हथेरूवा की गाटा सं०–74 के रकबा की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाये जाने की मांग

157—श्री वेद प्रकाश सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री राम शंकर निवासी ग्राम–हथेरूवा, परगना व तहसील–घाटमपुर जिला–कानपुर नगर का प्रार्थना-पत्र जो कि गाटा नं०–74 का रकबा पैमाइश कराकर पूरा करने विषयक है, मा० सभापति अनुसूचित जाति विधान सभा के उपरिपत्र के साथ दि० 15-1-2000 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त पत्र पर मंत्री जी ने जिलाधिकारी, कानपुर नगर को पैमाइश कराकर रकबा पूर्ण कर कब्जा दिलाने के आदेश पत्रांक 302/वी०आई०पी०/राजस्व/2000. दिनांक 15-1-2000 द्वारा दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 6 अप्रैल, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं)

जनपद बांदा में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1998-99 के बजट प्राविधान में की गयी कथित अनियमितताओं की जांच टी० ए० सी० से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा को वर्ष 1998-99 में दुरैढ़ी सम्पर्क मार्ग को 11.50 लाख जसुपरा, गड़रिया सम्पर्क मार्ग 24.32 लाख लुकतरा पथरी सम्पर्क मार्ग को 0.75 लाख खपरिया, अलोना से सांडी सम्पर्क

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मार्ग को 30.80 लाख रुपये लेपन स्तर तक निर्माण कार्य हेतु प्रदान किया गया था किन्तु अधिशासी अभियंता व अवर अभियंता द्वारा मिलकर धन का दुरुपयोग कर लिया गया है निर्माण कार्य के नाम पर पुरानी सोलिंग के उपर नाम मात्र का जीरा कंकरीट, बिछाकर सड़क निर्माण पूरा दिखा दिया है, सांड़ी सम्पर्क मार्ग में आज तक लेपन का भी कार्य नहीं कराया गया है ? घटिया किस्म की सामग्री उपयोग के कारण सड़क जगह-जगह से टूट गयी है तथा वाहनों का चलना मुश्किल हो रहा है यदि लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा द्वारा बनाई गयी इन सड़कों की तकनीकी जांच प्रदेश मुख्यालय की टी० ए० सी० टीम से करा ली जाये तो दोषी अभियंताओं के विरूद्ध कार्यवाही सम्भव हो सकती है स्थानीय स्तर पर कई बार उक्त निर्माण में हुई अनियमितताओं की शिकायत हुई है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है ।

अतः श्रीमान् जी अनुरोध है कि निर्माण हुई अनियमितताओं की जांच प्रदेश मुख्यालय की टी० ए० सी० टीम से कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें ।]

जनपद बुलन्दशहर में अप्रशिक्षित अध्यापकों की जांच तथा शोषण बन्द कराने विषयक शासन तथा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार–

[मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं के शासनादेश 6 सितम्बर, 1994 एवं 3 जुलाई, 1999, 12 जुलाई, 1999 एवं आपकी असीम कृपा से पुनः 27 मार्च 1998 के शासनादेश से पूर्व शासनादेश 6 सितम्बर, 1994 के पालन में शासन ने 3 जुलाई, 1999, 12 जुलाई, 1999 में एक समिति गठित करके पात्र/अपात्र की सूची शासन को भेजकर अतिशीघ्र प्रशिक्षण कराये जाने की एवं वर्ष 1996 की परीक्षा दे चुके हैं उनका परीक्षाफल घोषित करने की व्यवस्था की गयी है ।

मान्यवर, उक्त शासनादेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा मेरे पत्रों एवं सभा में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर अपूर्ण एवं भ्रामक शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिये जा रहे हैं ।

उक्त के सम्बन्ध में समस्त पत्रावली शिक्षा मंत्री बेसिक को दिनांक 9-3-2000 को प्रेषित कर चुका हूं । परन्तु शिक्षा अधिकारी एवं निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा भी गुमराह किया जा रहा है ।

जनपद बुलन्दशहर में 434 अप्रशिक्षित अध्यापकों को 3 जुलाई, 1999 एवं 12 जुलाई, 1999 के शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत समिति द्वारा जांच कर प्रशिक्षण कराकर परीक्षा नहीं करा रहे हैं तथा शेष जनपदों में भी अप्रशिक्षित अध्यापकों का जांच के नाम पर शोषण किया जा रहा है । जब कि शासनादेश से स्पष्ट अंकित हैं कि 27 मार्च, 1998 तक पंजीकृत किये गये अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा लगाये गये प्रमाण-पत्रों की जांच की जाये परन्तु निदेशक/शिक्षा अधिकारियों द्वारा वर्ष 1995 से तरह-तरह की अपूर्ण एवं भ्रामक सूचनायें शासन को प्राप्त करायी जा रही है । जिनकी छायाप्रति में शिक्षा मंत्री (बेसिक) को उपलब्ध करा चुका हूं फिर भी अप्रशिक्षित अध्यापकों का शोषण किया जा रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मेरी मांग है कि उक्त शासनादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों का जांच के नाम पर शोषण बंद कराने प्रशिक्षण प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापकों का सम्पूर्ण उ० प्र० में परीक्षा कराने व वंचित अप्रशिक्षित अध्यापकों का अतिशीघ्र प्रशिक्षण कराने के आदेश जनहित में पारित किये जायें तथा अतिशीघ्र कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने के आदेश पारित किये जायें ।]

जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा में स्थित सार्वजनिक तालाबों एवं घाटों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बाबू लाल कुशवाहा–

[मान्यवर, अतर्रा नगर पालिका परिषद् के 'अतर्रा बुजुर्ग तहसील–अतर्रा, जिला बांदा के सार्वजनिक तालाब प्लाट नं०–1084 भवानी तालाब स्थित है, तालाब के मीटा नं०–1083, 1089 1085 है । उसमें भवानी देवी मन्दिर राम जानकी मन्दिर पक्का घाट जनाना-मर्दाना बने हैं । प्लाट नं०–1210 दामू तालाब स्थित है, जिसमें शंकर जी का मन्दिर ठाकुर देवाला पक्का घाट, जनाना-मर्दाना स्थित है नगर व पास पड़ोस जनमानस हजारों साल से इन सार्वजनिक तालाबों एवं उनके पक्के घाटों व स्थानों में धार्मिक कृत्यों के लिए उपयोग करते चले आ रहे हैं ।

अतर्रा नगर पालिका परिषद् की अकर्मण्यता के कारण उपरोक्त सार्वजनिक तालाबों कूड़ा करकट से चारों तरफ से पाटकर समतल जगह बनाकर कतिपय लोग जोर जबरदस्ती से अतिक्रमण कर सरकार को करोड़ों रुपये का हानि पहुंचा रहे हैं । जिससे जनता में असंतोष व्याप्त है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है उपरोक्त सार्वजनिक तालाबों एवं घाटों का पूर्ववत बना रहना जनमानस एवं पर्यावरण के हित में है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं तथा उक्त भवानी तालाब दामू तालाब उनके घाटों की सुरक्षा की मांग करता हूं ।]

महानगर गोरखपुर के पुराना गोरखपुर मुहल्ले से हुई, एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी में लिप्त अपराधियों पर मुकदमा कायम कर गिरफ्तार किये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती माया प्रसाद–

[महोदय, प्रदेश के दलित वर्ग के महिलाओं के साथ उनकी समस्याओं पर प्रदेश की पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कोई कार्यवाही न किये जाने से पिछड़ा अनुसूचित, अल्पसंख्यक जाति के लोगों में सरकार के प्रति घोर असंतोष व्याप्त है ।

महानगर गोरखपुर के पुराना गोरखपुर मोहल्ले, थाना गोरखनाथ की निवासिनी श्रीमती जानकी देवी की नाबालिग लड़की कु० नीतू का एक होटल के मालिक की शह पर कुछ मनगढ़ अपराधी किस्म के युवकों ने दिनांक 1-12-99 को सायंकाल जबरन अपहरण कर लिया । श्रीमती जानकी देवी थाना गोरखनाथ में कुछ लोगों के साथ पहुंची और स्थिति बताई तो मुकामी पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज न कर जबरन गुमशुदगी का आवेदन पत्र एक-एक व्यक्ति से लिखवाया और जानकी का हस्ताक्षर करा लिया एक सप्ताह तक जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया तो श्रीमती जानकी देवी मुहल्ले के तमाम लोगों को लेकर थाने पर गयी । मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस ने अपने तरीके से एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आवेदन पत्र श्री संकठा प्रसाद यादव से आनन-फानन में लिखवाया फिर भी श्री यादव ने अपहरण व नाबालिग लड़की को बेचे जाने की अथवा हत्या कर दिये जाने का जिक्र आवेदन पत्र में कर ही दिया।

उक्त संबंध में पुलिस द्वारा अभी तक कोई कारगर कार्यवाही न किये जाने से लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी है और लोगों में नाबालिग लड़की की हत्या कर देने की चर्चा घर-घर हो रही है। इस कारण थाना गोरखनाथ के अन्तर्गत लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व सुनिश्चित विषय पर कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत तत्काल मुकदमा कायम कर अपराधियों को अविलम्ब गिरफ्तार करने की मांग करती हूं।]

गोरखपुर स्थित "दि मैकेनिकल डिपार्टमेन्ट प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक प्रा० लि०" में बड़े पैमाने पर की गयी फर्जी नियुक्तियों को रद्द करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम नक्षत्र–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गोरखपुर स्थित दि मैकेनिकल डिपार्टमेन्ट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक प्राइवेट लि० पूर्वोत्तर रेलवे (कारखाना के अन्दर) में बड़े पैमाने पर 1998 से फर्जी नियुक्तियां की गयीं तथा बैंक का संचालक मण्डल का चुनाव भी अवैध तरीके से किया गया। इस संबंध में वहां के लोगों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को कई आवेदन दिये गये तथा धरना व प्रदर्शन भी किया गया परन्तु सरकार और अधिकारियों की सांठ-गांठ के चलते फर्जी तरीके से की गयी 97 नियुक्तियों को रद्द नहीं किया गया।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त समय की गयी नियुक्तियों की जांच कराने हेतु शासन को निर्देशित कर दें।]

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पचउथ, थाना देबरुआ के मृतक साधूराम की हत्या के नामजद अभियुक्त को पृथक करते हुए प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उबैदुर्रहमान–

[मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पचउथ, थाना देवरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर में दिनांक 23/24-6-99 को मृतक साधूराम की हत्या का मुकदमा अपराध संख्या 147/99 में बेगुनाह मौलाना अब्दुल सकूर को नामजद किया गया था। जिसका प्रकरण न्यायालय में लम्बित है।

मो० अब्दुल सकूर द्वारा निष्पक्ष जांच के लिये पुलिस उपमहानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र को प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया था, जांच हेतु पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को नियुक्त किया गया था। पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देश पर इसकी जांच अभिसूचना इकाई बस्ती द्वारा जांच कर दिनांक 15-7-99 को जांच रिपोर्ट पुलिस उपमहानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र को प्रेषित की गयी जिसमें श्री अब्दुल सकूर को निर्दोष पाया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव मैं इस लोक महत्व के प्रश्नगत प्रकरण के माध्यम से मांग करता हूं कि अभिसूचना इकाई बस्ती की जांच आख्या के आधार पर शासन की अनुमति द्वारा मो० अब्दुल सकूर को पृथक करते हुए यथाशीघ्र प्रकरण के निस्तारण हेतु इसे नियम 301 में उठाने की आपकी अनुमति चाहता हूं। ताकि उपरोक्त से सम्बन्धित अब्दुल सकूर को न्याय मिल सके।]

पराग दूध डेरी मेरठ में व्याप्त अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, पराग दूध डेरी मेरठ में पिछले एक वर्ष में लगातार घाटा बढ़ रहा है। पुराने अनुभवी कार्यरत लोगों को निकालकर नये लोगों को राजनैतिक आधार पर भरा जा रहा है।

दुग्ध आपूर्ति में भयंकर घोटाले की शिकार है। पौलीथीन खरीद में भी घोटाला है। दुग्ध अपने मानक स्तर के अनुरूप नहीं खरीदा जा रहा है। कुछ निश्चित सहकारी समिति को लाभ देकर शेष के साथ उत्पीड़नात्मक व्यवहार किया जा रहा है।

पौलीथीन मौजूद थी नये रेट पर नयी खरीद ली, पुरानी को भी नये रेट छपवाये फिर बेकार कर कूड़ें में डाल दी। अधिक मात्रा में खरीद ली।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाते हुएं उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 6 अप्रैल, 2000 को नियम–300 के अन्तर्गत सात सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इसमें पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा० अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार नियम–301 की सूचनाओं पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर न रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं इस सूचना के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के संख्या–14 (3) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं इसमें स्पष्ट प्राविधान है कि "प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी, जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण हो"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विधान सभा के 2000 के प्रथम सत्र की बैठक 23 मार्च, 2000 से प्रारम्भ हुई है। 24, 27,29, 30, 31 मार्च और 3 अप्रैल तक सात बैठक हो गई है और तीन अप्रैल तक 12 दिन की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन के पटल पर विवरण नहीं रखा गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरकार इस तरह की सूचनाओं के बारे में जो लापरवाही बरत रही है, मान्यवर, पिछले सत्र में 30 के अन्तर्गत जो सूचनायें इस सदन के माननीय सदस्यों ने दी थी और जो निर्धारित अवधि है वह सात दिन है, सात दिन के भीतर प्रदेश सरकार को तत्परता के साथ सदन के पटल पर इसको रखना चाहिए था लेकिन नहीं रखा गया उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा सदन में एक बार नहीं कई बार इस तरह की लापरवाही की गयी है इसके कई दृष्टांत है। प्रदेश सरकार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। मैं अपने इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस संबंध में स्पष्ट निर्देश होने चहिए ताकि प्रदेश सरकार द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही अब भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया है यह उनका अधिकार है कि वह औचित्य का प्रश्न उठायें, लेकिन मेरा आग्रह करने का दायित्व है, जो माननीय सदस्य कार्यसूची न देख पायें तो एक मार्ग दर्शन, एक रास्ता हमें मिल जाएं, उन्हें कैसे कार्यसूची दिखाएं ? 29 मार्च, 2000 में सूचनाओं के बारे में सारी सूचना सदन के पटल पर रखी जा चुकी है, मेरा फर्ज बनता था, रख दिया; सात दिन के अन्दर सारी सूचना रख दी, 23 मार्च, 2000 से सत्र शुरू हुआ इसमें सात जोड़ दें तो तीस हो जाता है, तो 30 के बजाए 29 मार्च को ही रख दिया गया। मान्यवर हर साल इस तरह का प्रश्न उठता है माननीय सदस्य ने परम्परा निभाई इसके लिए धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है, इसको अग्राह्य करते है। साथ ही संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि यथा समय 301 की सूचनाओं पर कार्यवाही समयानुसार करा ली जाये।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की बजटरी समितियों (विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों) के गठन की अनिवार्यता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, इस सदन में कई अवसरों पर यह प्रश्न उपस्थित हुआ था कि संसद की तरह लोक सभा की तरह से इस विधान सभा में भी विभागीय सम्बद्ध स्थायी समितियां बनायी जायं। सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी पीठ से निर्देश दिये गये थे अध्यक्ष जी उस समय विराजमान थे और उन्होंने यह निर्देश दिया था कि एक समिति बनायी जाय और उसका गठन भी हुआ और समिति ने जिन राज्यों में यह समितियां काम कर रही हैं उनका गहन अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के आने के बाद कई अवसर ऐसे आये हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी से भी बैठकर बात हुई कि इसको लागू किया जाय। वह रिपोर्ट आ गयी है। सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए निर्देश दिया गया लेकिन सरकार अभी तक उन विभागीय सम्बद्ध स्थायी समितियों का गठन करने से कतरा रही है। मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा है, अध्यक्ष पीठ की गरिमा है, यह किसी दल विशेष का सवाल नहीं है। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है यह बतायें ? अगर सदन की भावनाओं का यह सम्मान नहीं करते हैं, अध्यक्ष पीठ का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, तो फिर अध्यक्ष पीठ से निर्देश देना होगा कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार उस रिपोर्ट को लागू करे ताकि जिस प्रकार से लोक सभा में स्थायी समितियां बनायी गयी हैं उसी प्रकार से यहां पर भी बनायी जाये ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपको यह स्मरण होगा कि विगत सत्र में भी यह प्रश्न उठाया गया था और उसके पहले भी यह उठाया गया था और इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष जी ने कृपापूर्वक सभी माननीय नेताओं की बैठक आहूत की थी इस प्रश्न के विचार के बारे में सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। उसका मन्तव्य यह था कि सारे अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट को देखने के बाद यह संभव नहीं हो पा रहा है कि इसका गठन किया जाय । क्योंकि उसके परिणाम और दुष्परिणाम पर विचार करने की बात है । हमारे लिए इस सत्र का होना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाए इसके कि इसे हम कई समितियों में विखंडित करें । सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर माननीय श्री राम नरेश यादव और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है । इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं । अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व विषयक संविधान के अनुच्छेद–164(2) का अनुपालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं अपने इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 164(2) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें मंत्रिपरिषद् के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने की बात कही गयी हैं । मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद् है इसमें बड़े मतभेद रहते हैं । इसी 3 अप्रैल, 2000 को इस सदन में सरकार की तरफ से उत्तरांचल के विषय में जो संकल्प पेश किया गया था, उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से गरमागरम बहस हुई थी । मंत्रिपरिषद् के दो सदस्यों श्री रमेश पोखरियाल निशंक व श्री मातवर सिंह कण्डारी जी ने भी जो भाषण दिया वे कृपया देखें । मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि संविधान के अन्तर्गत यदि सरकार के संकल्प के विरूद्ध कोई राय जाहिर करता है तो क्या उसका वह व्यक्तिगत विचार माना जायेगा ? क्या वह संविधान के अनुसार सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है या नहीं ? इस संकल्प के खंड 64 में श्री रमेश पोखरियाल जी ने अलग बात कही । दूसरे मंत्री कण्डारी जी ने कहा कि हरिद्वार तो उत्तरांचल का आंगन है, उसके बिना उत्तरांचल की कल्पना नहीं की जा सकती है क्या उनके यह विचार सामूहिक उत्तरदायित्व के परे हैं या उसके अंतर्गत हैं । अगर अनुच्छेद 164(2) का अनुपालन नहीं किया है तो उन्होने स्पष्ट तौर से इस अनुच्छेद 164(2) का उल्लंघन किया है । मान्यवर, उल्लंघन किया है तो वे मंत्रिंपरिषद् से अपना इस्तीफा दें या उन्हें मंत्रिपरिषद् से पृथक किया जाना चाहिये ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और इसी औचित्य के प्रश्न में मैं कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, नियम 300 के खण्ड 4 में है कि किसी औचित्य के प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी किन्तु अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें तो अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बातें सुन सकेंगे । मेरी प्रार्थना यह है कि इस नियम के उप नियम 4 के अनुसार आप कार्यवाई करें । यह सदन की कार्यवाही से संबंधित है । इस पर माननीय वर्मा जी की बात सुन लें और हम लोगों की भी बात सुन लें ।

श्री अधिष्ठता–

आपने व्यवस्था का प्रश्न किया, मैं उस पर विनिश्चय कर रहा हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं उस लाइन का उद्धरण देना चाहता हूं । डा० रमेश पोखरियाल निशंक ने यह कहा है – मान्यवर, उत्तरांचल ही से बात नहीं, एक राज्य के निर्माण का विषय है । इसलिये मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि खण्ड 64 के अन्त में यह जोड़ दिया जाय कि बोर्ड द्वारा नियत तिथि से एक वर्ष में अवधारित न किये जाने पर तथा तदोपरान्त दोनो उत्तरवर्ती राज्य सरकारों में एक वर्ष में सहमति न हो पाने की दशा में यह केन्द्र सरकार द्वारा एक वर्ष में अवधारित किये जायेंगे । पुनर्गठन एक्ट जो हुए है सभी में यह व्यवस्था रही है । कर्मचारियों का जो दूसरा विषय है । पर्वतीय संवर्ग के लिए विकल्प दे चुके अधिकारी/कर्मचारियों (व्यवधान) को अंतिम रूप से आवंटित की जावेगी । तो इस तरह से निशंक जी ने अपने विचार व्यक्त किये ।

दूसरा मान्यवर, मातवर सिंह कंडारी जी ने यह कहा है कि मैं हरिद्वार की बात कर रहा हूं, हरिद्वार उत्तरांचल का आंगन है, अगर आंगन छीन लिया जाय तो उस घर का क्या महत्व रह जायेगा । इसलिये उत्तरांचल को हरिद्वार में मिलाया जाना चाहिए । यह 3 अप्रैल, 2000 की कार्यवाही का है । तो इस तरह से यह अपेक्षा है मंत्रिपरिषद के 2 सदस्यों का विचार, क्या यह व्यक्तिगत है, सदन में उनका यह वक्तव्य क्या संविधान के मंत्रिपरिषद् के संयुक्त दायित्व के विपरीत है कि नहीं मेरा तो कहना है कि संविधान के विपरीत यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, जिन माननीय मंत्रीगण का नाम लिया है वह विचारशील है, निर्विचार नहीं है । उन्होंने अपने विचार रखे । विचार रखने के बाद जिस समय यह चर्चा चल रही थी तब भी माननीय शाक्य जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया था कि कैसे यह विचार रख रहे हैं उन्होंने तब भी कहा था कि विचार रख रहा हूं लेकिन जब सत्तापक्ष द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर मत देने की बात आई तब देखते कि क्या स्थिति रही ? अच्छा होता आप भी संयम बरतकर बैठे रहते और भाग लेते, मातवर सिंह और निशंक जी भी सम्मिलित रहे । पूरी रुचि के साथ मतदान किया और कहीं भी मतभिन्नता की स्टेज नहीं आई । मान्यवर, मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं माननीय सदस्य, इससे पीछे वाली सीट पर माननीय गजेन्द्र सिंह मुन्ना बैठे हुए थे और कहा था कि हरिद्वार शामिल नहीं किया गया तो सारे उत्तरांचल में विध्वंश मचा देंगे और दूसरे अम्बरीष कुमार जी हरिद्वार के हैं ये चुनौती दिये कि अगर शामिल कर दिया तो वह क्या करेंगे तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा न हो कि तलवारें खिंच जाय और हिंसा का वातावरण हो जाय तो यहां पर केवल विचार व्यक्त किये गये हैं और मतदान के बाद यह दिखा दिया कि हम एक थे, एक हैं, और एक रहेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपका विनिश्चय आये, इससे पहले एक चीज स्पष्ट हो जाय ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर; मंत्री जी जो सदन में बोले, वह सरकार की कही हुई बात मानी जायेगी । 164(2) के अनुसार मंत्रि परिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा , इसलिये यह मंत्री जी का व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकता । कोई भी मंत्री यहां कुछ भी बोलता है, वह सरकार का कहा हुआ शब्द माना जाता है, इसलिये संसदीय कार्य मंत्री का यह कह देना कि वह उनका व्यक्तिगत विचार था, पर्याप्त नहीं है । यदि सदस्य के रूप में उन्होनें कहा होता तो मान लिया जाता । इसलिये सामूहिक उत्तरदायित्व के इस नियम का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है और 163 के तहत, जिसमें मंत्रिपरिषद् का गठन हुआ है, उसका भी उल्लंघन हुआ है । इसलिये उस दिन की पूरी कार्यवाही निरर्थक हुई । इसलिये इस सदन को चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो औचित्य का प्रश्न माननीय राम औतार शाक्य जी ने उपस्थित किया था,उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि इसमें सीधे-सीधे संविधान के अनुच्छेद 164(2) का उल्लंघन हुआ है । संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरी बात तो बता दी लेकिन इस प्रश्न पर कुछ नहीं कहा । माननीय मंत्री जी के इस कृत्य से संविधान की भावनाओं का उल्लंघन हुआ है । संसदीय कार्य मंत्री ने दो सदस्यों का तो नाम ले लिया, उनका 164(2) से कोई लेना देना नहीं है । माननीय शाक्य जी ने दो माननीय मंत्रियों के नाम भी लिये हैं, और उनमें से एक यहां मौजूद भी हैं । यदि वह सरकार की राय से सहमत हो गये हैं और उनका मन निर्मल हो गया है तो आप स्वयं माननीय मंत्री जी से पूछ लीजिये कि हरिद्वार को पहाड़ से निकाल दिये जाने पर वह सहमत हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । माननीय मंत्री जी पीछे बैठे हाथ हिला रहे हैं, वह सहमत नहीं हैं ।

(श्री राम औतार शाक्य एवं श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं , कृपया स्थान ग्रहण करें । मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं ।

माननीय राम औतार शाक्य, माननीय सदस्य तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह विषय औचित्य के प्रश्न के रूप में ग्राह्य नहीं है, अतः मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, न्याय के सामान्य सिद्धान्त के अनुरूप [xxx] इसलिये आप अपनी व्यवस्था पर पुनः विचार कर लें ताकि सम्यक् तरीके से व्यवस्था आ जाय ।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य उपनेता है, इनका अपना स्टेटस है, मैं अपेक्षा करता हूं, जो पीठ को आतंकित करने वाली बात कही गयी है । मान्यवर, पीठ के आतंकित होने वाली बात नहीं है । मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाला जाये । निष्पक्ष भाव से पीठ से निर्णय होता है, उसे आपको स्वीकार करना चाहिए । यदि आपके पक्ष में निर्णय नहीं लिया गया तो इसके लिए पीठ पर आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए । आपको इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

माननीय प्रमोद कुमार, श्री समरपाल सिंह, माननीय रघुबर दयाल वर्मा, श्रीमती कृष्णा राज और श्री श्रीरामपाल की सूचना को अस्वीकार किया जाता है। ये सूचनाएं नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं ।

(श्री प्रमोद कुमार, श्री श्रीरामपाल एवं श्री जगदम्बिका पाल के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं । इन सूचनाओं का नियम–300 से दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है, ये सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं । माननीय प्रमोद कुमार जी मैं आपसेअनुरोध कर रहा हूं.....

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं । आपने जो कहा आपका आदेश शिरोधार्य है । मैं इतना कहना चाहता हूं । मान्यवर, आप कहते हैं कि आप लोग वरिष्ठ सदस्य हैं और यह भी कहते हैं कि इस सूचना का नियम 300 से दूर-दूर तक का नाता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना का नियम–300 से दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(श्री श्री रामपाल व्यवधान के मध्य बोलते रहे किन्तु कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दिया)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक तरफ कैहते हैं कि वरिष्ठ सदस्य हैं । मैने कहीं न कहीं से सोचा होगा कि यह सूचना नियम–300 के करीब है । आप दो मिनट देदें यदि इसका नियम–300 से कोई नाता नहीं है तो अस्वीकार कर दें । मान्यवर, इससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० प्रमोद जी, इससे सदन की कार्यवाही कहां विनियमित होती है ?

(व्यवधान)

* श्री जगदम्बिका पाल–

.....164(2) में मंत्रिमण्डल में सामूहिक रूप से उत्तदायित्व होता है .....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मुख्य मंत्री पर आरोप लगाया गया है इस तरह सदन नहीं चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन के बाहर कही गयी किसी बात का हम संज्ञान नहीं ले पायेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सत्र चल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । आप सदन की परंपराओं से भिज्ञ हैं । सदन के बाहर कही गयी कोई बात सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं मानी जा सकती । अखबार में छपी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जा सकता । लिहाजा–मंत्री–द्वारा सदन से बाहर दिये गये वक्तव्य का सदन के अंदर संज्ञान लेकर नियम 3()() के अंतर्गत इस विषय को उठाने की अनुमति मैं नहीं देता हूं ।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि औचित्य का प्रश्न है कि नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार–

आपने जो निर्देश दिया वह सर आंखों पर ।

सहयोगी दलों द्वारा मंत्रिपरिषद् की बैठक का बहिष्कार किये जाने विषयक प्रकरण पर औचित्य का प्रश्न (जारी)

श्री अधिष्ठाता–

आप केवल इतना बता दें कि प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के कौन से नियम का या संविधान के कौन से अनुच्छेद का जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है उसका उल्लंघन हुआ है, मैं तभी इस सूचना पर सुन पाऊंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप 164(2) को देखें । "मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध" मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रासाद पर्वन्त अपने पद धारण करेंगे ।

एक सदस्य–

मान्यवर, यह सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कहने का अधिकार आपका नहीं है, यह हमारा अधिकार है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 164(2) में कहा गया है कि "मंत्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।" मान्यवर इसका मतलब है कि सभी मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप जरा यह बतायें कि इसका संज्ञान किस आधार पर लिया जा सकता है ?

श्री प्रमोद कुमार-

आप 2 मिनट का समय दे दें, उसके बाद एक सेकेंड ज्यादा हो जाय तो आपके निर्देश पर मैं बैठ जाऊंगा । 164(2) के अंतर्गत अगर एक मंत्री के नीतिगत वक्तव्य से दूसरे मंत्री के वक्तव्य में फर्क है तो यह सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन है । राम प्रकाश गुप्त जी के मंत्रिमण्डल में नरेश अग्रवाल जी लोकतांत्रिक कांग्रेस घटक के मंत्री हैं । यह कहते हैं कि कैबिनेट का वह बहिष्कार करते हैं । दूसरे घटक के मंत्री राजाराम पांडेय हैं । (शोर)

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम इस तरह से छोड़ेंगे नहीं, यह हमारी मजबूरी है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय नरेश अग्रवाल जी कह दें कि मैंने बहिष्कार की बात नहीं कही है तो बात खत्म हो जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपने जो मंत्रिमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कही है उससे वह सिद्धांत कहां पर भंग हुआ है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मैं वही बताने जा रहा हूं । (शोर)

(शोर)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा ।

(शोर)

(व्यवधान/शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर नेता विरोधी दल को बोलने नहीं दिया गया, | × × × |

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, | × × × |

श्री अम्बिका चौधरी–

| × × × | से सदन नहीं चलेगा । | × × × | को मंत्री तो बना सकते हैं लेकिन इस सदन को | × × × | के हवाले नहीं रखा जा सकता । | × × × | सरकार तो चल सकती है लेकिन सदन नहीं चलेगा । आपने | × × × |

नोट :– | × × × | यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री रामनेज यादव एडवोकेट, श्री वसीम अहमद एवं श्री राम विशुन आजाद सहित विपक्ष के अनेक सदस्य सदन की वेल में आ गये ।)

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट ने रिपोर्टर्स टेबुल पर लगे साउण्ड बाक्स को उखाड़ दिया तथा पीठ की ओर एजेण्डा की कापी व अन्य कागज फेंके)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग पीठ का सम्मान करें । माननीय सदस्यों को यह शोभा नहीं देता । मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 1 बजे सदन की कार्यवाही 1 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।

1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 1 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।

1 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन संचालन में सहयोग का आश्वासन

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि यह सदन शांतिमय ढंग से चले । किसी तरह से चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो कोई भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि सदन में उत्तेजना फैले और इस सदन में नियमानुसार संविधान के तहत सबको अपनी बात कहने का अधिकार है । श्रीमन्, तिवारी जी इस प्रश्न पर अपनी बात रखना चाहते थे नियम 300 के अन्तर्गत उसमें जो यह पीठ से कहा गया कि अखबार की बात संज्ञान में नहीं ली जा सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकरण पर आने से पहले मैं सम्मानित सदन से यह अनुरोध करूंगा कि अभी सदन के सामने जिस तरह का वातावरण तैयार हुआ जिस तरह से एक माहौल बनाया गया वह निश्चित रूप से उचित नहीं है और उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए । दोनों तरफ से संयम बरता जाना चाहिए मैं इसे अवांछनीय या असंसदीय ही कहूंगा । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि । × × × । से सदन नहीं चलेगा मैं यह भी निर्देश दे रहा हूं कि इस तरह के शब्द जहां कहीं भी कार्यवाही में आये हों वह कार्यवाही से निकाल दिये जायें और मैं अपेक्षा करूंगा कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलाने में अपना सहयोग प्रदान करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह सदन की परम्परा रही है कि नेता प्रतिपक्ष या नेता सदन दोनों में से जब भी कोई खड़ा होता है तो उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है । यह मैं समझता हूं कि गरिमा के विपरीत है कि नेता विरोधी दल खड़े हों और अध्यक्ष पीठ से कोई निर्णय दिया जा रहा हो ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– । × × × । यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन में यह भी परम्परा रही है कि जब इस पीठ से कोई बोलने के लिये खड़ा हो तो सबको बैठ जाना चाहिए। पीठ की बात सुन ली जाए।

श्री धनीराम वर्मा–

सदन इस बात का सबूत है कि जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ था तो मुझे न बोलने देने के लिये यहां उत्तेजना फैलाई गई। यहां तक कुछ हमारे माननीय मंत्रियों ने भी इस तरह की बात कही जो उनको नहीं कहना चाहिए था। मैंने अनुरोध किया कि मैं खड़ा हुआ हूं मुझे अपनी बात कहने दी जाए। उसके बाद आप खड़े हुए। मैंने कहा कि आप बैठ जाएं पहले मेरी बात सुन लें। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रमोद जी जो कह रहे हैं उसे सुन लिया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो शब्द अनुचित है, अशोभनीय हैं वह कार्यवाही में नहीं आने चाहिए और कार्यवाही से इन शब्दों को हटाने का पीठ को अधिकार भी है। मैंने |×××| का प्रयोग किया। मैं निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ स्पष्ट था कि माननीय नेता विरोधी दल खड़े हुए और उनकी बात को न सुनने के लिए सदन में इस प्रकार का माहौल तैयार किया गया, कुछ इशारे इस तरह से किये गये, कुछ अपशब्द इस तरह से किये गये जिसको हमने |×××| कहा था।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने यह अनुरोध किया है कि सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चल सके यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वह सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों सबकी जिम्मेदारी है। यह एक अपूर्व प्रसंग था। मैं यह अपील कर रहा हूं कि दोनों पक्षों के माननीय सदस्य संयम बरतते हुए सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चलने दें। मा० नेता विरोधी दल के सम्मान को कम करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह अक्षुण है। अब इस प्रकरण को चर्चा का विषय न बनाते हुए सदन की कार्यवाही शुरू की जाय।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपने असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकालने का निर्देश दिया है। मेरा निवेदन है कि इसको प्रेस भी संज्ञान में न ले, क्योंकि इससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं निर्देशित करता हूं कि इससे सम्बन्धित कोई भी बात प्रेस में नहीं छपे।

संसदीय, कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसके आगे भी कुछ अशोभनीय आचरण हुआ है। यह आचरण वाणी से आगे बढ़ा है। सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि इस पर खेद व्यक्त किया जाय।

श्री धनीराम वर्मा–

जिन सभी माननीय सदस्यों से इस प्रकार का अशोभनीय आचरण हुआ है, मेरा अनुरोध है कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।

नोट :– |××× | यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाना–

मैं नेता विरोधी दल से एक प्रार्थना कर रहा था कि मैंने इस प्रकरण को निश्चित रूप से बहुत गम्भीरता से लिया है । इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती है, न ही यह वांछनीय है और न ही परम्परा के अनुकूल है, माइक, कुर्सी और कुछ अन्य सामग्री जिस प्रकार यहां पर तोड़ी गयी, वह ठीक नहीं हुआ । वह सदन की सम्पत्ति है और हम सब उसके हिस्से हैं । यह अपने आप में एक दुःखद बाद है । मैं अपेक्षा करूंगा कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ।

सहयोगी दलों द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक का बहिष्कार किये जाने विषयक प्रकरण पर औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

भारत के संविधान के अन्तर्गत लोकतंत्र की स्थापना हुई है । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 3(1) के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न है जिसके अन्तर्गत उन्हीं अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है जिनसे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है तभी औचित्य का प्रश्न आता है । महामहिम राज्यपाल जी मुख्य मंत्री को नियुक्त करते हैं और मुख्य मंत्री की संस्तुति पर मंत्रि-परिषद् की नियुक्ति करते हैं और तब मंत्रि-परिषद् का गठन हो जाता है और उनमें एक सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त बना हुआ है । इसी मूल सिद्धान्त के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् कार्य करता है, गोपनीयता दूसरा बिन्दु है । दो-तीन दिन के अन्दर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन हुआ है । जब मिलीजुली सरकार हो, गठबन्धन की सरकार हो तब इसका महत्व और बढ़ जाता है । अब आप 164 (2) को ले लें । तीन शब्दों की ओर मैं विशेष ध्यान दिलाऊंगा । मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा और सामूहिक उत्तरदायित्व तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण शब्द हैं, चाहे नीतिगत विषय हो, चाहे स्थायित्व का हो । जब भी कोई ऐसी बात आती है तो वह मंत्रि-परिषद् का निर्णय होता है । अब इस सरकार के दो घटकों के मंत्रियों ने मंत्रिमण्डल की बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि मुख्य मंत्री अक्षम हैं । श्रीमन्, आयु तो सभी की आयेगी । मुख्य मंत्री जी विद्वान और योग्य हैं परन्तु उनके लिए कहा गया कि बूढ़े हो गये हैं, किसी मंत्री को ऐसा कहना शोभा नहीं देता ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । माननीय श्री प्रमोद जी ने 164 (2) का उल्लेख किया है, उसें आप भी देख लें । मैं उन्हीं की बातों पर जाना चाहता हूं । मंत्रिपरिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । राज्य की विधान सभा का सत्र चल रहा है । इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता इस बात को प्रदर्शित करने का कि मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है कि नहीं । शुरू में एक प्रश्न किया था कि आप अपनी बात का आधार बतायें ? किस आधार पर कह रहे हैं ? सदन चल रहा है । सदन में उत्तरदायित्व सिद्ध करने का अधिकार हमको प्राप्त है और हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि हम सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं । यदि हमारे मंत्री साथियों में से कोई मंत्री मतदान नहीं करते तो लगता कि कोई सदस्य अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है । बाहर की बात को इस तरह से कह रहे हैं । अगर कोई बात कहते हैं तो उसको किस आधार पर कह रहे हैं ? क्या सबूत है ? सबूत के साथ कहें । इस तरह की बात बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के कहना विधान सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं है । जो बात आप कह रहे हों, उसका कोई आधार हो तो आप उन्हें अवसर दे दें अपनी बात कहने का । वे उस आधार को आपके सामने रख दें । अगर आप संतुष्ट होंगे तो मौका देंगे, नहीं होंगे, तो नहीं देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आधार बताऊंगा । मैंने कहा मैं स्पष्ट करूंगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप देख लें । यह अनुचित आचरण है ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० प्रमोद जी, मेरी एक प्रार्थना है । आप निश्चित रूप से अपनी बात कहें, जो मैंने शुरू में अनुरोध किया था पुनः कर रहा हूं कि आपने जो कहा कि मंत्रिपरिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी है तो वह कहां विखंडित हुई है ? कहां उसका उल्लंघन हुआ है ? उसका आप कहीं कोई आधार तो बतायें ? केवल भाषण करने के लिए 164, 164 (2) नियमावली के नियम–300 का जिक्र न करें । यह भी तो कहें कि कहां पर इसका उल्लंघन हुआ है । भाषण करने से पहले यह बतायें कि फलाने संविधान के फलाने अनुच्छेद का जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है, का उल्लंघन हुआ है ?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं बहुत आपका कि आपने मुझे बात कहने के लिए बल दिया है । अपनी बात कहने के लिए मैं पुनः 164 की तरफ फिर लौटना पड़ेगा । (व्यवधान)

मान्यवर, कमेन्ट्री अच्छी लगती है जब क्रिकेट खेला जाता है । एक सदस्य बोल रहे हों और संसदीय कार्य मंत्री बैठे-बैठे बोल रहे हों.....

श्री हुकुम सिंह–

मुझे आपत्ति है । मैंने एक शब्द नहीं कहा ।

श्री प्रमोद कुमार–

नीचे झुककर बोलने की आदत है आपकी ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने सामने बोला है, जब भी बोला है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप देखें । जो आपने आधार पूछा है उसे मैं संविधान के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं । मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे । (व्यवधान)

मान्यवर, अब बोलिये आपने यह कमेन्ट्री सुनी कि नहीं । जितनी संवेदना मेरे अन्दर थी उसका प्रदर्शन कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपको जो बात कहनी है पीठ के माध्यम से कहते रहें । इनकी बात का संज्ञान न लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

ठीक है मान्यवर, मैं इनकी बात का संज्ञान नहीं लूंगा । मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की सलाह पर करेंगे और मुख्य मंत्री राज्यपाल के प्रासाद पर्यन्त अपने पद पर रहेंगे । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया शान्त रहें । माननीय प्रमोद जी आप अपनी बात समाप्त करें । एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, दो मिनट दे दें। मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, यह आंखें देखती हैं, यह कान सुनते हैं। सारी दुनिया ने देखा है। इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रेस में कानपुर में बोल रहे थे। दूसरे लोग भी बैठे थे उन्होंने मुझे बताया। मैं इलेक्ट्रानिक मीडिया का संज्ञान नहीं ले रहा हूं दो मंत्रियों ने कहा कि [× × ×] [× × ×] (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मुझे आपत्ति है।

श्री अधिष्ठाता–

कुछ और कहना है।

श्री प्रमोद कुमार–

आधार मैंने बताया है। इन [× × ×] [× × ×]

(व्यवधान)

[× × ×] मुख्य मंत्री कह दें कि इनमें अविश्वास है मैं दोनों मंत्रियों के नाम भी बता देता हूं श्री राजाराम पाण्डेय और श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जो सिर झुकाकर बैठे हैं या तो यह माफी मांग लें।

श्री हुकुम सिंह–

एक व्यक्ति का नाम लिया जिसके आधार पर सारी सूचना दी, उसका नाम कार्यवाही में आ गया है मेरी चुनौती है न वहं व्यक्ति है, न उस व्यक्ति ने जन्म लिया, न वह मौजूद है उसकी जांच करा लें जिस व्यक्ति ने बताया है, अगर उस नाम का व्यक्ति नहीं मिलता है तो कम से कम इतनी लज्जा यह भी कर लें कि इस सदन के सामने खड़े होकर माफी मांग लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं वाद-विवाद की आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं उनको कल प्रस्तुत कर दूंगा, सदन में वह कह देंगे कि राजाराम पाण्डेय और नरेश चन्द्र ने कहा है फिर वह मंत्री सदन में माफी मांगकर इस्तीफा दे दें। मैं उनको सदन में ले आऊंगा।

(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)–

मेरे नाम का उल्लेख किया गया। मैं इस मारे खड़ा हुआ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं एक बात कह दूं आप कुछ कहें इससे पहले आप सभी सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं व इन परम्पराओं से भिज्ञ हैं कि ऐसे व्यक्ति का कोई नाम लेकर, जो सदन में आकर सफाई नहीं दे सकता है,

---

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परम्परा रही है कि सदन में उनका नाम नहीं लिया जायेगा । मैं समझता हूं कि उनका नाम लेकर कुछ कहना सदन की परम्पराओं के अनुकूल नहीं होगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मेरे नाम का उल्लेख किया गया, मैं इस मारे खड़ा हुआ हूं । मुझे खुशी है जिसने नैतिकता का प्रश्न उठाया है जिसकी नैतिकता पर प्रश्नचिह्न है । जिसकी पार्टी की नैतिकता पर प्रश्नचिह्न है । मैं प्रमोद कुमार जी से जानना चाहता हूं .....

श्री अधिष्ठाता–

मैं वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इन्होंने बात कह दी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

जिस पार्टी की नैतिकता की बात हो रही है उसकी । × × × ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उस पार्टी । × × × । की बात करना चाहता हूं । राज्य सभा के चुनाव में वोट दिया गया (व्यवधान) क्या नैतिकता थी ? जो अम्मार रिजवी ने इस्तीफा दे दिया और क्या इनकी नैतिकता हुई ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

ऐसे नहीं चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद कुमार जी आप बैठ जाएं ।

श्री प्रमोद कुमार–

ऐसे नहीं चलेगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जिस दल के नेता बिक जाते हैं वह क्या करे ?

श्री अधिष्ठाता–

आपने माननीय नरेश चन्द्र जी का नाम लिया आप सदन की परम्पराओं से भिज्ञ हैं । यदि किसी का नाम लिया जाए तो उनको यह अधिकार है कि उसका स्पष्टीकरण दे सके । चूंकि आपने नाम लिया है । इसलिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी उसके प्रत्युत्तर में अपना स्पष्टीकरण देने के लिये खड़े हुए हैं। आप फिर खड़े हो गये तो अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो यह सदन की कार्यवाही नहीं चल पायेगी। आप अपनी बात कह चुके हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी कह चुके हैं । अब माननीय ऊर्जा मंत्री जी यदि आप अपना स्पष्टीकरण इस संबंध में देना चाहते हैं तो आप दें ।

नोट :– । × × × । यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पार्टी की नैतिकता की बात आयेगी तो मैं खूब कहूंगा, खूब कहूंगा, खूब कहूंगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसमें वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार जी ने मिली-जुली सरकार की बात कही । तो मैं इनके दल का उदाहरण दे रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आवश्यकता नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, आवश्यकता है । ठीक है, हमारे भाजपा से नीतिगत विरोध हो सकते हैं लेकिन हम इसके लिए विरोधियों को मौका नहीं देंगे कि सरकार में कोई संकट पैदा हो । जो हमारे अधिकार हैं उसको हम बैठ करके आपस में निपटा देते हैं । मैं माननीय प्रमोद कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में दो दलों की सरकार बनी । दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, फिर समझौता हुआ लेकिन वहां पर मंत्रियों ने शपथ नहीं ली.....

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जितनी बातें कही गयी हैं उसका ही जवाब दीजिये । मैं इसमें वाद विवाद की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं बंगाल का उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां पर क्या हुआ ? महाराष्ट्र में क्या हुआ ?

(घोर व्यवधान)

हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं स्थिरता के लिए ।

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अगर बिहार की चर्चा आयेगी तो फिर । × × × । ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अब और अनुमति नहीं दे रहा हूं । माननीय प्रमोद जी आप बैठ जायें । माननीय प्रमोद जी जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, इनसे यह शब्द कहलवा दीजिये कि जो अखबारों में छपा है वह सही नहीं छपा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– । × × × । यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद जी की सूचना पर माननीय सदस्यों, संसदीय कार्य मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को नियम–300 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न को स्पष्ट करा दें कि हमने ऐसा नहीं कहा है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा, यह संयुक्त जवाबदेही के लिए बाध्य हैं। मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि इसका निराकरण होना चाहिए, इसमें स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए। माननीय ऊर्जा मंत्री ने भी बयान दिया है कि नीतिगत विरोध हो सकता है तो कृपया इसको स्पष्ट करा दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

केवल वाद-विवाद बनाने के लिये कोई अनुमति नहीं दी जायेगी। किस आधार पर आप बात कह रहे हैं ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, सदन में जो कुछ कहा जाता है वह कार्यवाही में अंकित होता है। माननीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि नीतियों में मतभेद हो सकता है यह भाग सदन की सम्पत्ति बन चुका है। वे कौन सी नीतियां हैं जिनमें मतभेद हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक बात माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कही कि कहीं आपस में नीतियों में मतभेद की बात हो सकती है लेकिन हम एक होकर यहां काम कर रहे हैं। मान्यवर, यह जो मिली जुली सरकार है यह आदर्श किस्म का आचरण यहां पेश कर रही है। अभी तक हमने कोई आपको मौका नहीं दिया है कुछ कहने का। |×××| आप इस किस्म की टीका टिप्पणी न करें। यह सरकार आदर्श तरीके से चल रही है और चलती रहेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अुनमति नहीं दे रहा हूं। बिना अनुमति के जो कुछ बोला जायेगा, लिखा नहीं जायेगा।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, इस तरह की जो यहां बातें हो रही हैं वह इसकी गरिमा और गौरव के अनुकूल नहीं हैं। खासतौर से जिम्मेदार लोगों ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय ऊर्जा मंत्री ने जो बात यहां कही कि नीतियों में मतभेद हो सकता है वह है भी नहीं। आप इसमें निर्णय दे देंगे कि यह सदन को जानने का अधिकार है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें। माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप भी बैठें।

नोट :– |××× | यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय प्रमोद कुमार, माननीय वर्मा जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी.....

(व्यवधान)

इस प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा का उद्देश्य नहीं था। नियम इस बात की अनुमति नहीं देते।

(अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

मैं इसमें वाद-विवाद की अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान))

माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा था कि माननीय प्रमोद जी को इस पर 2 मिनट सुन लिया जाय तदनुसार उनको सुन लिया गया और जिन-जिन के संदर्भ में उन्होंने कहा, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने ऊर्जा मंत्री की तरफ से उनका उत्तर दे दिया।

(व्यवधान)

आप लोग बैठें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं, विनिश्चय कर चुका।

माननीय समरपाल जी, अम्बिका जी, जगदम्बिका पाल जो अगर नोटिस दे दिया गया है, तो यह इस बात का आधार नहीं है कि पीठ की बध्यता है कि आपको सुना ही जायेगा।

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह हाउस की परम्परा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसी कोई परम्परा नही है। आपका नोटिस है। आपके नोटिस को नियम 3(X) में प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिया गया। विशेष उल्लेख के तौर पर नेता विरोधी दल के अनुरोध पर प्रमोद जी को सुन लिया गया और उन्होंने जो विचार व्यक्त किये उसमें माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया। अब आप स्थान ग्रहण करें।

(श्री जगदम्बिकापाल, श्री कौकब हमीद, श्री अम्बिका चौधरी, श्री समरपाल सिंह आदि सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने पर)

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि यह कहीं कोई बाध्यता नहीं है, कि यदि किसी नोटिस पर 5 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तो पांचों को सुने जाने की बाध्यता है ? यह कहीं कोई बाध्यता नहीं है। हमने नोटिस पर एक माननीय सदस्य को सुन लिया और दूसरे माननीय सदस्यों को सुनने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। यह हमने विनिश्चय कर दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सदन की कार्यवाही समुचित रूप से चले इसके लिए हम सब लोगों का उत्तरदायित्व है और इसका निर्वहन होना चाहिए। मैं एक बात यह चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था में यह आ जाय। इस प्रकरण का पटाक्षेप केवल हां या न में हो सकता था। माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां मौजूद है, नरेश अग्रवाल और राजाराम पाण्डेय भी मौजूद हैं प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि नरेश अग्रवाल जी का विश्वास इस सरकार में है और मुख्य मंत्री जी को उन्होंने अक्षम कहा या नहीं ? इन्हीं बातों को हां या न में कह दें, तो एक वाक्य में यह समाप्त हो जाता और इसके लिए सदन का डेढ़ घंटा समय बरबाद न होता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान के मध्य)

श्री जगदम्बिका पाल–

यह सदन परम्पराओं से चलता है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली से चलता है और इस सदन का एक-एक क्षण बहुमूल्य है । पूरे उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता में.....

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न कहां से है ? आप तो चर्चा कर रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से भाषण दे रहे हैं । आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद आदि सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

माननीय कौकब हमीद साहब, समरपाल जी आप स्थान ग्रहण करें । मैंने आपको अपना निर्णय बता दिया है । किसी नोटिस पर यदि 5 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तो यह कोई बाध्यता नहीं है कि पांचों को सुना जाये । यह पीठ को तय करना है कि कितनों को सुना जाये । माननीय प्रमोद जी, आपके द्वारा जो नियम 300 के अन्तर्गत सूचना थी, उस पर मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । मेरी व्यवस्था को आप सुनें । माननीय प्रमोद कुमार एवं अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचना दी गयी थी, उसमें माननीय प्रमोद कुमार तथा अन्य माननीय सदस्यों तथा संसदीय कार्यमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री को सुनने के बाद इसे नियम 300 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं और साथ ही यह भी निर्णय करता हूं कि जहां तक मंत्रिपरिषद् के संयुक्त उत्तरदायित्व का सवाल है संविधान के अनुच्छेद–164 (2) के तहत जो मंत्रिमण्डल के कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का सिद्धान्त है उसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिमण्डल के अलग-अलग सदस्य अलग-अलग नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं । मंत्रिमण्डल के सदस्य निजी राय व्यक्त करने के लिये संविधान के अनुच्छेद–162(2) से कहीं पर भी बंधे नहीं हैं लेकिन उनकी राय मंत्रि मण्डल, मंत्रि परिषद् के निर्णय में परिलक्षित नहीं होनी चाहिए, संविधान के अनुच्छेद–162(2) में इतनी बाध्यता है और मेरी दृष्टि में इसमें 162 (2) का उल्लंघन नहीं होता । अतः मैं इस प्रकरण को यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, अभी आपने माननीय प्रमोद जी ने जो नियम के अन्तर्गत प्रश्न उठाया था, उसको समाप्त कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया और अपनी व्यवस्था दे दी, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। इसमें एक नया प्रश्न पैदा हो गया है बीच में और प्रश्न यह पैदा हो गया कि माननीय अग्रवाल साहब

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ने यह कहा कि नीतिगत हमारा विरोध हो सकता है लेकिन सरकार चलाने के लिए हमारा सहयोग है। तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय अग्रवाल साहब से यह पूछना चाहता हूं कि 31 सहकारी चीनी मिलों पर किसानों का 50 प्रतिशत पैसा गन्ना मूल्य का बकाया है, रोज एक निर्दोष मारा जा रहा है, आलू किसान बर्बाद हो गया। श्रीमन्, यह प्रदेश आर्थिक दृष्टि से खोखला हो गया है। विकास के सारे कार्य रुक गये हैं। मैं अग्रवाल साहब से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन सारी बातों से सहमत हैं। इस दुर्दशा के लिए उनकी राय है या नहीं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस सदन की कार्यवाही नियमावली से चलती है वह अन्ताक्षरी से नहीं चलती है। सवाल करने का और जवाब का समय होता है। मान्यवर, प्रदेश में गन्ने का मूल्य इतना ज्यादा कभी नहीं मिला जितना इस सरकार ने दिलवाया है। आप हमारी कार्य क्षमता की बात करते हैं। मैं माननीय नेता विपक्ष के सामने एक प्रकरण का उदाहरण देकर बात समाप्त कर देना चाहता हूं। उधम सिंह नगर का मामला था, विचार विमर्श हो गया था, सदन के सामने रखा गया, सब ने समर्थन किया आप मतदान छोड़कर भाग गये, आप लोग एकता से बचने के लिए उठ कर चले गये।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, जब मैंने कहा कि प्रदेश के 31 सहकारी चीनी मिलों पर किसानों का 50 प्रतिशत बकाया है और आज तक इन चीनी मिलों का 150 करोड़ का घाटा हो चुका है और श्रीमन्, आप कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि इतना पैसा कभी नहीं मिला। हम केवल 31 चीनी मिलों की स्पेशिफिक बात कह रहे हैं। मान्यवर, उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई नियम–56 में चर्चा तो नहीं करवा रहे हैं। आप मेरा अनुरोध सुन लें।

(श्री समरपाल सिंह, श्री जगदम्बिका पाल तथा कुछ अन्य सदस्य खड़े होकर बोलने लगे–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी कृपया बैठें। माननीय नेता विरोधी दल, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आज ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन के अन्दर चर्चा होनी है तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इन सारी चीजों को आप उठा सकते हैं, पूरा सदन उस पर चर्चा कर सकता है। सरकार को उसमें जवाब देना होता है। तो मैं नहीं समझता कि यह उपयुक्त अवसर है। निश्चित रूप से आप लोगों के गम्भीर प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण सन्दर्भ हो सकते हैं। इसलिये उनको उपयुक्त अवसर पर ले लिया जायेगा।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 311 के अंतर्गत आज 10 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में मंत्री के वक्तव्य को उसका निजी वक्तव्य माना जायेगा या सरकारी वक्तव्य माना जायेगा। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठता–

इस व्यवस्था के प्रश्न पर मैं पहले ही विनिश्चय कर चुका हूं। मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है आपने उसको सुना नहीं तो इस आधार पर उस पर दोबारा निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव सम्बन्धी अध्यादेश को मा० उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रद्द किये जाने पर नियम–311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

नियम 311 के अंतर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई है उसमें से पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की ग्राम पंचायतों के चुनावों के संबंध में सरकार के अध्यादेश को माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा रद्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसी विषय पर जो अन्य सूचनायें हैं वह श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम अचल राजभर, श्री जगदम्बिका पाल, श्री समरपाल सिंह, श्री प्रमोद कुमार, श्री कौकब हमीद, श्री रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार व डा० अशोक बाजपेयी की हैं । नियम–311 में वैसे यह सूचना नहीं आती है लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है । सभी माननीय सदस्यों से 4 सेट में सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं हर सेट को अलग-अलग 4 सूचनायें मानते हुये एक नोटिस पर जितने माननीय सदस्यों के दस्तखत हैं, मेरा आग्रह है कि उसमें से एक-एक माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर दें ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, 2-3 माननीय सदस्यों को अवसर दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

तो फिर आपसे मेरा आग्रह है कि बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें ।

एक मा० सदस्य–

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ? सूचनाओं को पढ़कर बता दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना आपके टर्न पर आयेगी । यह सारी सूचनायें पढ़ी नहीं जा सकती । आप प्रतीक्षा करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम–311 की मेरी सूचना पर मुझे बोलने की अनुज्ञा प्रदान की । मैं इस सूचना के माध्यम से आपका ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ङ) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । उपरोक्त अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि प्रत्येक पंचायत यदि इसमें प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं । मैं आपका ध्यान इस अनुच्छेद के खण्ड–3 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में उल्लेख है इसके उप खण्ड–क की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें उल्लेख है कि खण्ड–1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्ति के पूर्व । श्रीमन्, प्रदेश के ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आगामी 11 मई, 2000 को समाप्त हो रहा है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ङ) के खण्ड 3 (क) के अनुसरण में पंचायतों का गठन करने के उद्देश्य से उसका निर्वाचन 11 मई, 2000 के पूर्व सम्पन्न होना चाहिए । किन्तु अत्यन्त खेद की बात यह है कि प्रदेश सरकार ने जानबूझकर संविधान के अनुच्छेद 243 (ङ) के प्राविधानों के विपरीत मंशा का अध्यादेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विगत 18 मार्च, 2000 को जारी कर दिया जिसे माननीय उच्च न्यायालय के लखनऊ के खण्डपीठ ने पिछले 3 अप्रैल, 2000 को असंवैधानिक करार देते हुए उक्त अध्यादेश को रद्द कर दिया और प्रदेश सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग को उक्त चुनाव 11 मई, 2000 से पूर्व कराये जाने हेतु 3 दिन के अन्दर चुनाव सम्बन्धी अधिसूचना कार्यक्रम के साथ जारी करने का निर्देश दिया है।

श्रीमन्, आपकी अनुमति से इस बात को कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश सरकार ने संविधान की मंशा के विपरीत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करने की नीयत से 18 मार्च को वह अध्यादेश जारी किया। 243(ङ) में और उसके खण्ड 3 में कहीं भी कोई ऐसा छिद्र नहीं है जिसका दुरुपयोग कोई कर सके। सीधे-सीधे लिखा है कि 5 वर्ष की अवधि समाप्ति के पूर्व हर हाल में इन पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए। श्रीमन्, माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने जो 3 दिन के भीतर अधिसूचना चुनाव कार्यक्रम के साथ जारी करने का निर्देश प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को दिया है और आज तीसरा दिन समाप्त हो रहा है लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने न तो अधिसूचना जारी किया और न पंचायतों की चुनाव तिथियां ही घोषित की। न्यायपालिका के उपरोक्त आदेश की प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही अवहेलना से पूरे प्रदेश में गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन न किये जाने से प्रदेश की जनता में क्षोभ और आक्रोश व्याप्त है। श्रीमन्, यह अविलम्बनीय एवं तात्कालिक है, समीचीन है। इसलिए आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस अत्यन्त लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के संगत नियमों को रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, प्रजातंत्र की प्राथमिक सोपान ग्राम पंचायतें हैं और इनकी अवधि 11 मई, 2000 को पूरी होने जा रही है। इस 11 मई, 2000 के पहले इस सरकार को चुनाव सम्पादित करा लेना चाहिए। मान्यवर, पूरे 5 साल तक यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराने का काम नहीं किया। अध्यादेश के माध्यम से इस चुनाव को टालने का षडयंत्र किया लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल, 2000 को इस बात के लिए आदेश जारी किया कि 11 मई, 2000 को चूंकि इन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है इसलिए इसके पूर्व में इस चुनाव को सुनिश्चित कराये जाने के लिए 3 दिन के अन्दर अधिसूचना जारी कर दी जानी चाहिए। मान्यवर, सीन दिन भी बीत गये लेकिन यह सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों के गला घोंटने पर उतारू है। इसलिए सरकार के इस रवैये से पूरे प्रदेश में जन-आक्रोश और सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया है कि यह सरकार पंचायतों के चुनाव न कराकर अपने निहित लोगों को कुर्सियों पर बैठाना चाहती है जिससे जनता में आक्रोश और क्षोभ व्याप्त हो गया है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के सम्बन्ध में इस सरकार को तीन दिनों के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे लोगों में जो असंतोष और अविश्वास जो इस सरकार के प्रति पैदा हो गया है वह बदल सके। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के सारे नियमों को स्थगित करके इस प्रश्न पर आप तत्काल चर्चा करायें।

श्री राम अचल राजभर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि नियम 311 में आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, प्रदेश के ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आगामी 11 मई, 2000 को समाप्त हो रहा है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खण्ड (ङ) के अनुसार पंचायतों के चुनाव और उनका गठन 11 मई, 2000 के पूर्व हो जाना चाहिए लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश सरकार ने जानबूझकर संविधान के उक्त अनुच्छेद की मंशा के विपरीत 18, मार्च, 2000 को अध्यादेश जारी कर दिया जिससे मा० उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में 3 अप्रैल, 2000 को सरकार के उस अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया और कहा कि प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग 11 मई, 2000 के पूर्व चुनाव करायें और तीन दिनों में चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम जारी करने का सरकार को निर्देश दिया है । मान्यवर, मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के तीन दिन बीत जाने के उपरान्त भी सरकार ने अभी तक पंचायतों के चुनाव कराने के सम्बन्ध में न तो कोई अधिसूचना जारी किया है और न ही चुनाव सम्बन्धी कोई कार्यक्रम घोषित किया है । इसलिए आज प्रदेश में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो गया है । मान्यवर, ग्राम पंचायतों के चुनाव निर्धारित समय में न कराने से जनता में क्षोभ और आक्रोश व्याप्त है । इसलिए अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन के सारे नियमों को निलम्बित करके आप तत्काल इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त लोकमहत्व और तात्कालिक विषय की ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं उन बिन्दुओं के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं जिनके सम्बन्ध में हमारे पूर्व माननीय सदस्यों ने कह दिया है । लेकिन जो अविश्वास सदन के समक्ष पैदा हो गया है उसमें यदि कदाचित आज इस पीठ से सभी नियमों को निलम्बित करके आप चर्चा नहीं करायेंगे तो आने वाले दिनों में सरकार ने जैसे पंचायतों के चुनाव न कराकर प्रजातांत्रित मूल्यों की हत्या करने की चेष्टा किया और संविधान की धज्जियां उड़ाई है यदि यह सदन और उच्च न्यायालय न होता तो यह सरकार इस दम्भ में आकर इन्होंने संविधान के विपरीत आचरण किया है । पहली बार कदाचित उ० प्र० में कोई ऐसी सरकार आई है । संविधान में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद कि किसी चुनाव की प्रक्रिया निश्चित तौर पर पांच वर्ष केअन्दर सरकार और चुनाव आयोग सम्पन्न करायेगा । एक तरफ तो यशपाल सिंह जिलाधिकारियों को रेडियोग्राम भेज रहे हैं और चार चरणों में चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास है कि हम उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में लोक सभा चुनावों की तरह हारेंगे इनका सफाया हो जायेगा इसलिए यह कदाचित चुनाव नहीं कराना चाहते हैं । पूरे प्रदेश में पंचायत संस्थाओं में नामिनेशन की प्रक्रिया शुरू कराना चाहते हैं । यह पंचायत राज की मूल भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं ।

केन्द्र में हमने जब डिसेन्ट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें लोकल बाडी, नगर परिषदों को गांव सभाओं को संवैधानिक अधिकार दिये एवं इसके लिए संविधान संशोधन किया जिसका पूरी दुनिया में स्वागत किया गया । उसमें यह व्यवस्था की कि पंचायतों में किसी तरह से ब्यूरोक्रेसी का कोई व्यक्ति नामित नहीं किया जायेगा । लेकिन सरकार उस मंशा के विपरीत आचरण कर रही है । यह तर्क दिया गया कि ब्लाक प्रमुखों के चुनाव 6 महीने बाद होंगे इसलिए दो बार चुनाव कराने पड़ेगें एवं इससे चुनाव खर्च अधिक आयेगा इस नाते 6 महीने उसे स्थगित किया चुनाव आयोग ने समय रहते ही सरकार को चेताया था कि सरकार परिसीमन, आरक्षण आदि कार्य पूर्ण कर ले अन्यथा यह चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ दे लेकिन किसी ने इस बात की परवाह नहीं की । उस समय कल्याण सिंह हटाओं कल्याण सिंह बचाओ प्रकरण चल रहा था और सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि पंचायतों की समय सीमा समाप्त हो रही है । बाद में अध्यादेश का सहारा लिया ।

सम्मानित सदन जब कोई कानून बनाता है तो संविधान के तहत उसको अधिकार मिले हैं उसी के अन्दर कानून बना सकता है । अगर संविधान की मंशा के विपरीत कोई कानून बनाया जायेगा तो क्या होगा । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मा० उच्च न्यायालय को कि उसने समय रहते जो संविधान विरोधी

अध्यादेश लाया गया था उस अध्यादेश को निरस्त करते हुए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। जब हाई कोर्ट का कोई फैसला इनके अनुकूल होता है तो यह उसका अभिनन्दन करते हैं जैसा मेरे प्रकरण पर हुआ था जब विपरीत फैसला हुआ तो उसको निन्दनीय बतायेंगे। ला सेक्रेट्री और ग्राम्य विकास आयुक्त सारे लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। यह एस०एल०पी० दाखिल करना चाहते हैं आप इस पीठ से निर्देशित करें सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बाद में आयेगा।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप ग्राह्यता तक सीमित रहें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं यह चाहता हूं कि आज संविधान की रक्षा की जाय, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाय, आप सरकार को निर्देशित करें कि वह चुनाव आयोग को निर्देशित करे कि चुनाव कराये जायेंगे और अधिसूचना जारी कर मई तक चुनाव कराये जायें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आज एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। आज न्यायालय ने अपने विद्वतापूर्ण निर्णय में गम्भीर प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार के आचरण की निन्दा करते हुए इन टिप्पणियों के साथ यह निर्देशित किया है कि 11 मई तक संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार चुनाव सम्पन्न करा लिये जायं। उच्च न्यायालय को इन पर विश्वास नहीं है, इसीलिए उसने समय सीमा निर्धारित कर दी है कि तीन दिन के अन्दर अधिसूचना जारी की जाय। आज तीसरा दिन है और इस सरकार ने न्यायालय का पालन नहीं किया है। मैं यह गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं कि यह सरकार सदन के उठने तक या तो अधिसूचना जारी कर दे या फिर आपके माध्यम से यह बता दे कि हम सर्वोच्च न्यायालय से यह स्थगनादेश ले आये हैं। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है इस सरकार के पास।

आज इस सरकार ने अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत से सम्पूर्ण प्रदेश को संवैधानिक संकट की ओर धकेल दिया है। इन्होंने कहा कि परिसीमन में गड़बड़ियां हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्हें यह गड़बड़ियां कब मालूम हुईं ? यह सरकार यह तो जानती ही थी कि चुनाव कराये जाने हैं तो फिर आज तक क्यों सोती रही। ढाई-तीन साल से, जब से यह सरकार है तब से इसे यह नहीं मालूम हुआ कि मुलायम सिंह जी के जमाने से परिसीमन में गड़बड़ियां हैं, आज जबकि इसे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में सफाया हो जायगा जैसे लोक सभा के चुनाव में हुआ तो इस सरकार ने यह काम किया और बताया कि परिसीमन में गड़बड़ियां हैं उसे ठीक किया जा रहा है। इस सरकार पर से जनता का विश्वास उठ गया है। इसकी राजनीतिक साख गिरी है। इनकी इस हरकत से इस सरकार की भद्द हो रही है, जग हंसाई हो रही है। क्या इस सरकार को मालूम नहीं था कि 11 मई को चुनाव कराने हैं।

कांग्रेस की सरकार ने संविधान में 73वें, 74वें संशोधन किया था जिसकी अवमानना यह सरकार कर रही है। मैं अपनी बात पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूरे प्रदेश से संबंधित है इसका निर्णय आज ही हो जाना चाहिए। आप इस पर चर्चा भले ही न करायें लेकिन यह सरकार आज सदन के उठने तक या तो नोटिफिकेशन जारी कर दे और या फिर स्थगनादेश दिखा दे, अन्यथा यह सरकार अवमानना की दोषी होगी और इसके सारे मंत्री जेल जायेंगे।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, आपको याद होगा कि पिछले बजट सत्र में यह एक अध्यादेश भी लाये थे और एक वक्तव्य भी दिया था कि जितने टीचर्स हैं सबको हम ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कर रहे हैं। हम विपक्ष

के लोगों ने उस समय उसका विरोध किया था । उस समय सरकार ने यह कहा था कि आपको जनता से चुने हुए लोगों पर विश्वास नहीं है कि वह शिक्षा का कार्य सही तरह से चला पायेंगे । इसके बाद आपने इसे वापस ले लिया । मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आज आपको कौन सी दिक्कत आ गयी और आपका विश्वास पंचायतों पर क्यों नहीं रहा । अब कोशिश यह की जा रही है कि अपने लोगों को यहां पर बैठाया जाय । आपको मालूम था कि 11 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है परन्तु आप एक अध्यादेश ले आये ताकि 7-8 महीने या साल भर तक इसमें अपने आदमियों को बैठाया जा सके । अगर परिसीमन में कहीं कोई गलती थी तो आप उसे तभी ठीक कर लेते ।

आज मान्यवर, इस पर आपकी पीठ से निर्णय होना चाहिए बल्कि मैं तो कहता हूं कि हुकुम होना चाहिए कि सदन उठने तक यह बतायें, क्योंकि तीन दिन का समय खत्म हो रहा है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है,अगर नहीं करते हैं तो यह बतायें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कर दिया है या उनका यह स्थगनादेश है । यहां पर बैठकर सरकार मजाक कर रही है । स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके अन्डर में है, वह सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खत लिख रहे हैं और आपको भी लिखा है कि नोटिफिकेशन जारी करवायें ताकि इलेक्शन हो जाय । इसलिये इस पर आपकी पीठ से निर्णय होना चाहिए ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस विषय पर जिन माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि यह सरकार न्यायपालिका की अवमानना कर रही है । तीन दिन के अन्दर नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए । आज तीन दिन समाप्त होने वाले हैं परन्तु सरकार ने अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है । दूसरी तरफ यह सरकार लोकतंत्र का गला घोंटना चाहती है । पिछले साल इन्होंने ढिंढोरा पीटा था कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं और जन सहयोग ले रहे हैं । 1999-2000 को आपने सत्ता का विकेन्द्रीकरण तथा जन सहयोग का वर्ष भी घोषित कर दिया । अब सत्ता का विकेन्द्रीकरण कैसे होगा, पंचायत राज के माध्यम से और जन सहयोग तभी होगा जब चुनाव होंगे, बी० डी० सी० तथा जिला पंचायत के सदस्य चुने जायेंगे और उनको यह सत्ता सौंप देंगे, अधिकार सौंप देंगे । यह चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके आदमी जीत नहीं पायेंगे । चुनाव स्थगित करके इन पदों पर यह अपने लोगों को मनोनीत करना चाहते हैं । इसकी संविधान इनको अनुमति नहीं देता है । यह संविधान के दायरे में काम करने के लिये बाधित हैं। कोई भी सरकार हो, संवैधानिक व्यक्ति हो इस संविधान से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता है । अनुच्छेद 243 के खण्ड–3 में लिखा है कि 5 वर्ष के बाद पंचायत के चुनाव अनिवार्य रूप से करा लिये जायेंगे । मान्यवर, 11 मई को 5 वर्ष होने जा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमारा परिसीमन का कार्य अधूरा है, दूसरे काम अधूरे हैं । यह बहुत गलत बात है । राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है डी० एम० को वे नोटिस भेज रहे हैं कि चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गयी है ।

चुनाव के लिये जिम्मेदारी आयोग की है जब वह तैयारी कर चुका है आपको क्या दिक्कत है । उन्होंने तैयारी कर ली है । 3 अप्रैल को हाई कोर्ट का आर्डर आया कि चुनाव की तिथि घोषित की जाय। यह नहीं कि अधिसूचना जारी करें । उनका कहना है कि तीन दिन में अधिसूचना जारी हो सकती है । चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिये तैयार है लेकिन यह कहते हैं कि हमारा परिसीमन का कार्य नहीं हुआ है । इनकी जिम्मेदारी नहीं है यह राज्य चुनाव आयोग करवायेगा । लेकिन यह चुनाव कराने से कतरा रहे हैं क्योंकि यह उप चुनाव में देख चुके हैं कि जनता का क्या रुख है, क्या हवा है वे इनके पक्ष में नही हैं इन्हें भारी शिकस्त का समाना करना पड़ेगा । अपने लोगों को यह इन पदों पर मनोनीत करना चाहते हैं । प्रदेश के अन्दर यह लोकतांत्रिक, प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं इन लोकतांत्रिक पदों को खत्म करके अपने पिट्ठुओं को इन पदों पर बैठाये रखना चाहते हैं । न्याय पालिका की अवमानना यह कर रहें

हैं। सरकार की भर्त्सना करते हुए निन्दा करते हुए कहना चाहता हूं कि जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 3 दिन के अन्दर अधिसूचना जारी की जाय और हर हालत में अधिसूचना जारी होनी चाहिए। आज तीन दिन समाप्त होने जा रहे हैं और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रदेश के अन्दर भयानक सवैधानिक संकट उत्पन्न यह कर रहे हैं।

मेरा अनुरोध है कि इस पीठ पर आप विराजमान हैं सरकार को निर्देश दें कि आज सदन खत्म होते-होते तक यह पांच बजने से पहले अधिसूचना जारी करें नहीं तो प्रदेश के अन्दर भयानक संवैधानिक संकट पैदा हो जायेगा। यह लोक महत्व का प्रश्न है। यह प्रदेश की करोड़ों जनता से जुड़ा हुआ सवाल है और अविलम्बनीय इसलिये है कि उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसका आज आखिरी दिन है इसलिये यह नियम–311 के अन्दर आता है नियमों को शिथिल करते हुए चर्चा करायें या फिर पीठ से इस सरकार को निर्देशित करें कि यह चुनाव करवाये।

* कुँवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, तीन रोज पहले जब हम लोग इस विषय पर नियम–311 में चर्चा कर रहे थे। तो मान्यवर, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि बड़े गैर जिम्मेदाराना ढंग से यह बात कही कि पंचायत का चुनाव हम इसलिये हीं करा पाये कि क्योंकि हम परिसीमन नहीं कर पाये। यह कितने मजाक का विषय है कि 93 मंत्री हैं इनके कैबिनेट में वह 4 साल तक परिसीमन का कार्य नहीं करा पाये, जिला पंचायत का, ग्राम सभा का, ब्लाकों का न यह निर्धारण कर सके कि आरक्षण कितना किस ब्लाक में, किन ग्राम पंचायत में होगा। हम बल देकर कह रहे हैं कि यह इसलिये नहीं कराना चाहते थे यह अध्यादेश इसीलिये लाये थे कि आर०एस०एस० के जो कार्यकर्ता हैं उनको यह इसमें नामित कर सकें। कोआपरेटिव के चुनाव में इस तरह की धांधली की थी, वही जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव में करना चाहते हैं। लेकिन मान्यवर, मैं उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक फ़ैसला किया। इस सरकर ने तीन दिन बीत गये चुनाव नहीं कराये, अधिसूचना जारी नहीं किया।

मान्यवर तीन राज्य कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा ने नहीं कराये इसमें दो राज्य हाईकोर्ट गये, हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से चुनाव बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। उन्होंने उस बात को मानकर चुनाव कराये। हरियाणा का सुप्रीमकोर्ट (उच्चतम न्यायालय) ने फैसला किया, चुनाव हो गया, चुनाव की बाध्यता है। यह संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में स्पष्ट लिखा है कि पांच साल में चुनाव करायें। जब 73वां और 74वां संशोधन लागू नहीं था तो यह चुनाव पांच साल बाद, आठ साल बाद, दस साल बाद होते थे, इसलिए संविधान ने बाध्यता कर दी। मैं जिम्मेदारी पूर्वक सदन में कहना चाहता हूं कि इस सरकार का न तो संविधान में विश्वास है, न न्यायालय में विश्वास है, यह पूरी तरह से फासी है और फासीजन को बढ़ाने के लिए यह सरकार काम करती है। खेद का विषय है उच्च न्यायालय के बाद भी या तो यह उच्चतम न्यायालय जाये, वैसे जाये न जाये यह फैसला इनका है जब इसी विषय पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है तो यह अगर वहां जाते भी हैं तो इनका स्टे नहीं मिलेगा। हम जानते हैं अभी हुकुम सिंह जी रटी-रटायी बात कहेंगे कि न्यायालय ने आदेश को मानते हैं संविधान को मानते हैं लेकिन हम आपके माध्यम से मांग करते हैं.....

(सदन की बिजली चली गई)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क–मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

आपके असत्य बयान को बिजली भी सहन नहीं कर पाई ।

श्री प्रमोद कुमार–

इनके असत्य बयान से तो बिजली चली गई तो जितना असत्य हुकुम सिंह जी बोलते हैं उससे तो गुम्बद ही फटकर गिर पड़ेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इस बात को प्रमाणित कर दिया लखनऊ खण्डपीठ ने जो तीन दिन पहले बात विधान सभा में चल रही थी तो हुकुम सिंह जी कह रहे थे इनकी बात में दम नहीं है । मैं आग्रह करूंगा आप स्वयं निर्देश देने का कष्ट करें, सरकार घोषणा करे, आज अधिसूचना जारी कर देंगे और 11 मई तक चुनाव करायेंगे ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, इस विषय पर कई सम्मानित सदस्यों ने विचार रखे । मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं संविधान में 243 (ङ) के अन्तर्गत चुनाव की व्यवस्था पांच वर्ष की है इसको मानकर उच्च न्यायालय ने संवैधानिक घोषणा की और जो अध्यादेश इस सरकार ने जारी किया यह गम्भीर बात है इसको असंवैधानिक घोषित करते हुए यह टिप्पणी न्यायालय ने की यह अध्यादेश लोकतंत्र पर प्रहार करने वाला है लोकतंत्र विरोधी अध्यादेश है । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि संविधान के 243 (ट) में–"पंचायतों के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जायगा ।" इसी में (3) में लिखा हुआ है कि "जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारीवृन्द उपलब्ध करायेगा" जितने खण्ड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों और लखनऊ उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस प्रकरण पर सुनवाई कर रही थी तो जो राज्य निर्वाचन आयोग ने, उसके अधिवक्ता ने न्यायालय में प्रस्तुत होकर शपथ-पत्र दाखिल किया कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए तैयार है उसके बाद उच्च न्यायालय का फैसला आया । मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं और सरकार से यह जानकारी करना चाहता हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग जिसे संविधान के अन्तर्गत निर्वाचन कराने का अधिकार है वह निर्वाचन आयोग न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल करके यह कहता है कि इसकी तैयारी पूरी है और उसके बावजूद अगर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जाने का फैसला करती है, एस० एल० पी० दाखिल करती है तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय की इस टिप्पणी के बावजूद यह जो अध्यादेश जारी किया गया है यह लोकतंत्र विरोधी है ।

मान्यवर, निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी है उसके बाद भी एस० एल० पी० में जाते हैं तो यह सरकार लोकतंत्र विरोधी सरकार है और जो स्थानीय निकाय हैं उसका निर्वाचन यह सरकार नहीं कराना चाहती है और लोकतंत्र के लिए इसका कोई सम्मान नहीं है इसका इससे बड़ा कोई दूसरा सबूत नहीं हो सकता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की बुनियाद पर हम लोग चुनकर आये हैं और यह सरकार भी चुनकर आयी है और बनी है और जिसके बारे में जुलाई अगस्त में इस सरकार ने आरोप लगाया था कि विपक्ष विकेन्द्रीकरण को रोकना चाहता है तो आज जिस स्थिति में यह सरकार है अपने गिरेबान में झांककर देखे यह सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती या फिर विपक्ष कराना नहीं चाहता है । यह सरकार जो तानाशाही और हठधर्मिता कर रही है और चुनाव नहीं कराना चाहती है तो यह प्रदेश के इतिहास में काला दिन होगा । सरकार के जो

आब्लीगेशन हैं उसके अन्तर्गत अधिसूचना जारी करे । चुनाव कराने की प्रक्रिया है उसका उसे सम्मान करना चाहिए । यह एक अति महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय प्रश्न है इस पर चर्चा करायी जानी चाहिए ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, सभी दलों के माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है । पहली बार नहीं, जब से यह सरकार आहूत हुई है, अध्यादेश लाकर इस चुनाव को टालने का काम किया है । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद–243(ङ) में स्पष्ट लिखा है कि पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव सम्पन्न करा लिये जायेंगे । मान्यवर, उसमें कहीं पर भी आब्लीकगेटरी नहीं है । इसमें कहीं संशोधन लाने की भी गुंजाइश नहीं है । मान्यवर, आज प्रदेश सरकार की न्यायालय में जो किरकिरी हुई है उससे प्रदेश की जनता शर्म अनुभव कर रही है । मान्यवर, यह सरकार साढ़े तीन साल से चल रही है, आरक्षण में त्रुटियां थीं अगर परिसीमन का कार्य होना था और दूसरी कठिनाइयां थीं उसके लिये जानकारी प्राप्त करनी थी तो उसके लिए पर्याप्त समय था आपके पास । मान्यवर, संविधान किसी लोकतंत्र का पवित्रतम दस्तावेज होता है । संविधान संशोधन के बाद तो किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं रह गया है । मान्यवर, पांच राज्यों की सरकारों ने–हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने चुनाव टाले और उसके बाद वहां के उच्च न्यायालय में यह प्रकरण गया पांचों जगहों पर यह निर्देश दिये गये कि राज्य सरकारों को अधिकार नहीं है चुनाव टालने का चुनाव कराये गये । हरियाणा सुप्रीम कोर्ट गया लेकिन वहां से रिलीफ नहीं मिली । यह सब दृष्टांत उत्तर प्रदेश के सामने थे न्यायालय कभी भी आपको अनुमति नहीं दे सकता है टालने की ।

मान्यवर, आज देख लें यहां सत्ता पक्ष के कितने मंत्री और विधायक इस समय बैठे हैं इनकी इन पंचायतों के प्रति कितनी गम्भीरता है जो जनतंत्र की पहली सीढ़ी हैं । न इनकी इनके प्रति कोई सोच है, न भावना है यह नहीं चाहते हैं कि अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो । अभी तक आपने जिला स्तरीय नियोजन समिति का गठन नहीं किया है पंचायतों को जो विभाग स्थानान्तरित होने थे उस कार्य की क्या परिणति रही । एक दिन कुछ आदेश जाता दूसरे दिन दूसरा । दूसरी ओर पंचायतों का गला घोटने का काम आपने 18 मार्च को अध्यादेश लाकर के किया । आपने जो सुप्रीम कोर्ट में एस० एल० पी० दायर की है वहां राहत नहीं मिलने वाली है । आपकी उदासीनता के कारण संवैधानिक विसंगतियां पैदा हो जायेंगी । पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जब 5 वर्ष की समय सीमा की बात होगी उस समय पंचायतों का कार्यकाल क्या होगा ? समय बढ़ाया नहीं जा सकता । इस सरकार की लापरवाही, उदासीनता के कारण, जो इनकी पंचायतों के प्रति उदासीनता रही है, आज उ० प्र० में एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है । प्रदेश की करोड़ों जनता इससे चिंतित है । सरकार ने एक तुगलकी आदेश करके जिस तरह अध्यादेश लाकर के चुनाव टालने का काम किया वह अनैतिक है, असंवैधानिक है, घोर अलोकतांत्रिक कार्य है । मान्यवर, इससे गम्भीर और अविलम्बनीय दूसरा कोई विषय नहीं हो सकता है, इस पर तत्काल चर्चा कराने का कष्ट करें । आप यह व्यवस्था दें कि सरकार तत्काल चुनाव की तिथियां घोषित करके चुनाव कार्यक्रम घोषित करे और सरकार यह कहे कि अप्रैल के अन्त तक या मई के प्रारम्भ में यह चुनाव करा दिये जायेंगे ।

नेता विरोधी दल (श्री धर्नीराम वर्मा)–

श्रीमन्, इस गम्भीर विषय पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है और इसलिये है कि माननीय हाईकोर्ट ने अभी तीन दिन पहले ही अपना निर्णय दिया है लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार न तो प्रजातंत्र में विश्वास रखती है और न ही न्यायालय पर विश्वास रखती है, न ही संविधान में इसका कोई विश्वास है । यह चाहे न्यायालय हो, चाहे संविधान हो, चाहे प्रजातंत्र हो सब के

विरोध में काम करने वाली सरकार है, स्वेच्छाचारिता के आधार पर काम करने वाली सरकार है और आज सारे प्रदेश को इस सरकार ने असमंजस में डाल रखा है। श्रीमन्, बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है, समय से चुनाव कराने में सरकार अक्षम रही इसके बारे में एक प्रश्नचिह्न है। श्रीमन्, मेरा तो यह कहना है कि अक्षम नहीं रही । लेकिन जानबूझकर इसने चुनाव नहीं कराया। मैं जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर रहा था तो उस समय मैंने आरोप लगाया था कि जानबूझकर इस सरकार ने पंचायतों के चुनाव को टालने का काम किया है जब तीन वर्षों तक यह सरकार पदारूढ़ रही और अब भी है इसको इसने कभी गम्भीरता से लिया ही नहीं कि चुनाव कराना है।

इसमें या तो ये जानबूझकर टालना चाहते हैं या उसे टालकर पंचायतों को मनमाने तरीके से अपने कब्जे में करना चाहते हैं। मान्यवर, इनके दो उद्देश्य लगते हैं, पहला यह है कि किसी तरह से 5 साल के अन्दर चुनाव न हो, संविधान में साफ स्पष्ट है कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता तो जब बढ़ाया नहीं जा सकता है तो इन्हें नामिनेशन का अधिकार मिल जायेगा और जब यह अधिकार इनको मिल जायेगा तो मनमाने तरीके से आर० एस० एस० के लोगों को चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह पर बैठालेंगे और एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं के पास जो धन था उसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानों को खर्च करने से रोक रखा गया है उनको खर्च करने की परमीशन नहीं मिल रही है इनकी सीधी मंशा है कि वह धन तभी खर्च हो जब हमारे नामिनेट लोग वहां बैठें उस समय वह मनमाने ढंग से पैसा खर्च करें और अपना उल्लू सीधा कर सकें।

श्रीमन्, न्यायालय की अवमानना की बात हो ही चुकी है, आप कहेंगे कैसे तो अलग-अलग व्याख्या है सत्ता पक्ष की व्याख्या हो सकती है निर्णय के बाद। लेकिन, जब न्यायालय 24 घंटे के लिए किसी को कारावास देता है तो फिर जिस समय आदेश देता है उसी समय जोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ता है। 3 बजे के पहले निर्णय हुआ है और 3 बज चुके हैं तो अवमानना की बात तो हो ही चुकी है और अवमानना की दोषी भी यह सरकार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि तुरन्त चुनाव की घोषणा करें नहीं तो अवमानना के कटघरे में भी सरकार आ जायेगी।

मैं इस पीठ से अपेक्षा करूंगा कि वह निर्देशित करने की कृपा करें तुरन्त पंचायतों के चुनाव कराने के लिए नोटीफिकेशन जारी किया जाय। अब भी चुनाव हो सकते हैं हो सकता है 2-4 दिन आगे बढ़ जाय, स्थिति जरूर खराब है लेकिन सम्भाली जा सकती है, अगर अब भी नहीं चेते तो स्थिति सम्भल नहीं सकती है। इसलिये मैं इस गम्भीर प्रकरण पर यह अपेक्षा करता हूं और आपसे अनुरोध भी करता हूं कि इस पर चर्चा करा ली जाय या फिर निर्देशित कर दीजिए चुनाव करवाने के लिए प्रक्रिया चालू कराने के लिए।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत विस्तार से इस विषय पर आज विचार आये और पहले भी आये हैं और कई माननीय सदस्यगण ने यह भी कहा कि हम क्या उत्तर देंगे ? इनका तो भाषण बहुत विद्वतापूर्ण हुआ, मेरा तो रटारटाया है। यह चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता है, इसमें कोई प्रश्नचिह्न नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेशों को मानना हमारी संवैधानिक बाध्यता है, इसमें भी कोई विवाद का विषय नहीं और माननीय न्यायालय के आदेश सर्वोपरि हैं, वह माने जायेंगे, इसमें भी कोई लेकिन का सवाल नहीं है। जो लोग लेकिन का सहारा ले रहे हैं, उनके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जो संविधान है, इसमें एक न्यायिक प्रक्रिया दी है, हमने अध्यादेश किया, अध्यादेश किन परिस्थितियों में किया। इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया और अपनी स्थिति स्पष्ट की कि 11 मई से पहले हम क्यों चुनाव नहीं करना चाहते। हम चुनाव टाल नहीं रहे हैं, लेकिन चुनाव कराना अभी सम्भव क्यों नहीं है, वह स्थिति स्पष्ट की। आपने अपना तर्क दिया लेकिन स्थिति एक बड़ी विकट है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण ।

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर तो आ जाने दीजिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक परिसीमन का मामला है, यह नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया, 4 साल तक क्या करते रहे, चुनाव आयुक्त ने बयान दे दिया कि यह चुनाव कराने के लिये तैयार हैं । मान्यवर, एक चीज बहुत स्पष्ट है और मैं आज पुनः उस पर बल देना चाहता हूं । आपको भी चिन्तन करना चाहिए, केवल इस पक्ष में बैठे और कुछ कहें, ऐसा नहीं है, आप पूरे प्रदेश के हित में इसको देखें और विचार कर लें । विचार यह है कि गांव पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र समिति, यह तीन हमारी संस्थायें हैं, जिनके चुनाव हुए थे । चुनाव होने के बाद पंचायत और जिला पंचायत का गठन तो हो गया, परन्तु क्षेत्र समितियों का गठन नहीं किया गया ।

संविधान में यह बाध्यता है कि 5 साल का कार्यकाल गठन की तारीख से होगा न कि चुनाव की तिथि से । अगर यह बाध्यता नहीं होती तो हम 6 महीने पहले चुनाव करा देते और क्षेत्र समितियों का गठन करते । चुनाव कराने का मतलब यह नहीं कि हम चुनाव कराकर छोड़ दें । अगर हम चुनाव करा दें तो अगले 6 महीने तक यह क्षेत्र समितियां काम नहीं सम्भाल सकेंगी । इनका गठन 6 महीने बाद किया गया था, किन परिस्थितियों में किया गया था, किस कारण से किया गया था, मैं उसका उल्लेख करके इस सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता । हमने एक आंकलन लगाया । यदि हम चुनाव अलग-अलग करा दें और आज गांव पंचायत, जिला पंचायत का अभी करा दें, क्षेत्र समितियों का बाद में करायें तो लगभग 80 करोड़ रुपये का व्यय भार आने वाला है, उसको बचाने के लिए प्रस्ताव यह रखा गया कि इस बीच में जो और कठिनाइयां आ रही हैं मान्यवर, इस बीच में यदि समय मिल जाता है तो और जो कठिनाइयां आ रही हैं, उन्हें भी दूर कर लेंगे । मुख्य उद्देश्य यही है और इसी को लेकर अध्यादेश जारी किया । एक बात आयी कि आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं । मान्यवर, न्यायालय का आदेश हुआ, आदेश की प्रति हमें कल मिली, 5 तारीख को मिली, तीन दिन के लिए कहा गया कि आप नोटीफिकेशन जारी करें । मान्यवर, आदेश की प्रति यदि 5 तारीख को मिलती है, तीन दिन की अवधि है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अवधि पूरी हुई कि नहीं । यह भी संविधान के तहत हमारा दायित्व है । संविधान में अनुच्छेद 132 है, उस अनुच्छेद में भी किसी कारण से होगा कि यदि कोई पक्ष माननीय न्यायालय के आदेश से संतुष्ट नहीं है और लगता है कि हमें और आगे जाना चाहिए । यह हमारा अधिकार है, उसे संविधान ने दिया है, उसका इस्तेमाल करने में भी आप रोक लगायेंगे ? यह सब बातें भी आपको चिन्तन करनी चाहिए । हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हमें न परम्पराओं पर विश्वास है न मर्यादाओं पर, मान्यवर, वे परम्पराएं और मान्यताएं कहां चली गयी थीं जब विपक्ष में बैठे लोगों की साजिश से उनके षड्यन्त्र से लोक सभा को भंग करा दिया था तब संविधान कहां चला गया था और चुनी हुई सरकार को डिसमिस करा दिया था तब यह संविधान कहां चला गया था ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इन्हीं के सहयोगी दल थे.....

श्री अधिष्ठाता–

कुंवर साहब बैठें । माननीय सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें । मैंने आपसे कहा कि पहले उत्तर आ जाने दीजिए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यदि आप 21 फरवरी, 98 की काली तिथि में देखें कि क्या हुआ था तो पता लग जायेगा । जो लोग संविधान की बात करते हैं, हमारे सामने बैठे हैं । मान्यवर, यह तो सरकार ऐसी है, ऐसी पार्टी है जिसने केवल पंचायतों का गठन कराने की ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि पंचायतों को सकारात्मक अधिकार देने का काम किया है । यदि विकेन्द्रीकरण का काम किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन सरकार ने किया है । आपने तो पंचायतों को विभाग बनाकर छोड़ दिया था । लेकिन हमने उन्हें मजबूती दी है । एक बात बड़ी फैशन हो गयी, कुछ लोगों के लिए फैशन हो गयी कि पंचायतों में आर० एस० एस० के लोगों को नामित करना चाहते हैं । आप लोगों ने घिनौना काम किया है लेकिन हम एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आर० एस० एस० के लोगों ने जो इनके साथ घिनौना काम किया है, उसके लिये आप हमें दोष देना चाहते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आर० एस० एस० एक सामाजिक संस्था है, वह सत्ता की लोलुप नहीं है । वह तो सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है यदि आप उनका काम देख लेंगे तो आपकी आंखे खुली रह जायेंगी जिन्होंने राष्ट्र को बनाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । केवल भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है । यह सरकार कटिबद्ध है पंचायतों के चुनाव कराने के लिए और न्याय पालिका का सम्मान करने के लिए । जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं उनको मैंने आपके सामने रखा है ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर पर्याप्त चर्चा हो गयी । इस पर जितने माननीय सदस्यों की नोटिस आयी थी सबको सुन लिया गया । इस पर पर्याप्त चर्चा हो गयी है । डा० अशोक बाजपेयी से मैंने कहा था कि आपको स्पष्टीकरण के लिये अनुमति दूंगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद (ङ) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि 5 वर्ष के अंतराल के बाद पंचायतों को चुनाव अवश्य कराया जाय । लेकिन 18 मार्च को अध्यादेश लाकर जो संविधान की मूल भावना के विपरीत आचरण किया है क्या उसका कोई नीतिगत आधार है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जितने तर्क माननीय मंत्री जी ने यहां पर रखे उतने तर्क इनके विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में रखे होंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

न्यायालय की चर्चा को सदन की चर्चा का हिस्सा न बनायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

उसके बावजूद भी यह निर्णय आ गया अब दो ही रास्ते हैं पहला यह बतायें कि नोटीफिकेशन कब करने जा रहे हैं या उच्चतम न्यायालय से आपको स्थगन आदेश मिल गया, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अनेक विवशताओं के बारे में कहा । मा० न्यायालय में इनके स्टैंडिंग काउंसिल हाजिर थे वह उन्होंने न्यायालय को तो बतायी होंगी । मा० हाईकोर्ट के मुताबिक सरकार आज अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में घोषणा सदन में करेगी या नहीं ।

श्री राम औतार शाक्य–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि 80 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा । ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों और जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है लिहाजा किस आधार पर 80 करोड़ रुपया अतिरिक्त करने की बात करते हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक तो सवाल यह किया गया कि उच्च न्यायालय का आदेश हो गया है जिसकी बाध्यता है । मान्यवर, उच्च न्यायालय के आदेश की सर्टीफाइड कापी कल प्राप्त हुई है । 3 दिन का समय उसमें दिया गया है वह अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है । कहा नीतिगत रूप से टालने का मामला है । नीतिगत रूप से टालने की मामला नहीं है जो कठिनाई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने कुछ दिनों के बाद में चुनाव कराने का निर्णय लिया है । जहां तक खर्च की बात है ।

श्री अधिष्ठाता–

खर्चे के ब्यौरे की आवश्यकता नहीं है । माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सदस्यों एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात्.....

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें, व्यवस्था देने दीजिए । माननीय सदस्यगण, माननीय नेता विरोधी दल एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं सरकार को निर्देश दे रहा हूं कि इस विषय में समुचित विधि सम्मत कार्यवाही करें और इसी के साथ मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात [illegible] है उससे यह स्पष्ट है कि वह प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश [illegible] अवहेलना कर रहे हैं और पंचायतों का चुनाव नहीं करा रहे हैं । इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है ।

- (बहुजन समाज पार्टी के सदस्य [illegible] से बहिर्गमन कर चले गये)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत आचरण कर रही है और माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश की अवहेलना कर रही है । इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के [illegible] सहित सदन का बहिर्गमन कर चले गये)

श्री कौकब हमीद–

यह सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रही है और जनता के विरुद्ध काम कर रही है। मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज आपको सदन को निर्देश देना पड़ा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब यह प्रकरण समाप्त हो गया है । मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह सरकार पंचायतों का चुनाव नहीं करा रही है एवं माननीय न्यायालय का अवमान कर रही है । इसके विरोध में, मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

जिला प्रशासन झांसी द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर नियम–311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री चन्द्र पाल सिंह की जिला प्रशासन झांसी द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का उंत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार जब से सत्ता में आयी है, विद्वेष की भावना से राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें कायम करके उनको फंसाने का काम किया जा रहा है । श्रीमन्, इनकी सत्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के लगभग 400 कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो चुकी हैं । झांसी जिले का प्रशासन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है । झांसी जनपद में मऊ-रानीपुर क्षेत्र है जिसमें विशेष रूप से बुनकर रहते हैं और बिजली की उन्हें बहुत आवश्यकता पड़ती है । एक महीने से रानीपुर कस्बे का ट्रांसफार्मर खराब पड़ा था जिसमें 80 फीसदी बुनकर होने के नाते रोजी-रोटी समाप्त हो चुकी थी और भुखमरी के कगार पर थे । हजारों आदमियों ने बिजली के ट्रांसफार्मर की मांग करते हुए आन्दोलन करना प्रारम्भ किया और 17 तारीख को उस क्षेत्र के हजारों लोग इकट्ठा हो करके वहां पर रास्ता जाम करने का काम किया । शांतिपूर्ण आन्दोलन चल रहा था । उसी दौरान जिले की पुलिस प्रशासन ने इकट्ठा होकर के वहां जो आन्दोलनकारी थे उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया और श्रीमन्, लाठीचार्ज में समाजवादी पार्टी के जिले के महामंत्री श्री मातादीन जतारिया सहित सैकड़ों लोग घायल हुए । डाक्टरी मुआयना कराने के बाद मुकदमा कायम करने की बात कही गयी । जिला प्रशासन ने हठधर्मी के कारण मुकदमा कायम नहीं किया । दोनों पक्षों में वार्ता हुई और उसके बाद धोखाधड़ी करके पुलिस ने समाजवादी पार्टी के महामंत्री श्री मातादीन जतारिया के विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया और आश्चर्य की बात है कि यह कार्यवाही डेढ़ महीने बाद हुई । न्यायाधीश ने जब उसे जमानत पर छोड़ दिया तो जिला प्रशासन बुरी तरह से बौखला गया और फिर श्री मातादीन जतारिया को रासुका में गिरफ्तार कर जेल भेजा । मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मातादीन जतारिया जिस पर आज तक 323 का मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ था उसे रासुका में क्यों बन्द किया गया । श्रीमन्, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के

खिलाफ जिस तरह यह सरकार विध्वंशकारी कार्यवाही कर रही है और समाजवादी पार्टी के आन्दोलनकारियों के खिलाफ रासुका की धारा लगा रही है वह सरकार की मंशा को उजागर करता है कि यह जानबूझकर समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान कर रही है ।

श्रीमन्, पिछली 17/18 मार्च की रात में भारतीय जनता पार्टी झांसी के महामंत्री को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसकी गाड़ी में दो हजार शराब के पाउच पकड़े जाते हैं, चोरी की गाड़ी और असलहे पकड़े जाते हैं जिसके संबंध में महामंत्री को थाने में बैठाया जाता है आर फिर उसे मुचलके पर छोड़ दिया जाता है । मान्यवर, आप देखें वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोगों को जो पानी और बिजली की मांग के सम्बन्ध में आन्दोलन कर रहे थे उन्हें वहां की पुलिस रासुका में गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करती है । इस तरह वहां पक्षपात हो रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है । इसके साथ ही वहां समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्यायें की जा रही हैं और हत्यारों को जिला प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रहा है । मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि श्री मातादीन जतारिया का दोष इतना था कि 1996 के चुनाव में उसने यहां से एक मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वहां की जन समस्याओं को ठीक कर वहां की जनता का मन जीत लिया था जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर रासुका में बन्द करने का काम पुलिस ने किया जिससे झांसी जिले में ही नहीं बल्कि बुन्देलखण्ड की जनता में जन आक्रोश है । मान्यवर, वहां कानून और शांति व्यवस्था समाप्त हो गयी है । इसलिये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि श्री मतादीन जतारिया को जो रासुका में गिरफ्तार हैं उसे तत्काल रिहा किया जाय और जिन्होंने उसे सजा देने का काम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और उन्हें दण्डित किया जाय । इसलिये आपसे निवेदन है कि सदन के सारे नियमों को शिथिल कर इसमें चर्चा की आप अनुमति दें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्री अधिष्ठाता महोदय, अभी इस गम्भीर प्रकरण पर हमारे माननीय सदस्य श्री चन्द्रपाल सिंह जी ने अपना पक्ष रखा है । मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूं और इसलिए कर रहे हैं परसों मैं भी गया था झांसी जिले में मातादीन जतारिया से मिला था उनसे पूछा भी था, जनता से भी दरियाफ्त किया था । जतारिया एक बहुत सीधे सादे भले आदमी हैं । स्वयं बुनकर हैं । मऊरानीपुर में पावर लूम का बहुत बड़ा काम होता है । वहां से वस्त्र निर्यात दूसरे प्रदेशों में ही नहीं विदेशों में भी किया जाता है । हजारों लोगों की रोजी रोटी इस पावर लूम से जुड़ी है । तीन महीने से वहां पर एक ट्रांसफार्मर फुंका हुआ था। तीन महीने से वहां लोग बेकार बैठे हुए थे भुखमरी के कगार पर थे । कर्ज कहीं से मिल नहीं रहा था । तब लोगों ने मन बना लिया कि गूंगे बहरे अधिकारियों को सुनाने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लिया जाए । इसी बात को लेकर जतारिया के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन का काम किया गया उसमें कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी शामिल थे । यह लिखा पढ़ी में भी है और वहां के लोगों ने भी बताया । सबने धरना प्रदर्शन करके मांग की कि वहां अविलम्ब ट्रांसफार्मर रखा जाए ताकि भुखमरी से बचा जाए ।

यह सही है कि वहां पर कुछ अराजक तत्व भी आये जिन्होंने तमाम ऊट पटांग बातें की लेकिन तोड़ फोड़ नहीं की । उसके बाद हुआ कि सबको तो छोड़ दिया गया । कांग्रेस वालों को, बसपा वालों को, कम्युनिष्ट वालों को लेकिन मातादीन जतारिया को इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि वह सत्तापक्ष के एक मंत्री से मार्जिन से हारे थे । इसलिये मंत्री जी उनसे इतना भयभीत हैं कि वह इलेक्शन में निश्चित रूप से हारेंगे अतः जतारिया को किस तरह से दबाया जाए, उत्पीड़न किया जाए कि वह लड़ने लायक न रहें । वह जतारिया रोजी-रोटी के लिये परेशान हैं । अगर दूसरे लोग सहयोग न करें तो उनका परिवार भूखों मर जाए व जतारिया सीधे-सादे इंसान हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं।

प्रशासन ने जो एन० एस० ए० लगाया है मेरा संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध है कि उसको वापस ले लिया जाए । ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें ।

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री बिहारी लाल आर्य)–

मान्यवर, मा० नेता विपक्ष ने जो मातादीन जतारिया के बारे में बात कही यह मेरे क्षेत्र का मामला है । मातादीन जतारिया के बारे में पूरा क्षेत्र जानता है । मऊरानीपुर में 66 के० वी० का एक सब स्टेशन बना है । उसमें 5-5 एम० पी० ए० के दो ट्रांसफार्मर लगे हैं । अचानक वह खराब हो गये उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल फाल्ट आ गया । उन दोनों ट्रांसफार्मरों को स्थानीय इंजीनियर द्वारा ठीक कराने का प्रयास किया ठीक नहीं हो पाये । तब इसके लिये गाजियाबाद से इंजीनियर आये वह ट्रांसफार्मर को ठीक कर रहे थे कि मातादीन जतारिया ने वहां पर भोली-भाली जनता को गुमराह करके 16 फरवरी को ट्रांसफार्मर पर पथराव किया, तोड़फोड़ किया । ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया इसे बनने में 15 दिन का समय और ज्यादा लग । जैसा कि मा० चन्द्रपाल जी ने कहा कि वह बहुत सीधे-साधे हैं । मान्यवर, वास्तव में जतारिया ने सैकड़ों घरों को बर्बाद कर दिया है । इनके कार्य बड़े निन्दनीय हैं । वहां पर इनका आतंक है चाहे तो आप वहां जाकर वहां की जनता से पूछ लें ।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

क्या उनके खिलाफ़ पुलिस में कोई रिकार्ड है ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री बिहारी लाल आर्य–

उन्होंने कई बार जाम लगाया है ।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

धरना प्रदर्शन हमारा अधिकार है । क्या इतने से उन पर एन० एस० ए० लगा दिया जायगा ?

श्री बिहारी लाल आर्य–

एन० एस० ए० कार्यवाही तो बहुत पहले की जानी चाहिए थी । [x x x] मातादीन ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया है और आप उनकी सिफारिश कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

क्या जाम लगाना एन० एस० ए० का आधार है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो उत्तर दे रहे हैं वह सरकार का उत्तर है या उनका निजी उत्तर है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जायं ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बिहारी लाल आर्य–

आप लोग हमारी बात सुन लें, फिर अपनी कहें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग शान्त रहें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सदन में कोई मंत्री कोई भी वक्तव्य देता है तो वह सरकार का वक्तव्य माना जायगा या उसका अपना निजी वक्तव्य माना जायगा ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मुझे स्वयं को इस बात की जानकारी नहीं थी कि माननीय सदस्य मंत्रि-परिषद् के सदस्य भी हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इन सदस्य के क्षेत्र से सम्बन्धित मामला है । हमने उस आशय से वह बात कही कि आप उस क्षेत्र के विधायक होने के नाते या सरकार का यह पक्ष है ।

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, 16 फरवरी को उन्होंने ट्रांसफार्मर पर तोड़-फोड़ की, राष्ट्रीय सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त किया । उसी दिन रेलवे स्टेशन पर तोड़-फोड़ की । वहां पर जाम लगाया और एक लेडी प्रिगनेन्ट थी जिसके कारण लोक व्यवस्था भी भंग हो गयी । इन्होंने वहां पर अभद्रता और बदतमीजी का बर्ताव भी किया ।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जितने भी लोगों पर जिलों में रासुका लगाई गई है, क्या वह मंत्रियों के इशारों पर लगाई गई ? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री बिहारी लाल आर्य–

इनकी कार्यशैली से लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं । क्षेत्र की जनता इसके आतंक से भयभीत है, कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर पाता है । चोरों, गुण्डों को संरक्षण प्रदान करता है । लोगों को शराब पिलाना और गलत काम करवाना इसका काम है । इस प्रकार के कई मामले इनके प्रकाश में आये हैं । मोटर साइकिल चुरवाना आदि । इसकी जांच करवा ली जाय । इनके कृत्य बहुत ही निन्दनीय हैं । जो कार्यवाही इनके खिलाफ की गयी है, वह जायज है । यदि यह कार्यवाही इनके खिलाफ नहीं की जाती तो वहां पर आतंक का वातावरण फैल जाता और स्थिति बहुत ही खराब हो जाती ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इतना विद्वतापूर्ण भाषण सुनकर आप भी खुश हो रहे हैं । मैं एक गम्भीर बात कहना चाहता हूं । आप सरकार के मंत्री हैं और आपने असत्य भाष्य किया कि मातादीन जो हैं वह लूट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करवाते हैं, डकैती डलवाते हैं और बलात्कार करते हैं । यह एक गैर जिम्मेदाराना पूर्ण वक्तव्य है । मैं विशेषाधिकार हनन की नोटिस देता हूं कि इन्होंने असत्य भाषण दिया और गलत बोले ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्री चन्द्रपाल जी ने ग्राह्यता पर इतना निवेदन किया था और कटेगरिकली कहा था कि इस मुकदमे से पहले श्री मातादीन जतारिया के खिलाफ एक भी मुकदमा 323 का नहीं था बल्कि इसमें दरोगा ही मुद्दई है । उनका कुल अपराध इतना था कि वह माननीय मंत्री जी के विरुद्ध चुनाव लड़े । उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से आन्दोलन में हिस्सा लिया । माननीय मंत्री जी का वक्तव्य भी आ गया है और उन्होंने एक भी तथ्य को अस्वीकार नहीं किया है । माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि उनके खिलाफ फलां-फलां 10-20 मुकदमें हुए हैं । उनकी यह क्रिमिनल हिस्ट्री है । इस तरीके की कोई बात नहीं आयी है । इसलिये जो चन्द्र पाल जी ने बात कही सरकार उसका उत्तर यहां नहीं दे रही है । इसको चर्चा के लिये स्वीकार करें । एन० एस० ए० लगाये जाने का कोई अधिकार नहीं था जिन्होंने एन० एस० ए० लगाकर बन्द कराया है नाजायज रूप से जेल भेजने का कार्य किया है उसके लिये जो जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । सरकार का जवाब इस पर आना चाहिए ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, कुछ बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि जहां तक घटना की तात्कालिकता का प्रश्न है । आज अप्रैल के महीने की 6 तारीख है । 23 तारीख से सत्र शुरू हुआ था और यह घटना 16 फरवरी की है ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

एन० एस० ए० 23 तारीख को ही लगाया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

16-2-2000 की घटना है और उसके बाद में अनेक अवसर भी आये जब इस घटना की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता था । देखना तो हमको भी यह पड़ेगा कि हम सदन को कैसे चलाना चाहते हैं ? जब जिसकी मर्जी होगी कोई बिन्दु उठा लें । नियमावली बनी है कुछ निर्देश पीठ से दिये गये हैं वह इसलिये जारी हुए हैं कि सदन ठीक से चले । एक बात, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही और चन्द्र पाल जी ने भी उस पर बल दिया कि कोई पुराना इतिहास नहीं है । इसलिये क्यों एन० एस० ए० लगा दिया । मान्यवर, जो जानकारी मुझको मिली है जिले से, उसको बताना चाहता हूं । जिस रोज की घटना है उस रोज इन्होंने राष्ट्रीय सम्पत्ति जो थी उससे छेड़ छाड़ की, उसे हानि पहुंचाई । जहां पर ट्रांसफार्मर बदले जा रहे थे उनको क्षति पहुंचायी । यहीं तक ये सीमित नहीं रहे । अपने साथियों को ले जाकर भड़काकर रेलवे सम्पत्ति की अपार क्षति पहुंचाई । अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है तो मैं इसको दोबारा दिखवा लूंगा । मैं आश्वस्त करता हूं कि हम इसका परीक्षण करवा लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना को इस निर्देश के साथ कि माननीय नेता विरोधी दल, श्री चन्द्र पाल सिंह जी, संसदीय कार्य मंत्री तथा मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं और साथ ही सरकार को यह निर्देश देता हूं कि निश्चित रूप से चूंकि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह कहीं से आभास होता है कि पर्याप्त.....

श्री हुकुम सिंह–

मेरे कहने से आपको आभास हो जाना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैंने कहा कि इसको दिखवा लेंगे । मेरे बारे में कोई भ्रामक बात नहीं आनी चाहिए । वहां तक मैं अपने आप को प्रतिबद्धता मानता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है उसके अन्दर कुछ चार्जेज का जिक्र किया गया है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, अब इस विषय में अपवाद की स्थिति हो गई और ऐसा आभास अब होने लगा कि अब परीक्षण के नाम पर कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिससे कि उस भुक्तभोगी व्यक्ति को राहत मिल सके । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की ओर जिन आधार पर एन० एस० ए० लगाया गया है मातादीन जतारिया पर उसकी सी० आई० डी० जांच करवा लें । मैं मांग करता हूं कि अगर आपका मन साफ है और यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय तो निश्चित रूप से सदन में आज ही यह घोषणा की जाय कि इसकी जांच सी० आई० डी० से करवायेंगे ।

(श्री चन्द्र पाल सिंह यादव के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया स्थान ग्रहण करें । मैं इसमें कह रहा था कि माननीय नेता विरोधी दल, माननीय चन्द्र पाल सिंह जी और दूसरे माननीय सदस्यों, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों को सुनने के पश्चात्, मैं इस सूचना को 311 में निरस्त करता हूं और सरकार पक्ष की तरफ से जो उत्तर आया है उसमें सूचना में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है लिहाजा इस पूरे प्रकरण की पुनः जांच की आवश्यकता है । लिहाजा मैं सरकार से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की एक बार पुनः जांच कराके इसमें तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही करें ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

पूरी तरह से विद्वेष की भावना से उनको बंद किया गया है उनको छोड़ा जाए फिर कार्यवाही की जांच होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इस सूचना को निरस्त कर दिया है । इस प्रकरण को समाप्त कर दिया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर) (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पूरी बात सुनने के बाद निर्णय लिया है ।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

एक कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप भिज्ञ हैं पीठ द्वारा निर्णय के बाद प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है । मैं जो उचित समझता था वह निर्णय लिया ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

नियम 311 के अन्तर्गत डा० वकार अहमद शाह तथा श्री रामाधार सिंह की सूचना (घोर व्यवधान) नियम 51 के पूर्व सुनी जाएगी (समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री राम विशुन आजाद, श्री राधेश्याम जायसवाल, डा० कौशल किशोर आदि अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री श्याम लाल रावत, श्री अम्बिका चौधरी, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री रामकुमार एडवोकेट, डा० कौशल किशोर तथा श्री महेन्द्र कुमार सिंह की सूचना विधायक समस्या के अन्तर्गत सुनी जायेगी । श्री विनोद मणि, श्री श्रीराम पाल तथा श्री जगदीश नारायण राय एवं श्री लालजी वर्मा की सूचना अस्वीकार की जाती है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (फ्लोर से)–

विद्वेष की भावना से एन० एस० ए० लगाया गया है । सही व्यक्ति के ऊपर, राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर अन्याय किया जा रहा है ।

(घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगाने लगे किन्तु नेता विरोधी दल के प्रयास से वे अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

यह मेरा फैसला नहीं है । यह सदन की कार्य मंत्रणा समिति का फैसला है । आप कृपया अपने स्थान पर जायें ।

(वेल पर आये सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आपने सरकार को जांच कराने के लिये निर्देशित किया । आप इसमें तीन दिन, पांच दिन या फिर एक हफ्ता की समय सीमा निर्धारित करा दीजिये जिससे कि निर्दोष को जल्दी न्याय मिल सके ? इसकी जांच आप कमिश्नर से करवा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मुझे खेद है इस बात के लिये कि कोई बात यहां पर समझी नहीं जाती है और न किसी की भावना को नहीं जब समझा जाता है तो यही परिणाम होता है । मान्यवर, जो रासुका लगी है इसका अनुमोदन शासन स्तर पर हो चुका है । अब इसे कमिश्नर कैसे करेगा ? हमने यह भी कहा कि शासन स्तर पर इसका दोबारा परीक्षण करा लेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि शासन स्तर पर दोबारा इसका परीक्षण करा लेंगे । मेरा अनुरोध है कि 11 तारीख तक इसकी रिपोर्ट मंगवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

निर्देश पर्याप्त हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया है कि शासन स्तर पर दोबारा परीक्षण करा लेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर दो महीने में या एक वर्ष में शासन करेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है । अगर न्याय आप दिलवाना चाहते हैं तो पांच दिन के भीतर इसका परीक्षण करवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको कुछ कहना है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जितना मेरे लिये सम्भव था वह कह दिया । अब इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैंने भी नियम–311 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी । मान्यवर, वहां पर पुलिस द्वारा नंगा नाच किया गया.....

श्री अधिष्ठाता–

जब जानकारी दी गयी, पढ़ा गया.....

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, क्या आश्वासन दिया गया है, यह तो बता दें ?

श्री अधिष्ठाता–

जो पीठ द्वारा निर्देश दिया गया उसके अनुपालन में यह आश्वासन दिया गया कि इसका परीक्षण शासन स्तर पर दोबारा करा लेंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

समय सीमा तो कोई निर्धारित करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

यथाशीघ्र करा दें ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मऊ जनपद में शांतिपूर्वक आन्दोलन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चलवायी ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, मंत्री जी ने 24 घंटे में एन० एस० ए० में निरुद्ध एक व्यक्ति को छुड़वा दिया सरकार जिसको चाहे छुड़वा देती है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करें और संयम रखें, आप अपनी भाषा वगैरह सब चीज पर संयम रखें ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, हम चुनकर आये हैं । [× × ×] सरासर अन्याय हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

पीठ के प्रति अपना सम्मान रखिये और स्थान ग्रहण करिये ।

जो नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त हुई थी उसमें पांच सूचनाओं को मैंने सुना । उसके बाद जो शेष सूचनायें थी उसके बारे में सदन को बताया कि कौन-कौन सी कार्यवाही वांछित है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अब किसी विधायक का निजी मामला है या उनके क्षेत्र से सम्बन्धित मामला है तो वह सर्वदलीय बैठक में निर्णय हो चुका है और कार्य-मंत्रणा समिति ने यह तय किया है कि एक अलग मद बना करके उसे कार्य सूची में प्रकाशित किया जाता है और उसके अन्तर्गत इन सूचनाओं को तब्दील करके उन्हें सुना जाता है। इन सूचनाओं को उस क्रम में जब आयेगी, सुन लिया जायेगा।

(इसी मध्य श्री चन्द्र पाल सिंह यादव तथा श्री राम औतार शाक्य आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और कहने लगे कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम धरने पर बैठेंगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश वन निगम का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1997-98 †

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1997-98 को उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000 ††

सचिव, विधान सभा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 तथा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 तथा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2000 को पारित किये गये थे तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किये गये थे और दिनांक 3 अप्रैल, 2000 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुए थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 अप्रैल, 2000 को वापस प्राप्त हो गये।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2000 के उपवेशन में

नोट :– † छापा नहीं गया।

†† छापा नहीं गया।

पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 मार्च, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया ।

जिला प्रशासन झांसी द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर नियम–311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव (वेल से)–

मान्यवर, जब तक समय सीमा निर्धारित नहीं होगी और हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने आसन पर जायं । जहां तक माननीय सदस्यों से सम्बन्धित प्रकरण हैं उसके बारे में विधायकों की समस्या के अन्तर्गत जो मद बनायी गयी है उसके अन्तर्गत उसको सुन लिया जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी (वेल से)–

मान्यवर, विधायकों के मामले में इस तरह से करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

जो कुछ कहना है अपने स्थान पर जाकर कहें ।

माननीय नेता विरोधी दल जी अपने सदस्यों को अपने आसन पर जाने के लिए कहें ।

(नेता विरोधी दल के अनुरोध पर सदन के वेल में आये हुए सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से हम लोगों ने समवेत रूप से आपके माध्यम से यह चाहा है कि समय सीमा बता दें । उसमें नेता विरोधी दल ने कहा था, आपके लिये सारे तंत्र उपलब्ध हैं। 2 घंटे में सूचना आ जाती, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाय, 5 दिन में आ जाय तो मान्यवर, अधिकतम 11 मई तक रिपोर्ट आ जाय, यह निर्देश दे दें । दूसरा, राधेश्याम जी का प्रकरण है, इसको अगम्भीर तरीके से लिया जाना उचित नहीं है । इतनी गम्भीर घटना है और वह यहां पर मौजूद हैं । पीठ ही हम लोगों की संरक्षक होती है इसलिये आप उनको सुन लें और इसके पहले समय सीमा का निर्देश जारी करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बिका जी, इसमें मैंने पहले ही अनुरोध किया कि माननीय राधेश्याम जी की जो सूचना है उसमें आप सब के हस्ताक्षर हैं । इस सूचना को विधायकों की समस्या का जो कार्य-सूची में मद बनाया गया है उसके अन्तर्गत इसको आज सुना जायेगा । लेकिन, अब यदि आप यह तय करने लग जायं कि 300 के बाद सुनिये, 56 के बाद सुनिये या 311 के बाद सुनिये तो सदन की कार्यवाही चल पाना सम्भव नहीं होगी । मैं कह रहा हूं कि इसका नम्बर आने पर इसको सुना जायेगा तो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए । इससे सम्बन्धित दूसरे माननीय सदस्यों की सूचना भी है अकेले राधेश्याम जी की सूचना नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अभिभाषण पर चर्चा के पहले इसको सुनवा लें ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, समय सीमा निर्धारित कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें मैं पर्याप्त निर्देश दे चुका हूं । आप सब लोग बैठें ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी बात कहने कां प्रयास करने लगे, जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

पीठ से दबाव में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता ।

मद संख्या–6. 7 व 8 में कुछ नहीं है ।

व्यापार कर की दरों में सुव्यवस्थीकरण के अधीन परिवर्तन/संशोधन के सम्बन्ध में संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री का वक्तव्य

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबूराम)–

माननीय अधिष्ठाता जी, भारत सरकार के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों की गठित समिति की बैठक में.....

श्री अधिष्ठाता–

आपका वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[लिये गये निर्णय के उपरान्त प्रदेश में फ्लोर रेंट के अनुसार कर आरोपित करने से सम्बन्धित विज्ञप्तियां जारी करने के बाद विभिन्न उद्योगों एवं व्यापारियों द्वारा अपनी कठिनाइयां बतायी गयी तथा यह पाया गया कि यदि उन पर विचार न किया गया तब ऐसे उद्योग प्रभावित होंगे तथा प्रदेश में करापवंचन भी बढ़ेगा । ऐसा होने से रोजगार के अवसर तथा व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने कीं आशा थी । अतः प्रान्त के विभिन्न उद्योगों की परिस्थितियों तथा व्यापारियों की कठिनाइयों, जनसामान्य को राहत एवं करापवंचन की सम्भावनाओं को रोकने के उद्देश्य को देखते हुए विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों में सुव्यवस्थीकरण का निर्णय लिया गया है । इसके अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों में परिवर्तन लाया जा रहा है ।

(1) 3000 घन सेमी० से 4000 घन सेमी० तक के फ्युएल एफिसिएन्ट हल्के वाणिज्यिक वाहनों के चेसिस पर कर की दर 2 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि 3000 घन सेमी० से 4000 घन सेमी० तक के फयूएल एफिसिएन्ट हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर पहले से ही कर की दर 2 प्रतिशत है । इस प्रकार विसंगति को दूर किया गया है ।

(2) मखाने की कर देयता के सम्बन्ध में प्रायः विवाद रहता था । इस विवाद को समाप्त करने हेतु मखाने को वर्गीकृत कराते हुए मेवे की भांति करदेयता निर्धारित की जा रही है ताकि अनावश्यक विवाद समाप्त हो जाय ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(3) दलहन पर फ्लोर रेट 0 प्रतिशत निर्धारित है । इस उद्योग को अन्य पड़ोसी राज्यों में प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने के उद्देश्य से दलहन पर कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जा रही है । पड़ोसी राज्यों विशेषकर दिल्ली में कर की दर 0 प्रतिशत, राजस्थान में 4/2 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 0/2 प्रतिशत की दर से कर देय है ।

(4) पेन्ट एवं वार्निश पर फ्लोर रेट में 8 प्रतिशत की दर से कर देय है । मध्य प्रदेश में 8 प्रतिशत, दिल्ली में 12 प्रतिशत, राजस्थान में 12 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 8 प्रतिशत की दर से कर देय है । इस उद्योग को पड़ोसी राज्यों में लागू कर की दरों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने के उद्देश्य से कर की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है ।

(5) सोने चांदी के आभूषण मूल्यवान नग, सोने चांदी की वस्तुओं पर दिल्ली में कर की दर 1 प्रतिशत है । उक्त वस्तुओं पर फ्लोर रेंट में कर की दर 1 प्रतिशत निर्धारित है । कर की दर अधिक होने के कारण करापवंचन की अधिक सम्भावना रहती है । अतः फ्लोर रेट व करापवंचन की सम्भावना को देखते हुए उक्त वस्तुओं पर कर की दर 1 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है ।

(6) बांस बल्ली पर फ्लोर रेट के अनुसार कर की दर 8 प्रतिशत है । पड़ोसी राज्य दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 8 प्रतिशत की दर से कर देय है । पड़ोसी राज्यों में लागू कर की दरों तथा फ्लोर रेंट को दृष्टिगत रखते हुए बांस बल्ली पर कर की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है ।

(7) प्रिंटिंग इंक वर्गीकृत न होने के कारण उक्त पर अवर्गीय वस्तु की भांति 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित हो रहा है जबकि लेखन के प्रयोजन के लिए स्याही आदि पर 8 प्रतिशत की दर से कर देय है । फ्लोर रेट में उक्त पर कर की दर 8 प्रतिशत ही निर्धारित है । फ्लोर रेट व विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से उक्त को वर्गीकृत करते हुए 8 प्रतिशत की दर निर्धारित की जा रही है ।

(8) तांबे के बर्तन व तांबे की शीट सर्किल वर्गीकृत न होने के कारण उक्त पर 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित हो रहा है, जबकि अन्य धातुओं के बर्तन व शीट सर्किल पर 5 प्रतिशत की दर से कर देय है । फ्लोर रेट से उक्त वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की कर देयता रखी गयी है । फ्लोर रेट व विसंगति को ध्यान में रखते हुए उक्त पर 5 प्रतिशत से कर देयता निर्धारित की जा रही है ।

(9) मेटल चूड़ी वर्तमान में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं है, जबकि सोना या चांदी या उसकी किसी मिश्रित धातु से भिन्न धातु के आभूषणों एवं चेन पर 5 प्रतिशत की दर से कर देय है । मेटल चूड़ी भी उसी में शामिल मानी जानी चाहिए, परन्तु इस सम्बन्ध में प्रायः विवाद उठाया जाता है । उक्त विवाद को दूर करने के उद्देश्य से मेटल चूड़ी को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर उस पर 5 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की जा रही है । फ्लोर रेट में उक्त पर कर की दर 4 प्रतिशत निर्धारित है।

(10) चश्मा उद्योग के गरीब कारीगरों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर से कर देकर क्रय किये गये फ्रेम और लेंसों से किसी व्यक्ति के लिए तैयार

किये गये चश्मे की बिक्री को करमुक्त किया जा रहा है, जैसा कि वर्ष 1994 के पूर्व था ।

(11) गुड़ व राब को फ्लोर रेट में 0 प्रतिशत की श्रेणी में रखा गया है । दिल्ली व राजस्थान में उक्त वस्तुएं कर मुक्त हैं । फ्लोर रेट व पड़ोसी राज्यों में लागू कर की दरों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पर 2.5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा रहा है । अभी तक गुड़ पर 5 प्रतिशत और राब पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगता है।

(12) पिसी हुई हड्डियों पर अभी तक 8 प्रतिशत व बोन मील पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है । कर की दरों में समानता लाने के उद्देश्य से क्रस्ड बोन, बोन साइन्यूज और बर्नड बोन पर 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जा रहा है ।

(13) लोहे की चद्दर और आइस बाक्स छोटे-छोटे कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं । कर की दर अधिक होने के कारण स्टाक ट्रान्सफर हो रहा था तथा जो कर प्राप्त होता था वह प्राप्त नहीं हो रहा है । अतः कर की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत की जा रही है ।

(14) पशुओं का चारा, कुक्कुट चारा या मछलियों का चारा पर फ्लोर रेट 0 प्रतिशत है । इन पर 5 प्रतिशत की दर से कर देय है । फ्लोर रेट को ध्यान में रखते हुए उक्त पर 4 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित की जा रही है ।

(15) सर्व ड्राइंग इन्स्ट्रूमेन्ट का उद्योग सामान्यतः रुड़की में केन्द्रित है, जिसमें हजारों अनपढ़ गरीब परिवार कार्यरत हैं । इनका प्रयोग सामान्यतः विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है । अतः इनको कर मुक्त किया जा रहा है ।

(16) सेवइयां, बड़ी, मुगौड़ी, पापड़ वर्तमान में कर मुक्त हैं । सोया बड़ी स्पष्ट रूप से परिभाषित न होने के कारण उक्त पर कर आरोपित हो रहा है । एअर टाइट पैक में बिकने वाली सोया बड़ी महंगी होती है । अतः एअर टाइट पैकेट में बिकने वाली सोया बड़ी को छोड़कर सोया बड़ी को करमुक्त किया जा रहा है ।

(17) पेन, बाल पेन, रिफिल आदि पर फ्लोर रेट 0 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में कर मुक्त है । दिल्ली में 50/- प्रति नग मूल्य तक के कर मुक्त हैं । फ्लोर रेट को व पड़ोसी राज्यों में कर दरों को देखते हुए उक्त पर कर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत निर्धारित की जा रही है ।

(18) ब्रेड पर फ्लोर रेट 0 प्रतिशत है । पड़ोसी राज्यों में उक्त वस्तु करमुक्त है । अतः ब्रेड पर जो माडवेट की सुविधा अनुमन्य है उसे समाप्त कर ब्रेड को कर मुक्त किया जा रहा है । माडवेट व्यवस्था के अन्तर्गत कच्चे माल पर दिये गये कर का समायोजन निर्मित वस्तु पर देय कर में किया जाता है ।

(19) डाइज एवं कलर पर कर की दर 4 प्रतिशत निर्धारित की जा रही है । डाइज व कलर पर 10 प्रतिशत की दर से कर देय है । इसका प्रयोग मुख्य रूप से निर्माताओं द्वारा किया जाता है, निर्माता व्यापारियों को रियायती दर 2.5 से कच्चा माल आदि

खरीदने की सुविधा अनुमन्य है । इस प्रकार इसकी खरीद लेखा-बहियों में न दिखाकर इस पर करापवंचन किया जा रहा था ।]

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में बैठकर अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे, जिससे घोर व्यवधान रहा)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर जावें । माननीय अम्बिका जी, कृपया अपने माननीय सदस्यों को अपने आसन पर जाने के लिए कहें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

दिनांक 24 मार्च, 1999 को श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक प्रश्नों पर दिये गये उत्तर में संशोधन हेतु कृषि मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, दिनांक 2-2-99 को श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में श्री राजधारी सिंह, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि भारत सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किये हैं । मान्यवर, अलग-अलग प्रदेशों की अलग-अलग भौगोलिक स्थिति और जलवायु होती है और सिंचाई की भी अलग-अलग क्षमता होती है, क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और सिंचन क्षमता और बीज की उपलब्धता और अन्य तमाम अभावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार इस समर्थन मूल्य को घोषित करने हेतु भारत सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं ? यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं और उन सुझावों को माना गया है ?"

2—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि " मान्यवर, वर्ष 1999-2000 के लिये समर्थन मूल्य हेतु 600 प्रति क्विंटल की रिकमेंडेशन भेजी गयी थी परन्तु भारत सरकार ने 550 रुपये घोषित किया ।"

3—उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला, सही उत्तर इस प्रकार है :— "वर्ष 1999-2000 के लिये गेहूं का समर्थन मूल्य हेतु 650 रुपये प्रति क्विंटल की संस्तुति भेजी गयी थी, परन्तु भारत सरकार ने 550 रुपये घोषित किया ।"

(वेल में आये हुए माननीय सदस्यों द्वारा अपना स्थान न ग्रहण किये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 4 बजकर 39 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी । 4 बजकर 54 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

पंह यादव–

अधिष्ठाता महोदय,

करें । नेता विरोधी दल ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, जो प्रकरण अभी उठा ! हमारे माननीय सदस्य चन्द्रपाल जी उसी जनपद से सदस्य हैं, उनकी जो उत्तेजना है वह अपनी जगह सही है क्योंकि वह भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं । जनता उनसे जवाब मांगेगी कि इतना अत्याचार हुआ है और निर्दोष आदमी को निरुद्ध किया गया हो तो आपको सदन में इस बात को उठाना चाहिए था । मैं चन्द्रपाल जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि वे परीक्षण करवा लेंगे, उन पर विश्वास कर लेना चाहिए । मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था और अब भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, ऐसा नहीं है जब एक आश्वासन आ गया है तो फिर उसमें जिद भी नहीं करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दिया जाये और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो परीक्षण की बात कही है उसकी प्रतीक्षा की जाये ।

प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–10 स्थगित किया गया ।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय" के सम्बन्ध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–11. माननीय श्री बाल चन्द्र मिश्र ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं, आपने एक राष्ट्रीय महत्व के विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी है । " इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय।" मान्यवर, यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है और ऐसे गम्भीर प्रकरण पर बहुत ही गम्भीरता से चिन्तन होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

इस चर्चा को जारी रखा जाये ।

मद संख्या–12

दिनांक 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) के विशेष प्रतिवेदन पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, मेजर जे० पी० सिंह तथा श्री अतुल कुमार आदि की नियम 216 (4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–12. इसको स्थगित रखा जाता है । इसको लोक निर्माण मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है ।

(श्री राधेश्याम जायसवाल के खड़े होने और कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

श्री राधेश्याम जी, नेता विरोधी दल ने जब इस प्रकरण के सम्बन्ध में कहा तो मैंने नेता विरोधी दल से अनुरोध किया कि आपका प्रकरण निश्चित रूप से विधायकों से सम्बन्धित जो मद है, जो अभिभाषण के पश्चात् आयेगा, उसमें सुना जायेगा । इसके अलावा आप क्या चाहते हैं ?

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) †

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–13. डा० सरजीत सिंह डंग ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, डंग साहब का हो गया ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, उनका हो गया है । रवीन्द्र शुक्ल जी हैं नहीं, मैं खड़ा हूं । मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, नेता विरोधी दल ने राज्यपाल के अभिभाषण में जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है मैं पूरी तरह से अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जब महामहिम राज्यपाल अभिभाषण देने आए, हम लोगों ने सोचा था कि माननीय श्री राम प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में बनी यह सरकार इस प्रदेश की जनता को इस अभिभाषण के माध्यम से कुछ देने का काम करेगी । मान्यवर, जब पूरा अभिभाषण पढ़ा गया तो इस अभिभाषण के पढ़ने के उपरान्त इस प्रदेश के विकास के मार्ग में कोई परिवर्तन इस अभिभाषण में नहीं किया गया और इसको पढ़ने के बाद लगा कि यह प्रदेश 21वीं सदी में न जाकर और अधिक पीछे की तरफ खिसकने का काम कर रहा है । यह अभिभाषण जो है किसी भी सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है । इस अभिभाषण के पढ़ने के बाद लगा कि सरकार प्रत्येक स्तर पर पूरी तरह से असफल साबित हुई है । इस प्रदेश की जनता के हित के लिये, प्रदेश के विकास के लिये, औद्योगिक विकास के लिये, बुनकरों के विकास के लिये, किसानों के विकास के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है । इस अभिभाषण में लोकतंत्र की हिफाजत के लिये कुछ नहीं कहा गया है और सरकार जबसे सत्ता में आयी है इसने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया है । आज सदन में 2 घंटे पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई । संविधान के 73-74वें संशोधन द्वारा जो व्यवस्था लागू की गयी थी उसको सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है । जब मैं लखनऊ में निकलता हूं तो बड़े-बड़े बोर्ड लगे हैं जिन पर लिखा है कि प्रदेश ग्राम स्वराज की ओर जा रहा है । लेकिन इनकी कथनी और करनी में अन्तर है । संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार पंचायतों के चुनाव 5 साल के बाद तुरन्त कराना चाहिए उनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता लेकिन ग्राम पंचायतों के चुनावों को आगे बढ़ाकर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है ।

माननीय मंत्री जी सदन को बता रहे थे कि चुनाव इसलिये स्थगित किये गये कि पिछली सरकार ने जो रिजर्वेशन लागू किया था उसके कारण तमाम विकास खण्डों में 100 प्रतिशत रिजर्वेशन लागू हो गया है । मेरी समझ में मंत्री जी बात नहीं आती है कि 100 परसेंट रिजर्वेशन कैसे लागू हो गया। इसी विधान सभा में संविधान संशोधन को अंगीकार किया गया था और उसी आधार पर ग्राम पंचायतों और विकास खण्डों में रिजर्वेशन लागू किया गया था । जिस गांव में अनुसूचित जाति की आबादी का जितना प्रतिशत होगा उसके आधार पर रिजर्वेशन होगा । यदि किसी विकास खण्ड में 50

नोट :– † दिनांक 31 मार्च, 2000 की कार्यवाही से ।

फीसदी अनुसूचित जाति के लोग हैं तो रिजर्वेशन 50 प्रतिशत होना चाहिए था और इसी तरह से किसी विकास खण्ड में 45 फीसदी अनुसूचित जाति के लोग हैं तो रिजर्वेशन 45 फीसदी होना चाहिए और इसी आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गयी थी। इसके साथ ही साथ पिछड़ी जातियों के लिये 27 फीसदी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गयी थी और महिलाओं के लिए एक तिहाई रिजर्वेशन की व्यवस्था की गयी थी। सरकार का कहना है कि इस प्रकार से रिजर्वेशन 50 फीसदी से ज्यादा हो जाता था इसलिए चुनाव स्थगित किया गया। इसी से सरकार की मंशा स्पष्ट होती है कि सरकार अनुसूचित जातियों के खिलाफ और पिछड़ी जातियों की घोर विरोधी है और चाहती है कि इनको रिजर्वेशन न मिल सके। इसी तरह से अभिभाषण में सहकारी समितियों के चुनाव का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया है। मैंने जबसे राजनीति में कदम रखा है इतनी घोर बेइमानी सहकारी समितियों के चुनाव में आज तक नहीं हुई है। साधन सहकारी समितियों के चुनाव में सरकार ने चुने हुए प्रतिनिधियों के बावजूद 2-2 संचालक अलग से अपने कार्यकर्ताओं को रख दिया चाहे वह समिति के सदस्य हों या न हों। इस प्रकार से संचालकों को मनोनीत करने का काम निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक है। संविधान की मंशा के नाम पर भारत सरकार ने इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से सामंती लोकतंत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया है। उसी की नकल प्रदेश सरकार कर रही है और सहकारी समितियों के चुनाव में गैर लोकतांत्रिक कदम उठा रही है। सहकारी समितियों के चुनाव में मैं उदाहरण फैजाबाद जिले का देना चाहता हूं फैजाबाद कोआपरेटिव बैंक के चुनाव में उन समितियों को अर्ह कर दिया गया जो डिफाल्टर थीं। उनको अर्ह करने का तरीका कैसे अपनाया गया। ऋण राहत का कुछ पैसा अवशेष था उस पैसे को उन्होंने बिना किसानों के खातों में जमा किये हुए समितियों के नाम दे करके उनको चुनाव में ला दिया। जहां पर चुनाव नहीं हुए थे, बैंकों के प्रतिनिधियों को उन्होंने अपने से नामीनेट करके उनको चुनाव में हिस्सा दिलाने का काम किया। इसी तरह से इस प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव में घोर अलोकतांत्रिक तरीके से, घोर बेईमानी करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। इस दस्तावेज में कहा गया है कि यह सरकार भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेगी। भ्रष्टाचार रोकने का काम कहीं नहीं हो रहा है। यह अलबत्ता हो रहा है कि सत्ता में शामिल तमाम मंत्रीगण अपनी इन्कम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

भ्रष्टाचार का आलम यह हो गया है कि देश की सर्वोच्च संस्था राज्य सभा और विधान परिषद् है। आज सारे जगहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह से धन्नासेठ लोग अपने पैसों के बल पर चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। इसका पहल कौन कर रहा है। इसमें मंत्री लोग शामिल हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे पास और क्या है ? इस तरह से लाखों-लाख रुपया लेकर इस राज्य सभा चुनाव को कलंकित करने का काम किया जा रहा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी तरह से इस दस्तावेज में मैंने यह सोचा था कि इसमें इस बात का जिक्र किया जायेगा कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां हैं उन पर जो तमाम अत्याचार हो रहे हैं और जिसके लिये दलित ऐक्ट बनाया गया है, दलितों की सुरक्षा के लिए। इसमें इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि अगर अनुसूचित जाति को कोई प्रताड़ित करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इस सरकार के द्वारा उस अधिनियम को पूरी तरह से निष्प्रभावी किया गया। आज उसका प्रभाव यह हो रहा है कि यदि एक गांव में झगड़ा होता है और दो पक्ष मारपीट करते हैं उसमें अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही मारा जाता है। दोनों तरफ से दो एफ० आई० आर० दर्ज होते हैं, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की तरफ से दूसरा दूसरे वर्ग की तरफ से। दूसरी तरफ से अगर 323. 506 एवं 325 में मुकदमा दर्ज कराया है तो भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जायेगा वहीं पर अनुसूचित जाति का जो एक्ट है उसको निष्प्रभावी बनाने का

काम किया गया है क्योंकि पहले पुलिस उपाधीक्षक जांच करेगा उसके बाद कार्यवाही की जायेगी। जांच के नाम पर 6-6 महीने लग जाते हैं और उसे लटकाने का काम किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी दूसरे नम्बर का दल है और यहां उस दल से ज्यादा बोलने वाले भी नहीं है। आप कहेंगे तो बैठ जाऊंगा। मान्यवर, आपको भी गंवारा नहीं है। अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे हम उठा रहे हैं, यदि असह्य हो तो मैं बैठ जाऊं। मान्यवर, तो मैं कह रहा था कि जो रिपोर्ट लिखाई जाती है उसमें उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो जायेगी भले ही 307 का मुकदमा कायम कराया हो। जबकि जो गैर अनुसूचित जाति का है उस पर पुलिस तब तक कार्यवाही नहीं करेगी जब तक पुलिस उपाधीक्षक जांच करके अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते। मान्यवर, स्थिति बहुत ही खराब है। एक तरफ मामूली चोट लगे होने के बाद अनुसूचित जाति के लोगों पर मुकदमें कायम हो जाते हैं और जेल में बन्द हो जाते हैं। दूसरी तरफ कत्ल करने की स्थिति पैदा करने का काम किया लेकिन गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि पुलिस उपाधीक्षक जांच नहीं कर पाये हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मेरा सुझाव है कि इस तरह के जब क्रास केसेज हैं और एक पक्ष गिरफ्तार हो जाता है तो दूसरे पक्ष को गिरफ्तारी से इसलिए न रोका जाय कि उप पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट आ जाय।

मान्यवर, इसी तरह से इस दस्तावेज में यह कहा गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में एक हजार कि०मी० नहर की पटरियों को बनाने का काम किया है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि घोषणा तो की गयी है लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं किया गया है। हमारे विधान सभा क्षेत्र अम्बेडकरनगर में जिस सड़क का चयन नहर पटरी में किया गया था वह सड़क आज तक नहीं बनी है और उसके लिये धन की भी व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, सरकार ने योजना तो स्वीकृत कर दिया लेकिन ट्रेजरी में धन निकालने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जिसके कारण प्रदेश में विकास के सारे कार्य 3-4 महीने से रुके पड़े हैं। इस तरह से सरकार ने प्रदेश में विकास के कार्यों का मटियामेट कर दिया है। मान्यवर, अनुसूचित जातियों पर इस सरकार के समय लगातार आक्रमण हो रहे हैं जिन्हें निष्प्रभावी करने का काम संशोधन द्वारा किया गया था, इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरह की स्थिति पैदा करे जिससे उनके साथ ज्यादती न हो।

मान्यवर, इसी तरह से इस प्रदेश में किसानों के बाद पावरलूम सेक्टर के उद्योग हैं। मान्यवर, हर प्रान्त में पावरलूम उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया गया है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में पावरलूम उद्योग में 15–20 लाख बुनकर लगे हुए हैं और वे अपनी समस्याओं के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। मान्यवर, इस दस्तावेज में बुनकरों के उत्थान की बात की गयी है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बुनकर शब्द जोड़कर केवल इतिश्री कर ली गयी है। मान्यवर, पावरलूम उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों और बुनकरों को बढ़ावा देने के लिये तथा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये सरकार से मेरा सुझाव है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की भांति बुनकर भाइयों, पावरलूम कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में लगे लोगों को 160 रुपया प्रति हार्सपावर निर्धारित करके बढ़ावा दिया है उसी तरह से इस प्रदेश में बुनकरों को बढ़ावा देने का काम सरकार को करना चाहिए जिससे पावरलूम उद्योग, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला है उन्हें राहत मिल सके और इससे गरीब श्रमिकों को सस्ते दामों पर कपड़ा दिलाया जा सके।

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने संशोधन प्रस्ताव के जरिये जो जिक्र किया है कि यह सरकार हर मामले में फेल है और हर साल बाढ़ आती है तो उसको भी रोकने में यह सरकार फेल हुई है इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रदेश में बाढ़ को रोकने के लिये सरकार कोई समुचित उपाय करे ।

मान्यवर, जैसा कि अभी नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र जी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर जो नीचे जा रहा है उसको कैसे ठीक रख सकें जिसके लिये वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबन्धन की अच्छी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जिससे जल स्तर नीचे जाने की समस्या दूर हो सकेगी और बाढ़ भी रुक सकेगी । मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात से सहमत हूं और चाहता हूं कि प्रदेश में जलाशयों का निर्माण किया जाय । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आन्ध्र प्रदेश की मछली हमारे प्रदेश के हर बाजार में उपलब्ध होती है तो इसका क्या कारण है? वहां की मछलियों ने उत्तर प्रदेश के मार्केट पर कब्जा कर लिया है । अगर इसी तरह से सबसे ज्यादा ताल पोखरे उत्तर प्रदेश में हैं इनको गहरा करके जलाशय को बढ़िया ढंग से बनाकर और उसमें मत्स्य पालन की व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से हमारे उन बेकार हाथों को काम कम मिलेगा जिनके लिये रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, एवं इससे इनकम बढ़ेगी दूसरी तरफ से इससे जलस्तर बढ़ेगा । जो जल बहकर समुद्र में चला जाता है उस जल को जलाशय का निर्माण करके रोक लेंगे तो बाढ़ की समस्या को रोकने का काम भी होगा । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था निश्चित रूप से लागू करने का काम करें । 10 लाख कूप योजना पूरी तरह से समाप्त कर दी गई इस तरह से कोई योजना बनाएं, जलाशय का निर्माण करें जिससे बेकार पानी संग्रह करके मत्स्य पालन करके बेकार लोगों को रोजगार दिया जा सके इससे प्रदेश की आय बढ़ेगी एवं प्रदेश खुशहाल होगा ।

जब कल्याण सिंह की सरकार पहले बनी थी तो वित्तीय स्थिति के बारे में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि प्रदेश पर लगभग 45 हजार करोड़ रुपये का ऋण है । उसके बाद के तीन वर्षों में यह ऋणग्रस्तता बढ़कर 68 हजार करोड़ रुपये हो गई है । गत वर्ष 11 हजार करोड़ रुपये ऋण लेने का काम किया गया उसके बाद भी कई तरह के भुगतानों पर प्रतिबन्ध लगाया गया । इस वर्ष का जो बजट है उसमें भी11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पुनः ऋण लेने का काम किया जा रहा है । निश्चित रूप से यह सरकार अगर इसी तरह से चलती रही तो साल दो साल में ऋण के मकड़ जाल में पूरी तरह से जकड़ जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । 25 मिनट हो गये ।

श्री लाल जी वर्मा–

पांच मिनट और लूंगा । इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समानता भी नहीं है । भारतीय संविधान के प्रति सरकार का कोई आदर नहीं है, न्यायपालिका के प्रति कोई आदर नहीं है । प्रदेश में 93 मंत्री बना दिये गये उनके पास कोई काम नहीं है । आपस में विरोधाभास है । आज ही ऐसा प्रकरण हुआ जिसमें राजाराम पाण्डेय, नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि हम कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार करते हैं । इसी सदन में उत्तरांचल विधेयक पर चर्चा चल रही थी तो संसदीय कार्यमंत्री कुछ कह रहे थे और उत्तरांचल के एक सांस्कृतिक मंत्री दूसरी बात कह रहे थे । इसी तरह से दूसरे एक मंत्री दूसरी बात कह रहे थे । विधान सभा के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है उसका भी आज पूरी तरह से हनन हो रहा है किसी विषय पर सारे मंत्री किसी तरह से एक मत नहीं है । [xxxx] सरकार पूरी तरह से

नोट :– [xxxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ऋणग्रस्तता में फंस गई हैं। इस प्रदेश में जनता की हालत बद से बदतर होती जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री बाबूराम यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने यह धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया वह ही उपस्थित नहीं है। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी पधार चुके हैं लेकिन सरकारी पक्ष में 18-19 सदस्य ही बैठे हैं बाकी सब गायब हैं। धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा का मतलब क्या है ? ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं और बाकी अधिकांश अनुपस्थित हैं। ऐसा लगता है कि यह सरकार पूरी तरह से संज्ञा शून्य हो गयी है। माननीय श्री सरजीत सिंह डंग ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया आज वह अनुपस्थित हैं। उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करके अपने पद की गरिमा गिराई है, इसलिये गिराई है कि महामहिम का अभिभाषण है, पहला बिन्दु है "श्रेष्ठ अभिशासन की ओर अग्रसर राज्य"। श्रेष्ठ अभिशासन का मतलब है उत्तम कानून व्यवस्था।

हम आपके माध्यम से नेता सदन से यह पूछना चाहते हैं कि आपके प्रदेश में उत्तम कानून व्यवस्था है ? अगर है तो दिन प्रति दिन अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। अपराधों में वृद्धि क्यों हो रही है और अपराधियों को संरक्षण क्यों मिल रहा है ? यह बड़ी हास-परिहास की बात है। पूरे प्रदेश की बात छोड़ दें केवल मैनपुरी जिले की बात करते हैं। जितने बड़े अपराधी हैं उनको सरकार की तरफ से सुरक्षा दी गयी है। एक सज्जन पर 62 मुकदमें हैं उनको सुरक्षा दी गयी है, गनर दिया गया है और उनके बेटे को गनर दिया गया है। दूसरे इन्हीं के साथी पर 15 मुकदमें हैं उनको भी गनर दिया गया है। ऐसे मैनपुरी में तमाम लोग हैं जो हत्या, डकैती के अभियुक्त हैं। सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की गयी है। यह कैसी विडम्बना है। मैं कहना चाहता हूं कि जो अपराधों में वृद्धि हो रही है और हम यह कहें कि माननीय नेता सदन का माननीय मुख्य मंत्री जी का जब से पदार्पण हुआ है तब से अपराध बढ़े हैं। जब अपराध बढ़े हैं तो आधे से अधिक की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की जाती। डकैती की, लूट की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। आदमी लुटता है और लुटने के बाद थाने जाता है थाने से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है ! कैसी यह सरकार है, कैसी यह कानून व्यवस्था है। अगर यही स्थिति रही तो इस देश में गुण्डा राज्य हो जायेगा। लोग तो अभी कहते हैं कि गुण्डा राज है लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि अभी नहीं तो इस सरकार के रहते निश्चित रूप से गुण्डा राज हो जायेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी पहली बार मुख्य मंत्री हुए हैं और आगे भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं कहते लेकिन यह निश्चित है कि अगर आप इस प्रदेश में कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, अंकुश नहीं लगाते हैं, कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करते तो इस पद पर इस उम्र में आप का बैठना समीचीन नहीं है। मुझे अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत ही अनुभव इकट्ठा किये हुए हैं, बहुत समय से राजनीति में हैं और आज प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है लेकिन वह जाने किन कारणों से, किसके दबाव में गुण्डों को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। मुझे तो कहना है कि चाहे कितने बड़े अपराधी हों आप अपराधों को समाप्त करने के लिये कदम उठायेंगे तो आपका इस कुर्सी पर बैठना उचित है वरन् समझ में नहीं आता प्रदेश की जनता आपके बारे में क्या सोचेगी। लोग कहते हैं कि जो धीर पुरुष होते हैं, जो नीतिवान पुरुष होते हैं, वह निन्दा और स्तुति में नहीं वह न्याय देने में विश्वास करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि उन्होंने कहा कि निन्दन्तु नीतिनिपुणः पन्डिताः स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशनु गच्छति वा यथेष्ठम् अद्यैवयरणवस्तु युगान्तरेषा नैपात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः, चाहे लोग आपकी आलोचना करें, चाहे आपको हटाने की बात कहें। चाहे आप पर दबाव डालें आप नीतिवान निर्णय लीजियेगा यह आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और इसको सुधारने का दायित्व केवल मुख्य मंत्री जी का है।

माननीय मुख्य मंत्री जी इतने दबाव में हैं कि उन्हें सुधारने का कोई तरीका नजर नहीं आता है। दूसरा बिन्दु इस अभिभाषण में प्रशासन तंत्र को संवेदनशील बताया गया है। प्रशासन तंत्र बहुत ही संवेदनशील है। किस बात में सम्वेदनशील है ? सामान्य जनता की कोई सुनवाई नहीं है। अदालतों में भारी भीड़ लगी है, कार्यालयों में भारी भीड़ लगी है और मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है मान्यवर, मैं कोई आरोप नहीं लगाता लेकिन अपनी जानकारी की बात कहता हूं। जब से माननीय मुख्य मंत्री जी इस कुर्सी पर बैठे हैं, हर चीज में रिश्वत सुनिश्चित कर दी गयी है। दूसरी जगह की बात छोड़ें... (व्यवधान) मान्यवर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं चर्चा कर रहा हूं जो प्रदेश में आज कल जनता की जबान पर है। पिछले समय हथियारों के लाइसेंस का नवीनीकरण हुआ। कभी नहीं सुना था इस बार सुना है कि 500 रुपये नवीनीकरण के लिये रिश्वत देनी पड़ रही है। रजिस्ट्रेशन के लिये रिश्वत घोषित कर दी है। हर चीज के लिये रिश्वत घोषित कर दी गयी है। जो रिश्वत नहीं देता है उसके काम के लिये टाल मटोल की जाती है। चकबन्दी का विभाग देख लीजिये। वहां कर्मचारी नहीं हैं। सैकड़ों, हजारों लोग चकबन्दी कार्यालय में जाते हैं। किसान पूरे दिन बैठा रहता है। तारीख पर भी किसान रुपये दे देता है। उस दिन उसका मामला सुनवाई में आ जाता है तो मान्यवर, यह कहां का न्याय है ? यह प्रदेश कृषि प्रधान देश है लेकिन सबसे ज्यादा संकट किसानों पर है, सरकार इस दिशा में संवेदनशील नहीं है। इसमें कहा गया है कि सरकार इतनी संवेदनशील है कि माननीय मुख्य मंत्री कुछ समय जनता से मिलने के लिये निकालते हैं, निकालते होंगे हमें पता नहीं है मुझे जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के विधान मण्डल दल के जो सदस्य हैं वह कहते हैं कि हम मुख्य मंत्री से नहीं मिल पाते हैं, तो मान्यवर, जनता का क्या होगा। यह सारी चीजें हैं जिससे प्रशासन की संवेदनशीलता का ज्ञान होता है। अगली बात कही गई कि प्रदेश में विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ है। 14 जनवरी, 2000 को विद्युत परिषद् का विखंडीकरण हो गया और तीन निगम बनाये गये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, राज्य विद्युत उत्पादन निगम और जल विद्युत निगम बनाया गया। इतना दबाव इंजीनियर्स का और माफिया का है कि 14 जनवरी से यह लागू नहीं हो पाया।

बिजली की हालत खराब है हमारे यहां सैकड़ों बीघा जमीन सूख गई। गेहूं सूख गया बिजली नहीं दी गई। अब फसल कटेगी, थ्रेसिंग होगी लेकिन कई-कई दिन तक बिजली नहीं आती है किसान परेशान है,अगर किसान बरबाद होगा तो किसान के साथ सारा प्रदेश बरबाद होगा। मान्यवर, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की बात कही गयी है राज्यपाल के अभिभाषण में। हंसी आती है, तरस आता है। यह अभिभाषण किसने लिखा लिखने वाले लोग अपनी बुद्धि पर तरस खाएं। भ्रष्टाचार आजादी के इतिहास में इस समय अपनी चरम सीमा पर है इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना अब है। सारी वितरण प्रणाली ध्वस्त है गेहूं का एक दाना नहीं मिल रहा है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। बाल विकास परियोजना में बच्चों के लिये कुछ खाने पीने के लिये आता है, महिला पुष्टाहार आता है। पिछले साल बिक्री का सामान पकड़ा गया। कुछ कुएं में डाल दिया गया, पूरा का पूरा सामान पकड़ा गया। पुष्टाहार कहीं नहीं मिला।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री बाबूराम यादव–

बुनियाद हुसैन जी ने टिप्पणी की, कि अगर आप बैठे रहे तो यह सदन 12 दिन में निपट जाएगा। वितरण प्रणाली भ्रष्ट है। दफ्तर में रिश्वत सुनिश्चित है कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। पता नहीं भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं या भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं। प्रदेश के विकास की बात जो इस अभिभाषण में कही गयी है, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, सीधा-साधा सवाल है 1999–2000 में, 11 हजार 400 करोड़ की योजना थी जो इस वर्ष सिमटकर आधी रह गयी है। इस वर्ष 7 हजार करोड़ है जो किसी भी कीमत में ज्यादा नहीं है तो विकास की बात आप कैसे कर रहे हैं। यह तो विनाश हो रहा है। सारे विकास कार्य बन्द हो चुके हैं। सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं कोई भी व्यक्ति या सवारी सुरक्षित नहीं रह गयी है। पेयजल की समस्या गम्भीर है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली नष्ट हो गयी है और फिर कैसे विकास होगा। किसी को इसकी चिन्ता भी नहीं है। आपने इसमें यह भी कहा है कि बेरोजगारों को रोजगार दिलायेंगे तो यह कैसा माखौल है। प्रदेश में 8 लाख 32 हजार कर्मचारी हैं और उनमें से 25 प्रतिशत प्रति वर्ष सेवा निवृत्त होते हैं तो इस तरह से 25 हजार कर्मचारी सेवा निवृत्त हो रहे हैं तो इस तरह से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए लेकिन आपने तो नौकरियों में प्रतिबन्ध लगा दिया है। कैसे आप रोजगार देंगे।

डेलीवेजेज पर आदमी को नहीं रखा जाता है यह शासनादेश जारी है तो रोजगार कहां से मिलेगा ? जो पढ़े लिखे लोगों की फौज तैयार होती जा रही है उसका क्या होगा ? जहां तक कृषि की बात है आपने यह कहा कि हम कृषि का विकास करेंगे। यह प्रदेश पूरी तरह से खेती पर आधारित है और इसमें कितनी दिक्कत है। उर्वरकों के दाम बढ़े हैं, बिजली के दाम बढ़े हैं, सिंचाई की दरें बढ़ी हैं लेकिन किसानों की राहत के लिये एक लाइन भी इसमें नहीं कही गयी है। किसानों के शोषण की बात है लेकिन उसके विकास की बात नहीं है। अभी हमारे साथियों ने राम औतार शाक्य जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने पूछा था लेकिन कोई उत्तर नहीं था। किसी तरह से समय काटने की बात थी। इसमें कैसे विकास करेंगे इसका दिशा निर्देश निर्धारित नहीं है। सिंचाई की दरें बढ़ी हैं लेकिन सिंचाई सुविधा के लिए कुछ नहीं कहा गया है। किसानों का शोषण तो हो रहा है लेकिन सुविधा के लिये एक चीज भी नहीं है। इसी तरह से गन्ना किसानों का 751 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है लेकिन इसको दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

श्री हुकुम सिंह जी ने कहा था कि पिछली सरकारों से ज्यादा दाम बढ़ाये हैं। पिछली सरकारों का आप उदाहरण दे रहे हैं, आप अपनी बात क्यों नहीं करते। अरे हमने गलत किया तभी तो हम यहां पर हैं आप इसको ठीक करिये। यह मुख्य मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही नहीं हैं यह हमारे भी मुख्य मंत्री हैं। और हम भी उनका उतना ही मान सम्मान करते हैं जितना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग करते हैं। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए। हम विपक्ष में बैठे हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि वह न सुनें। गन्ना किसानों का बकाया रुपया मिलना चाहिए, सिंचाई सुविधा बढ़नी चाहिए, ट्यूबवेल को बिजली मिलनी चाहिए। औद्योगिक विकास की बात इसमें है इस सरकार के रहते कोई नया उद्योग नहीं लगा है बल्कि उद्योग धंधे बन्द हो रहे हैं। कोई उद्योगपति यहां उद्योग लगाना नहीं चाहता है। क्योंकि सरकार पर अविश्वास है न जनता का है, न कर्मचारियों का है, न अन्य लोगों का है। सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। आपने बजट में कहा कि कोई नया कर नहीं लगायेंगे। आपने बसों का भाड़ा बढ़ा दिया, सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। सरकार बताये कि कितने उद्योग इस वर्ष में सरकार लगवायेगी और किससे लगवायेगी।

शिक्षा की बात कही गयी। हमारी सरकार ने कक्षा 6 से कक्षा 12 के बच्चों की शिक्षा निशुल्क की थी, गरीब बच्चों की शिक्षा निःशुल्क की थी। आज इण्टर की फीस 30 रुपये और हाईस्कूल की

फीस 25 रु० हो गयी है । माध्यमिक शिक्षा में 50 हजार अध्यापकों के पद रिक्त हैं, पदों पर नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है । जिस दिन आपने फीस बढ़ाने की घोषणा की थी उसी दिन से आप कहते कि नये पद सृजित करके खाली पदों को भरकर शिक्षा का विकास करेंगे । स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर देहात में कुछ नहीं है जो कुछ है शहरों में है । ग्रामीण अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्तियां हैं दवायें नहीं हैं चारों तरफ चर्चा है कि जब सी० एम० ओ० या बड़े-बड़े डाक्टरों की नियुक्तियां होती हैं तो वह 5 से 10 लाख रु० लेकर होती है जिलों में होती है मैं आरोप नहीं लगाता यह चर्चा की बात कर रहा हूं । इसी तरह की चर्चा कलेक्टर पुलिस अधीक्षक की जिलों में नियुक्तियों को लेकर होती है । ऐसी नियुक्तियां होती हैं कि नहीं यह माननीय मुख्य मंत्री जी बता देंगे । मान्यवर, ये हमारे बगल के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारे यहां 12 लाख में नियुक्ति हुई है । मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि ऐसी कोई छाप छोड़ जाइये, कोई पद, कोई आदमी, कोई व्यक्ति अमर नहीं है तो कोई ऐसी छाप छोड़ जाइये कि लोग राम प्रकाश गुप्त का नाम आदर के साथ बाद तक लेते रहें । रमापति शास्त्री जी आप भी गांव के हो, शुरू में लोग आपको खूब पसन्द करते थे । अब गांव के लोगों में आपको बदबू आने लगी है । आप जनहित की तरफ थोड़ा घूम जाइये तो लोग आपको याद रखेंगे । इसी के साथ प्रस्तुत संशोधन पर बल देता हूं और राज्यपाल के इस रद्दी की टोकरी में डालने वाले अभिभाषण का विरोध करता हूं ।

* श्री पूर्णमासी पकंज–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय डंग जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिये मुझे जो अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, हमारी सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिये कटिबद्ध है, गरीबों, मजदूरों, दलितों, किसानों और छात्रों के हितों की चिन्ता करने वाली हमारी सरकार भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं हर उदास चेहरे पर खुशियां लाने के लिये प्रयासरत है, सचेष्ट है एवं कृतसंकल्प है । अभी हमारे विपक्ष के भाई हमारी सरकार के बारे में ऊल-जुलूल बातें कह रहे थे । इस सम्बन्ध में मैं अपने विपक्ष के भाइयों से कहना चाहता हूं :––

हमारे अच्छे कामों को जानकर झुठलाते हैं
पहले जो कर चुके स्वयं आज वह बताते हैं ।
मेरे विपक्ष भाई, मुझको है सिर्फ कहना,
चोरों को सारे लोग चोर नजर आते हैं ।
झूठ बोलने में तो लगते एकदम आला हैं,
तन तो है सुन्दर मगर मन एकदम काला है ।
अच्छा करना, अच्छा सुनना और अच्छा देखना,
भाता नहीं इनको इसी से बोलते आला वाला है ।

(इस समय 5 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा पीठासीन हुए ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि--

अपने प्रदेश का नित हो रहा विकास है,
उदास मुख पर हास लाने का प्रयास है ।
भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए,
कृत संकल्प हैं, प्रयासरत श्री राम प्रकाश हैं ।

यह देश हमारा तो गांवों का देश है,
गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का देश है ।
गांवो का हो सुधार और विकास के लिए,
सरकार प्रयासरत और चिंतित विशेष है ।

मान्यवर, इसीलिए हमारी सरकार पूरे बजट का 70 प्रतिशत धन गांवों के विकास पर खर्च कर रही है । हमारा देश, हमारा प्रदेश तभी विकास करेगा जब हमारे गांवों का समग्र विकास हो । गांवों के विकास के लिए हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये मेरी सरकार में इस वर्ष 3300 ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ा गया । 1000 कि०मी० नहर की पटरी को पक्का किया गया, 200 करोड़ की प्रतिवर्ष मार्गों के अनुरक्षण हेतु सड़क निधि की स्थापना किया गया, 82 बड़े पुलों का निर्माण विभिन्न नदियों पर कराये गये हैं, 25 कि०मी० एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण नोएडा और ग्रेटर नोएडा के माध्यम से कराया जा रहा है । इसी तरह मान्यवर,

हर गांव, पक्के मार्ग से है जोड़ा जा रहा,
नहरों की पटरियों को नहीं छोड़ा जा रहा ।
रेल ओवर ब्रिज, सड़क, नदियों पर बने पुल,
निजी क्षेत्र के लोगों को भी, है मोड़ा जा रहा ।

मान्यवर, मेरे जनपद में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 3 बड़े पुल और जनपद मुख्यालय से बाबतपुर हवाई अड्डे को जोड़ने के लिये चौड़े मार्ग के लिये 6 करोड़ रुपये दिये हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बार-बार बधाई देता हूं साथ ही निवेदन भी करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभिया पुल का निर्माण कार्य रुका हुआ है, इसे शीघ्र पूर्ण कराने की कृपा करें ।

मान्यवर, शिक्षा के लिये कहा गया है कि "माता, शत्रु, पिता, बैरी येन बालो न पाठित : क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन लगता है अधूरा,

कोई भी मिशन कभी भी होता नहीं पूरा
विद्या विहीनः पशुः किसी काम का नहीं,
रहती बहार फिर भी चमन लगता [illegible] ॥

मान्यवर, शिक्षा के संबंध में यह भी कहा गया है कि–

न चौर हार्य न च राज्ञ हार्य,
न भातृ भाज्यं न च भार कारि ।
व्यये कृते वर्धत एव नित्यं,
विद्या दानम् सर्व धनम् प्रधानम्

तथा

विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन्,
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते ।।

मान्यवर, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार अब तक की सभी सरकारों से ज्यादा शिक्षा के बजट को बढ़ाकर 2000-2001 में 6300 करोड़ रुपये कर दिया है जो कुल राजस्व का 19.5 प्रतिशत है तथा विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 77 जनपदों में सभी के लिये शिक्षा परियोजना चलाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही हर ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं। हर 1.5 किमी० दूरी पर प्रत्येक न्याय पंचायत में जूनियर हाईस्कूल तथा ऐसे गांव के पुरवे या मजरे जहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं तथा 30 छोटे बच्चे पढ़ने के लिये उपलब्ध हैं, वहां पर शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत पंचायतों के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।

भारत सरकार द्वारा संचालित "आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना" के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में भवन, न्यूनतम 2 अध्यापक एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की गयी है। अब तक 70.438 प्राथमिक व 18.148 उच्च प्राथमिक विद्यालय इस योजना के तहत आच्छादित किये गये हैं। हर असेवित विकास खंड में बालिकाओं की शिक्षा के लिये एक कन्या विद्यालय हेतु 20 लाख रुपया तथा सेवित विकास खंडों में दूसरी न्याय पंचायत में अन्य कन्या इंटर कालेज खोलने हेतु सरकार 20 लाख रुपया निजी प्रबंध तंत्र को प्रदान कर रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना कर रही है तथा निजी क्षेत्र में भी स्थापित करने के लिये निजी प्रबंध तंत्र को दो करोड़ रुपये प्रदान कर रही है।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा राजकीय महाविद्यालय भदोही की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा 50 लाख की स्वीकृति भी दे दी गयी है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं तथा साथ ही निवेदन भी करता हूं कि वह 50 लाख की धनराशि शीघ्र अवमुक्त कर दें जिससे भवन निर्माण शीघ्र प्रारम्भ हो जाय। मेरे विधान सभा क्षेत्र के असेवित विकास खण्ड सुरियांवा में प्रस्तावित भारत माता कन्या इंटर कालेज को भी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। एक निवेदन और माननीय मुख्य मंत्री जी से करना है कि प्रदेश के असहायिक जूनियर हाई स्कूलों को भी इस वर्ष कम से कम 250 विद्यालयों की अनुदान सूची में शामिल करने की कृपा करें। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे यहां निजी प्रबंध तंत्र वाले घनश्याम दुबे डिग्री कालेज में विज्ञान वर्ग की मान्यता न होने के कारण पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, अतः वहां विज्ञान वर्ग की मान्यता प्रदान की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय डंग जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन व भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये इन अन्तिम लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं –

गुप्ता जी प्रदेश के लिये वरदान बनेगें,
आपस में मिल कर दूर सब व्यवधान करेगें,
उत्तर प्रदेश कैसे अब उद्योग प्रदेश हो,
इसके लिये हर तरह का विधान करेंगे ।।

धन्यवाद।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन जो उन्होने रखे हैं उससे अपने आप को जोड़ता हूं। मान्यवर, जो भी अभिभाषण राज्यपाल का होता है, वह सरकार की कैबिनेट, मान्यवर, पास

करती है और उसके बाद महामहिम उसे पढ़ते हैं । यह अजीब सी बात है कि पिछला अभिभाषण जो माननीय महामहिम ने पढ़ा, यह तो हुआ है कि उस अभिभाषण में कही हुई बातें पूरी नहीं हुई हों लेकिन यह कम होता है कि अभिभाषण में बहुत सी चीजें जो घोषित कर दी, जो सदन ने सुना उसकी पूरी प्रक्रिया ही चेन्ज हो गयी और वह पूरा का पूरा प्रकरण बदल गया । जो कार्यक्रम लाये गये उसे अगले मुख्य मंत्री ने हटा दिया । पिछले अभिभाषण में यह अनेक बार हुआ जिसके ऊपर यह चर्चा है । अब इसमें जितनी नीतियां आयीं हैं, जो सरकार ने कहलाया है वह पूरा होगा या 6 महीने बाद वह पूरी पालिसी ही बदल जायेगी , वह नीतियां बदल जायेंगी और कुछ नीतियां आ जायेंगी । इसके बारे में और कुछ कहना मुश्किल है ।

मान्यवर, जब अभिभाषण की शुरूआत होती है कानून व्यवस्था से और इसमें कहा गया है कि सरकार चाहती है और सरकार ने यह निश्चय किया है कि कानून व्यवस्था सुधारी जायेगी । यहां बिल्कुल राम राज्य होगा, खुले दरवाजे लोग सोयेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी । मगर मान्यवर, जब आप आंकड़े देखते हैं, 2-3 महीने के आंकड़े जो हैं उन्हीं को आप देखें, जो पिछले आंकड़े थे उससे तकरीबन 20-22 फीसदी अत्याचार बढ़ चुका है और अभी पूरा साल बाकी है । लूट, हत्या, मारपीट, दंगे जो रुक गये थे, तो कानून व्यवस्था कौन सरकार में आयेगी ? मैं नहीं जानता कि यह कैसे कहा गया ? मैं सोचता था कि गलतियां हो जाया करती हैं और सरकार न चाहते हुए भी कोई बिल ले आती है । (व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, यहां अब 13 लोग हैं, यह सोचने की बात है । कैबिनेट शायद कोई हो ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री कौकब हमीद–

मैं सोचता था कि जो धर्म स्थल भवन विधेयक लाये हैं इसके बारे में कुछ चर्चा होगी और यह माफी मागेंगे । इस प्रदेश की जनता से, सदन से और इन्होंने ऐसा काला कानून बनाकर यहां जो आपस में प्यार-मोहब्बत थी उसे खराब करने का काम किया है । ये आतंकवादी खुद बने हैं ये दूसरे लोगों को मुसलमानों को आतंकवादी कह कर कोई अच्छा काम नहीं किया है । मान्यवर, 17 करोड़ की जनता जिसमें से चार, साढ़े चार करोड़ यहां अल्पसंख्यक रहता हो, आपने उसे आई०एस०आई० का एजेन्ट बनाकर इतना घिनौना काम किया है, मैं समझता था कि शायद राज्यपाल जिन्होंने सबके बावजूद शायद उनका दिल नहीं माना, उसमें कुछ प्वाइंट हैं, कुछ ऐसी बातें थीं, उनका दिल नहीं माना इसलिए उन्होंने सेन्टर को भेज दिया । यह सरकार चल कैसे रही है यह समझ में नहीं आता है । इस सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन बनाया यानी सरकार ने स्वीकार किया है कि इस सरकार में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार है और यह उसका निवारण करना चाहते हैं । आपने एक सेल बनायी है कि पब्लिक सर्वेन्ट बीडीओ जो 500 लेता है, सीडीओ जो 2 लाख लेता है उसको पकड़ने के लिये एक संगठन आप बनायें कि आपका मंत्री कितना लेता है, आपके जो बड़े अधिकारी हैं वह कितना ले रहे हैं । आईएएस अफसर जो हैं वह पकड़े गये बिजली की चोरी करते हुये उनके खिलाफ आपने क्या किया यह आप बता दें तो कुछ मालुम हो जायेगा लेकिन आपने कोई इसका जिक्र नहीं किया । लखनऊ, हजरतगंज में और दिल्ली के आस-पास भी बड़े-बड़े बोर्ड लगे हैं जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश उद्योग प्रदेश बनेगा । मैं दावा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी जब कल जवाब दें तो नाम बता दें कि एक भी नया उद्योग जो प्रदेश में आया हो और लगा हो ।

आज उद्योग बंद हो रहे हैं । आप नोयडा की बात करते हैं, ग्रेटर नोयडा की बात करते हैं कि वहां पर उद्योग लग रहे हैं । ईमानदारी की बात तो यह है कि नोयडा के अंदर दिल्ली वालों को जिनको

मकान नहीं मिल पाते हैं, नोयडा दिल्ली वालों की रिहायशगाह बन गया है वहां उद्योग बंद हो गये हैं। आपने एक घोषणा की कि 25 कि०मीटर का एक एक्सप्रेस हाई वे बनेगा नोयडा और ग्रेटर नोयडा के बीच में। जो गांव की सड़के और खंड़जे टूट गये हैं उनके लिये पैसा देने की बात करते तो ठीक होता। यह जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है एक किलोमीटर पर एक करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। इतना पैसा अगर बांट देते विधायकों को कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कें बनवाते तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता, फायदा होता। आप ट्रोनिका सिटी की बात करते हैं जहां आप उद्योग लगायेंगे। यह दिल्ली में लोनी के पास है और दिल्ली से 15-18 कि०मीटर पर है। मैं मुख्य मंत्री जी को दावत देता हूं कि वह चलें और पूरे मंत्रिमंडल को ले जायं अगर वहां पर एक छोटा सा कुटीर उद्योग भी लगा हो। वहां पर 200 एकड़ या ढाई सौ एकड़ जमीन ली गयी है। वहां पर एक भी उद्योग नहीं लगा है तो वह उद्योग नग़र कैसे बनेगा। पिछले साल के अभिभाषण में कहा गया था कि एक डायरेक्ट्रेट बनेगा एनआरआई लोगों के लिये जो लोग हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं उनसे पूंजी निवेश लाया जायगा। वह डायरेक्ट्रेट तो बन गया है। अगर एक डालर भी उस डायरेक्ट्रेट ने लाकर लगवाया हो तो बता दें। मुझे पता तो चले कि यह उद्योग नगरी बनेगा कैसे ? कौन सा तरीका है। आप वेस्टर्न यू०पी० की बात न करें उसके साथ तो आपका झगड़ा है आप यहां के बारे में बता दें। कानपुर में आपने कुछ कर दिया होता। कपड़े की मिलें, टेनरी सब बन्द होती जा रही हैं, उन्हें खोलने के लिए आपने क्या किया ? आपकी दो फाइनेन्सियल इंस्टीट्यूशन हैं, पिकप और यू० पी० फाइनेंस कारपोरेशन दोनों घाटे में हैं। जो आपको फैक्ट्री लगाने के लिए धन देते हैं वही घाटे में हैं। मान्यवर, मुझे बतायें कि यह उद्योग लगायेंगे कैसे ? यहां पर 70 फीसदी जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और किसान है। हर भाषण में सरकार ने यह कहा है कि यह किसानों का प्रदेश है, किसानों के बारे में सोचा जायेगा। बड़ी अजीब बात है, मैं सोच रहा था कि इस अभिभाषण के बारे में कि सरकार ने कुछ कहा हो।

सबसे मंहगा डीजल अगर कहीं है तो वह आपके यहां हैं। कहीं इस तरह का टैक्स नहीं है लेकिन यहां पर 20% टैक्स है। हरियाणा, पंजाब से भी यहां मंहगा डीजल है। आप का किसान प्रदेश है, आप किसानों की बात करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक इलाका है जहां से पूर्वी यमुना नहर निकलती है। मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है कि यमुना में पानी न होने के कारण उस पूर्वी यमुना नहर में पानी नहीं आता। इस कारण बहुत आन्दोलन हुये। एरीगेशन डिपार्टमेंट ने अब यह लिखकर भेजा है कि हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। लगान की वसूली के लिए अमीन पहुंच जाते हैं, उनको बन्द करते हैं, उनको परेशान किया जा रहा है जबकि पानी पहुंचता नहीं है। आप ताजीवाला डैम बनाओगे नहीं, हरियाणा, दिल्ली से आप अपनी व्यवस्था ठीक कर नहीं पाओगे और जो शेयर आपका है वह ले नहीं पाओगे। आपने इसका भी जिक्र नहीं किया।

मान्यवर, गन्ने के ऊपर बड़ी जिम्मेदीरी से मंत्री जी ने सीना तानकर सुबह कहा था कि यह वह सरकार है जिसने पूरा पेमेन्ट करा दिया। 980 करोड़ रुपया बाकी है आज की डेट में, कैसे आपने पूरा पेमेण्ट करा दिया ? मान्यवर, जिस प्रदेश के अन्दर बिजली नहीं होती, जहां बिजली की समस्या होती है वहां कुछ ठीक नहीं होता। महामहिम राज्यपाल जी से अभिभाषण में कहला दिया कि 2000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त बनायगें, क्या जादू से बनायेंगें, पत्थर से घिसकर बिजली पैदा हो जायेगी। कौन सी योजना है, कहां से पैसा लाओगे ? हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसा नहीं है कि बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं लोग आ रहे हैं और पूंजीनिवेश भी कर रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में लोग आ रहे हैं लेकिन आपके यहां कोई नहीं आया। आपने एम०ओ०यू० तो बहुत सारे साइन किये। आपने कम से कम 20 एम०ओ०यू० साइन किये। मान्यवर, एक एम०ओ०यू० हुआ है जिसके अन्तर्गत शायद एक प्रोजेक्ट लग जाय। इस तरह 20-25 एम०ओ०यू० हुये हैं जो 2-3 साल पुराने हैं लेकिन उनके अन्तर्गत अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा है। मैं समझता हूं इस साल तक आपको देनदारी लगभग 100-150 करोड़ रुपये हो जायेगी।

लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि बिजली जैसी जरूरी चीज के लिए आपकी तरफ से कोई श्वेत पत्र अथवा वक्तव्य जारी होना चाहिए जिससे पता चल सके कि कम से कम सरकार दो हजार मेगावाट बिजली कैसे देगी, कहां से लायेगी ?

मान्यवर, मैं समझता था कि इस अभिभाषण में आप जिक्र करेंगे कि जो विधायक निधि है वह 50 लाख रुपये से एक करोड़ अथवा डेढ़ करोड़ कर देंगे, लेकिन इसका जिक्र नहीं है जबकि भारत सरकार ने सांसदों की निधि तीन करोड़ रुपये कर दिया है ।

मान्यवर, जवाहर रोजगार योजना से तो मैं समझता हूं कि आपका कोई मतलब ही नहीं है । इसी तरह जिला योजना के सम्बन्ध में तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई है । आपने विधायकों को इस काबिल बना दिया है कि वे प्रधानों के सामने कटोरा लेकर खड़े हो जायं और उनसे कहें कि यह काम करा दें और यह सड़क बनवा दें ।

मान्यवर, फिल्म इंडस्ट्री नीति बना दिया है । कृषि नीति का जिक्र हो रहा है । कृषि नीति के अन्तर्गत बीमा योजना जिसे भारत सरकार लागू कर रही है और कृषि बीमा करा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है । उन्होंने यह वायदा पिछले बजट में किया था कि कृषि नीति हम जल्दी दे रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कृषि नीति आपकी कहां है ? महामहिम राज्यपाल के भाषण में उसका कोई जिक्र नहीं है । मान्यवर, यह सरकार अपने आपको कृषि प्रधान प्रदेश कह कर 70 प्रतिशत किसानों के बारे में सोंचने के लिए कहती है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कहना गलत है । मान्यवर, उत्तरांचल जो अब बनने जा रहा है जिसे आपने 1325 करोड़ रुपये विकास के लिए दिया है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने ऐसी कौन सी गलती किया है । उसे आपने इस पूरे अभिभाषण में जो आपका आइना होता है कहीं नहीं दिया है । एक नया पैसा नहीं दिया है । एक एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी की बात पता नहीं कहां से चली ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री कौकब हमीद–

एक जगह वहां पर रेवेन्यू बोर्ड का एक दफ्तर कमरे में जरूर खुला हुआ है । मैं यह चाहता था कि इस अभिभाषण में यह जिक्र होता कि हर गांव को डामर की सड़क से जोड़ दिया जायेगा । अभी किसी साथी ने कहा कि एक हजार कि०मी० नहर की पटरी बन गई है आप कहीं भी देखें मेरे ख्याल से कहीं वह पटरी नजर नहीं आयेगी । आपने पहले स्कूल मास्टरों को ग्राम पंचायतों से जोड़ दिया बाद में खत्म कर दिया । आर्थिक स्थिति के संबंध में एक व्हाइट पेपर जरूर आना चाहिए । दो हजार मेगावाट कहां से बिजली देंगे पैसा है नहीं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री नवाब सिंह नागर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मुझे अवसर दिया । अभी पिछले वर्ष जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें शहीदों के परिवारों और शहीदों के प्रति जो सम्मान और कर्त्तव्यनिष्ठता उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यक्त की वह इतिहास में मील का पत्थर सांवित होने जा रहा है । अब से पूर्व जब भी युद्ध हुआ सरकारों ने शहीदों के परिवारों की तरफ कभी ध्यान देना उचित नहीं समझा । केवल एक पत्र उनके परिवार तक पहुंचता था और उसके बाद उनको भूल जाते थे । पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक मंत्री को अंत्येष्टि के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समय ही भेजकर 10 लाख रुपये का चेक प्रदान किया और उनकी विधवाओं को या तो नौकरी में समायोजित किया या नौकरी के स्थान पर पांच हजार प्रतिमास पेंशन की व्यवस्था की। यही नहीं उनके मां-बाप के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन देने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के युवकों में राष्ट्रभक्ति की भावना ज्वार के रूप में जगी। युद्ध के समय युवकों में सेना में जाने के लिए उतावलापन था। यह महान कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज नवीन प्रौद्योगिकी का जमाना है आज केवल खेती से प्रदेश का विकास होना सम्भव नहीं है। आज हमें प्रौद्योगिकी जो नवीन प्रौद्योगिकी चल रही है उसको अपनाने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक विभाग का निर्माण किया है। यह एक अच्छा प्रयास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए साफ्ट वेयर औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। उसमें आगरा, नोयडा, देहरादून, वाराणसी, लखनऊ है। आगरा, देहरादून, वाराणसी, लखनऊ में साफ्ट वेयर टेक्नोलोजी पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में प्रदेश की सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मेरठ में 400 करोड़ रुपये की लागत से एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है जिसका नाम लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा जा रहा है। यह कार्य के लिये यह सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, अभी उद्योगों की बात चल रही थी, माननीय कौकब जी ने कहा था कि नोयडा और ग्रेटर नोयडा के बीच में एक हाईवे बनाया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का एक नया पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इसमें 25 प्रतिशत ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण और 75 प्रतिशत नोयडा खर्च कर रहा है। इससे दिल्ली और नोयडा के बीच की दूरी बहुत कम हो जायेगी यानी मात्र पांच मिनट में आप दिल्ली से नोयडा की दूरी तय कर सकते हैं। इसकी सूचना से विदेशी कम्पनियों के प्रस्ताव हमारे पास आये हैं जो लम्बित पड़े हैं। इसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे।

मैं सरकार को एक-दो सुझाव देना चाहूंगा। कुछ समय से अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है। यदि इस तरफ कानून व्यवस्था की तरफ यह सरकार ध्यान दे तो इसके अच्छे परिणाम सामनें आयेंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करती है, छोटे उद्योगपतियों को सम्मान की दृष्टि से देखें। छोटे-छोटे श्रमिकों की कम्पलेन्ट्स पर एक्सपार्टी करके उनका जो उत्पीड़न बढ़ रहा है, यदि इस तरफ सरकार ध्यान दे तो अच्छी उपलब्धि हासिल हो सकती है और एक छोटे-छोटे उद्योग अच्छी स्थिति में आ जायेंगे। प्रौद्योगिकी के मामले में आज भी हमारा प्रदेश कर्नाटक के बाद दूसरे नम्बर पर है और आशा है कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश नम्बर एक पर हो जायेगा। इसके साथ ही मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, दो दिन पहले जिला योजना के बारे में यहां नियम–311 में उठाया गया था तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि जिस दिन सदन का पहला उपवेशन होगा, दो दिन के लिये चूंकि बन्द था, तो पहले दिन सदन उठने से पहंले सदन में संशोधित वक्तव्य दे देंगे। मान्यवर, सदन उठने वाला है लेकिन अभी तक कोई संशोधित वक्तव्य नहीं दिया है।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने संशोधन वक्तव्य की बात नहीं कही थी। वक्तव्य की बात कही थी। कल आ जायेगा। तैयार हो गया है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को हमने पढ़ा.....

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं। चर्चा जारी रहेगी।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

थोड़ी देर तो कहने दें।

प्रदेश में चिकित्सकों पर लगे लाइसेन्स शुल्क के कारण डाक्टरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विधायकों की क्षेत्रीय/निजी समस्याओं के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

जारी रहेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय विधायकों की क्षेत्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ सूचनाएं हैं। पहली डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी की है यह वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई। दूसरी सूचना डा० वकार अहमद शाह की है, यह भी वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

डा० वकार अहमद शाह–

सुन तो लें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, कदाचित् यह सारा सदन इस बात से अवगत है कि कल दिनांक 5 अप्रैल को पूरे प्रदेश के चिकित्सकों और नर्सिंग होम के लोगों ने हड़ताल रखी थी। हड़ताल के कारण उन पर लगाई गई लाइसेंसिंग फीस है। जब चिकित्सक चिकित्सा परिषद् से लाइसेंस ले लेते हैं तो उन पर लाइसेंसिंग फीस लगाया जाना अनुचित है। मैं दो बातों की ओर उल्लेख करते हुए अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह लाइसेंसिंग फीस लगाना नगर निगम के 539 में नहीं आता है। हम नगर निगम अधिनियम के नियम–541 के अन्तर्गत कह सकते हैं उप विधि बनाने की, विधि 543 में दी है। 543 (क) का पालन नहीं हुआ। यह प्रकरण इस विधान सभा की प्रतिनिहत् विधायन समिति में आया तब आया जब 541. 543 का पालन नहीं हुआ है। इस प्रकार की उपविधि को लगाकर इस तरह की लाइसेंसिंग फीस नहीं लगाई जा सकती है। सचिव, नगर विकास ने जून 98 में सूचित किया कि नगर निगम की धारा 141 और 541. 543 का पालन किये बिना कोई विधि न बनाई जाय, न लागू की जाय। लेकिन फिर भी चिकित्सकों पर लाइसेंसिंग फीस लगाने का काम उसमें आता ही नहीं फिर भी यह उप-विधि लागू की जा रही है। चिकित्सकों ने इसके लिये हड़ताल की। अस्पतालों पर 2 हजार, 5 हजार, 5 हजार, 4 हजार, 1 हजार, 4 हजार सालाना फीस लगाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्हें नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया और जिन्होंने इस तरह के टैक्स नहीं दिया उनको अभियुक्त बनाया जा रहा है।

आपके समक्ष मैं एक कोर्ट के केस के बारे में बताना चाहता हूं। यह कार्यालय अपर मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेरठ। नगर निगम द्वारा उप नगर अधिकारी नगर निगम मेरठ अभियोगी डा० पी० के० जैन पंचशील गढ़ी रोड नौचन्दी है। इनको अभियुक्त बनाकर 550 के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा बनाया गया। टैक्स लगने के बाद यदि टैक्स जमा नहीं किया जायेगा तो उस पर उच्च न्यायालय में मुकदमा हो जायेगा। जबकि उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया है और मैं उसका आर्डर पढ़ रहा हूं उसमें लिखा है कि अन्टिल फरदर आर्डर रिसपान्डेन्ट्स आर रिसट्रेन्ड फ्राम रियलाइजिंग लाइसैन्स फी फ्राम दि नम्बर आफ पिटीशनर्स एसोशियेशन। 541, 543 (क) का पालन नहीं हो रहा है। न्यायालय का

स्थगन आदेश है फिर भी चिकित्सकों से लाइसेंसिंग फीस वसूलने की तैयारी हो रही है । जो लाइसेंसिंग फीस नहीं दे रहे हैं उन्हें अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जबकि यह 550 के तहत नहीं किया जा सकता है । मान्यवर, इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैं शासन से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इस परिस्थिति में नियम–51 का वक्तव्य आये तो शासन की तरफ से उत्तर आना चाहिए कि नगर निगम द्वारा इस तरह से लाइसेंसिंग शुल्क लगाने और अदालत द्वारा जारी हो रहे सम्मन में उनको अभियुक्त लिखा जाना क्या ठीक है । आपसे मांग करता हूं कि आप शासन को वक्तव्य के लिये कहें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको शासन से वक्तव्य के लिये स्वीकार करते हैं ।

डा० वक़ार अहमद शाह–

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । कल 5 अप्रैल को पूरे उत्तर प्रदेश में यू० पी० आई० एम० एफ० के आवाहन पर चिकित्सकों ने बन्द कर रखा था और बहराइच के चिकित्सालय, नर्सिंग होम और सारे डाक्टर्स की दुकानें बंन्द थीं । बड़ी गम्भीर बात है कि कोई भी आदमी जाये और नगर परिषद् और नगर पालिका से लाइसेंस ले ले चाहे वह डाक्टर हो या न हो । नगर पालिका उसको डाक्टर का लाइसेंस दे देती है जो क्वालिफाइड डाक्टर हैं, और 10 साल पढ़ने के बाद मेडिकल फैकल्टी से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वे रिक्शेवालों की तरह नगर पालिका से लाइसेंस लें। यह सरकार अधिवक्ताओं के साथ भी इस तरह की हरकत कर चुकी है और डाक्टरों के पेशे में भी यह वही कह रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देते हुए अनुरोध करूंगा कि जब सरकार का वक्तव्य आये तो इस तरह का जो कार्य चिकित्सकों के साथ हो रहा है उसको बन्द करें । मान्यवर, उनके पास डिग्री है वह दस साल की मेहनत के बाद पास करते हैं और उसके बाद वह नगर पालिकाओं–परिषदों से लाइसेंस लें । इसके अलावा मान्यवर, फीस का भार जो पड़ेगा वह डाक्टरों पर नहीं पड़ेगा, वह गरीब मरीजों पर पड़ेगा । यह सरकार गरीब किसान और छोटे तबके की विरोधी है, जो भार है वह अपरोक्ष रूप से गरीबों पर ही पड़ेगा । सरकार इस कानून को तत्काल खत्म करे ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको शासन को वक्तव्य के लिये भेजते हैं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 6 अप्रैल, 2000 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 7 अप्रैल से 12 मई, 2000 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखे जाने की सिफारिश की है :—

7 शुक्रवार 1—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार एवं पारण–(आधा घण्टा)

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं पारण–(आधा घण्टा)

3—श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

4—ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घण्टे की चर्चा ।

5—नियम–56 व नियम–311 की सूचनाएं नहीं ली जायें ।

अप्रैल, 2000

8 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
9 रविवार	
10 सोमवार	1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

2—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन० जी० ओ०) की कार्य-प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय ।"

3—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :—

"इस सदन का निश्चित मत है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रसद के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जायं ।"

11 मंगलवार	1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

2—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :—

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।"

3—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।"

4—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पं० दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 6 माह में प्रस्तुत करे ।"

12 बुधवार	(राम नवमी का अवकाश)	
13 गुरुवार		
14 शुक्रवार	(डा० भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस)	बैठक नहीं होगी ।
15 शनिवार		
16 रविवार		

अप्रैल, 2000

17 सोमवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

2—प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरख नाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।

18 मंगलवार
19 बुधवार

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाय ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा दी गयी है, से यह सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दी है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जनपद सीतापुर के समाजवादी पार्टी के विधायक श्री राधेश्याम जायसवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अयूब खां को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर विधायकों की क्षेत्रीय/निजी समस्याओं के अन्तर्गत् श्री श्याम लाल रावत की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

अगली विधायक समस्या सम्बन्धी सूचना श्री श्याम लाल रावत, श्री अम्बिका चौधरी, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री राम कुमार, डा० कौशल किशोर तथा श्री महेन्द्र कुमार सिंह जी की है ।

श्री श्याम लाल रावत–

अधिष्ठाता महोदय, मैंने नियम–311 में सूचना प्रस्तुत की है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है । इस पर मेरे, श्री राधेश्याम जी के तथा जिनका आपने नाम पुकारा है उनके हस्ताक्षर हैं । यह मामला 311 के अन्तर्गत है जिसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं । जनपद सीतापुर में जिला प्रशासन ने एक मुकदमा संख्या–579/2000 धारा–147/452/427/2/3 थाना कोतवाली सीतापुर में दर्ज किया है जिसमें राधेश्याम जायसवाल विधायक और अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, (सीतापुर) अयूब खां, उपाध्यक्ष सपा सीतापुर शफीक अहमद, मोनू सिंह और समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती गीता सिंह, श्री साबिर अली, मोहम्मद अकबर तथा 40–50 लोगों के नाम दर्ज किये गये हैं । यह प्रकरण केवल राधेश्याम जी का नहीं है, यह समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है मान्यवर, और यह मामला था कि 4 अप्रैल को समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन था । उस दिन जिला मुख्यालय सीतापुर में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी श्री राधेश्याम जायसवाल स्वयं शरीक थे । शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हुआ और जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से चला । जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट लगभग तीन बजे धरना स्थल पर आये और जो हमारी पार्टी का ज्ञापन था उसको लिया इस आश्वासन के साथ कि इसे वे राष्ट्रपति जी के पास प्रेषित कर देंगे । इसके बाद धरना समाप्त हो गया । उसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी का

भी धरना था और जिले के वकीलों का भी धरना और प्रदर्शन था। मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म स्थल विधेयक पास किया है उसके विरोध में धरना आयोजित था।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री श्याम लाल रावत–

मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि समाजवादी पार्टी द्वारा विरोध सभी स्तरों पर हुआ है और उसमें जनता के सभी वर्गों ने विरोध किया है। मान्यवर, इस बात से कुपित होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां के भाजपा के नेताओं ने जिला प्रशासन से साजिश करके यह मुकदमा रात में दर्ज किया गया। इसकी न तो राधेश्याम जी को जानकारी है और न किसी और को। अगर इस मामले में कोई घटना घटित हुई थी तो जिस समय जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट साहब धरना स्थल पर आये थे उसी समय गिरफ्तार करने की बात कहना चाहिए था। मान्यवर, हम लोगों का शान्तिपूर्ण कार्यक्रम था वह कार्यक्रम हम लोगों का समाप्त हो गया।• रात्रि में मुकदमा कायम किया गया श्री राधेश्याम जायसवाल जी के घर में पुलिस ने छापा डाला और उन्हें पकड़ कर पुलिस लाइन ले जाया गया। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे डाले गये। बुनियाद हुसैन जी के घर भी पुलिस गयी थी। पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने इस धर्म स्थल विधेयक का विरोध किया, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जो मुकदमा कायम किया गया उसे समाप्त किया जाये जिन लोगों की इसमें साजिशें हैं उसकी जांच करवाकर उन्हें दण्डित किया जाये।

* श्री राधेश्याम जायसवाल–

मान्यवर, 4 अप्रैल को पूरे प्रदेश में धर्मस्थल विधेयक के विरोध को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था सीतापुर में भी यह कार्यक्रम था शांतिपूर्वक ढंग से वह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ वह करने के बाद हमारी सभा हुई सभा में सिटी मजिस्ट्रेट आये और हमारा ज्ञापन लिया। उसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी और वकीलों का धरना हो रहा था सुबह चार बजे हमारे घर के चारों तरफ पी० ए० सी० थी सारे थानेदार लोग जमा थे हमने पूछा कि क्या मामला है बताया कि आपके खिलाफ वारंट है। मैं तुरन्त उनके साथ चला गया पुलिस लाइन लाया गया जनता इस बीच सड़कों पर उतर आयी मजबूरन मुझे 2 बजे छोड़ा गया। जो अन्य 40-45 लोग हैं, कार्यकर्ता हैं उनके घरों पर पुलिस छापा डाल रही है। इसके पीछे जिला प्रशासन का हाथ है जो हमारे सीतापुर में प्रतिद्वन्दी हैं हमारे और जिन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त है, इसमें उनका इशारा है। हमको बेइज्जत करने के लिये इस तरह की घटना घटी। अगर दोष था तो हमको जेल क्यों नहीं भेजा गया, जमानत क्यों नहीं ली गयी। मुकदमा वापस लें इसकी जांच करायें और दोषी जिलाधिकारी को दण्डित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, यह सीतापुर से सम्बन्धित है और मेरा नाम लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

यह सीतापुर से सम्बन्धित है लेकिन आपसे सम्बन्धित नहीं है। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। आप बैठें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, अगर ऐसा ही होता रहा तो आज उनको बन्द किया कल हमको भी बन्द करेंगे। मान्यवर, धारा–342 अनलाफुल कस्टडी में क्या जनप्रतिनिधि को बन्द करेंगे। 12 घंटे तक वहां पर रोकेंगे और बिना अपराध के छोड़ देंगे। मान्यवर, नये वर्ष की शुरुआत हुई है। यह मौनी बाबा मुख्य मंत्री जी अब अपनी चुप्पी तोड़ दें मैंने तो नरसिम्हा राव को सुना था। उनको माननीय मुख्य मंत्री के रूप में देख भी लिया है कि यह मौनी बाबा हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, इस तरह से नहीं चलेगा, विधायक इस तरह से बेइज्जत होंगे, इस तरह से लाठीचार्ज करायेंगे, उनको घर से गिरफ्तार करायेंगे, यह है कानून व्यवस्था।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, ऐसे नहीं चलेगा इस सदन के माननीय सदस्य का मामला है, इस पर सरकार का वक्तव्य आये।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं इसको हल्के ढंग से नहीं लेना चाहता क्योंकि यह माननीय विधायक का मामला है। मान्यवर, 4-4-2000 को आपका कार्यक्रम था, पार्टी का कार्यक्रम था, पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार धरने का, प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। उसके बाद 40-50 व्यक्ति जो कलेक्ट्रेट का मीटिंग हाल है, जबरदस्ती उसकी सिटखनी खोली, अन्दर घुस गये और वहां फर्नीचर तोड़ा, शीशा तोड़ा और जितनी भी सरकारी सम्पत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाया। मान्यवर, यह धरना प्रदर्शन राजनीतिक कार्यक्रम है, हरेक पार्टी का होता है लेकिन प्रदर्शन ऐसे हो गया, धरना प्रदर्शन में कुछ ऐसा नहीं करते कि जब तक सरकारी सम्पत्ति का नुकसान न हो जाय धरना पूरा नहीं होता। आप सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचायेंगे ? वह आपकी ही सम्पत्ति है किसी विदेशी की सम्पत्ति नहीं है। जब देश गुलाम था तो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग थे, वह कलेक्टर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते थे। वह इस बात का सिम्बल होता था कि हम तुमको कलेक्टर नहीं मान रहे हैं, तुम विदेशी हो। तो आजकल उस पर क्यों चला जा रहा है। इसलिये क्योंकि खबर नहीं बन पाई छपने लायक बात नहीं हो पाई इसलिये सरकारी सम्पत्ति को नष्ट किया, उस पर मुकदमा कायम हो गया। मान्यवर, माननीय विधायक जी कह रहे थे कि क्यों छोड़ दिया गया ? तो मान्यवर, आप विधायक हैं इसलिये जातीय मुचलके पर छोड़ दिया गया। यह कोई पहली बार की बात नहीं है, यह आपकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए आपको छोड़ दिया गया। इसलिये इस पर और कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जिस तरह से घटना का ब्योरा माननीय सदन के समक्ष रखा है, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, जो सूचना विधायक जी की है और जो विधायक की भूमिका वह बता रहे हैं, उसके संबंध में अपने सूचना तंत्र को फिर से जांचिये, खंगालिये। एक सदस्य आपबीती कह रहा है और उसकी जो विश्वसनीयता है वह एक दरोगा की नहीं हो सकती। अगर किसी दरोगा की रिपोर्ट पर किसी माननीय सदस्य की गरिमा की नापतौल की जायेगी [illegible] नहीं होगी। इस सरकार में बैठा प्रत्येक व्यक्ति भी इस सदन में निर्वाचित होकर

आया है और एक सदस्य होने के नाते यदि सरकार उसकी गरिमा की रक्षा नहीं कर पायेगी तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह कोई राधेश्याम जी के साथ घटित घटना का प्रश्न नहीं है, आपके साथ उससे भी ज्यादा बड़ी घटना होगी और रोज घटित हो रही है।

मैं तो यह चाहता हूं कि जो इस बात के लिये जिम्मेदार हैं, उनको आप कड़ी सजा दें। राफूल कंफाइन्मेंट के इस प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाय और जो इसके लिये जिम्मेदार हैं, उनको दण्डित करने का आप काम करें। मैं तो यह समझ रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री दोषी लोगों को निलम्बित करने की घोषणा इस सदन में करेंगे लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक दरोगा की रिपोर्ट को वैसे का वैसा पढ़ दिया। मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रकरण को दलीय परिभाषा में न देखते हुए, बल्कि माननीय सदस्य के साथ घटी घटना के रूप में देखते हुए, गम्भीरता से लेते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाय और जो दोषी लोग हैं, उनको सरकार दण्डित करने का काम करें।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मा० बुनियाद जी, आप बैठ जायें। अगली सूचना श्री कौशल किशोर की है, वह अनुपस्थित हैं।अब मैं नियम 51 की सूचनाएं ले रहा हूं।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, पहले मेरा एक निवेदन सुन लें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह जी बहुत विद्वान हैं और लम्बा राजनीतिक अनुभव भी है लेकिन कभी-कभी इतनी हल्की बात कह देते हैं, उन्होंने कहा कि राधेश्याम जी को इसलिये छोड़ दिया गया कि वह विधायक हैं। मान्यवर, यह कहीं भी नहीं लिखा है कि विधायक होने के बाद अगर वह कोई जुर्म करे तो उसे बिना जमानत के छोड़ दिया जाय। यह भी कहा कि विधायक की वजह से आपकी गरिमा का ख्याल करके छोड़ दिया। ऐसा कहीं कोई कानून नहीं बना है कि बिना जमानत के, बिना मुचलके के किसी को छोड़ दिया जाय। जबकि सच यह है कि मुकदमा असत्य था और जनता के दबाव में घबराकर पुलिस ने इनको छोड़ा। मैं आपके माध्यम से माननीय हुकुम सिंह जी से कहना चाहता हूं कि यह ऐसी चीजें हैं, जो इन्हें भारतीय जनता पार्टी के रूप में नहीं लेनी चाहिए। यह कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है इधर से उधर में कुछ नहीं हो जाता। मुकदमा जो लिखा गया है, वह असत्य है, इसलिये उसको वापस किया जाय और यह पूछा जाय कि ऐसा मुकदमा उन्होंने क्यों किया। मेरी यह अपेक्षा है और आशा भी यही है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री पुनः ध्यान परिवर्तित करके इस तरफ ध्यान देंगे।

श्री राधेश्याम जायसवाल–

मान्यवर, हम को छोड़ने के बाद भी और जो कार्यकर्ता हैं उनके घर पर दविशें पड़ रही हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो बातें आ गयीं क्योंकि माननीय बाबू राम जी की विद्वता पर कोई प्रश्न चिह्न लगा नहीं सकता और उन्होंने एक ऐसा मौलिक मुद्दा उठा दिया कि जब केस में हैं तो कैसे छोड़ दिया गया ? माननीय मुख्य मंत्री भी तो जाती मुचलके पर छोड़ दी गयी हैं। अभी राधेश्याम जायसवाल जी ने कुछ बातें कही हैं। जब माननीय विधायक का मामला है। हम इसकी जांच करायेंगे और कार्यवाही करेंगे।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं नियम–51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं लेता हूं। आज कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

निम्नलिखित सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :--

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी,
डा० वकार अहमद शाह एवं
श्री रामाधार सिंह
श्रीमती कृष्णा राज

सम्पूर्ण प्रदेश में चिकित्सकों पर लगे लाइसेंसिंग शुल्क के कारण डाक्टरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ में प्रंधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से नाम मंगाकर चयन किये जाने के सम्बंन्ध में ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव — लखनऊ महानगर में पालीथीन के दुष्प्रभाव से पशुओं की निरन्तर हो रही मृत्यु तथा जन-सामान्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :--

श्रीमती माया प्रसाद — जनपद लखीमपुर के थाना फूलबेहड़ की चौकी सुन्दरबल की पुलिस द्वारा एक दलित युवक को उत्पीड़ित किये जाने तथा कथित रूप से गायब कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

श्री रामकुमार 'एडवोकेट' — कानपुर–लखनऊ राजमार्ग पर स्थित पुराने गंगा पुल के जले हुए स्लीपरों को न बदले जाने से जनसामान्य के समक्ष उत्पन्न गम्भीर आवागमन की समस्या के सम्बन्ध में ।

श्री ददूदू प्रसाद — जनपद चित्रकूट के पठारी क्षेत्र के गांवों में पेयजल के गम्भीर संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद — जनपद बांदा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पैलानी के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं तथा निर्माण कार्य की टी० ए० सी० द्वारा जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :--

श्री राम औतार शाक्य — रेस्पो के मुख्य अभियन्ता के पत्रांक 3663, दिनांक 2 जुलाई, 1999 से प्रदेश में विधायकों द्वारा चयनित पांच-पांच ग्रामों में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

श्री हरपाल सिंह — जनपद बुलन्दशहर में लगभग बीस वर्षों से संचालित पहासू स्थित राजकीय कन्या विद्यालय को भवन निर्माण हेतु शीघ्र धनराशि का आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में ।

श्री कौकब हमीद — जनपद मेरठ में हाउसिंग सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अवैध रूप से मेरठ की पाश कालोनी स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमि को हड़पे जाने तथा विरोध करने वाले वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में ।

श्री राम नरेश यादव — गाजीपुर नगर में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्मारक समिति द्वारा निर्मित पुस्तकालय भवन को प्रशासन द्वारा ध्वस्त कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री हरदेव सिंह — लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण 39वां वृत्त के सहायक अभियन्ता द्वारा कथित रूप से की गयी सरकारी धन की लूट-खसोट एवं भ्रष्टाचार के संबंध में।

श्री बिन्दुलाल — जनपद बलरामपुर में गैसड़ी क्षेत्रान्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर की सीमा पर राप्ती नदी पर बांध बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री पूर्णमासी पंकज — उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन लाभ न दिये जाये से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई. 1–श्री विजय पाल सिंह, 2–डा० वकार अहमद शाह, 3–श्री रघुवर दयाल वर्मा, 4–श्री प्रमोद कुमार, 5–श्री मुरलीधर, 6–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, 7–श्री उमाकान्त यादव, 8–श्रीमती गौरी देवी, 9–श्री जगदीश नारायण, 10–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, 11–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, 12–श्री संजय गर्ग, 13–श्री जय प्रकाश, 14–डा० वकार अहमद शाह।

खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य-योजना बनाने, रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग विषयक दिनांक 15 जुलाई, 1999 के तारांकित प्रश्न संख्या–4 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 59 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा (जारी)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–28

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग के संबंध में चर्चा का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, वैसे तो दिनांक 15 जुलाई, 1999 को इस सम्बन्ध में मैंने तारांकित प्रश्न संख्या–4, नत्थी–ग के अन्तर्गत जो प्रश्न पूछा था.....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे तक के लिये।

(सदन् का उपवेशन 7 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 6 अप्रैल, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित ता० प्र० सं०–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1 पर)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की रूपरेखा

भारत सरकार द्वारा रबी 1999-2000 से पूरे प्रदेश में "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" नामक नई योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है । नई योजना के तहत अनिवारक जोखिमों, अर्थात् :–

1. प्राकृतिक आग तथा बिजली गिरना
2. तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरीकेन, टोरनाडो आदि
3. बाढ़, आप्लावन तथा भू-स्खलन
4. सूखा, शुष्क अवधि
5. कीट/रोग आदि के कारण होने वाली उपज सम्बन्धी क्षति कवर करने के लिये व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जावेगा ।

शुद्ध तथा परमाणु जोखिमों, दुर्भाग्यपूर्ण क्षति तथा अन्य निवारक जोखिमों से होने वाले नुकसान को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा ।

(2) नई योजना सभी किसानों (ऋणी एवं गैर ऋणी दोनों) के लिए उनकी जोत के आकार का ध्यान किये बिना उपलब्ध होगी । इस योजना में अनाजों, दलहनों तथा तिलहनों सहित उन सभी फसलों को कवर करने की व्यवस्था है जिन्हें मौजूदा वृहत् फसल बीमा योजना (सी०सी०आई०एस०) के तहत पहले ही कवर किया जा रहा है । इस योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में गन्ना, आलू, तथा कपास जैसी तीन नगदी फसलों को कवर किया जायेगा । अन्य सभी वार्षिक बागवानी तथा वाणिज्यिक फसलों को अगले तीन वर्षों में बीमा कवर के तहत रखा जायेगा जो पिछले पैदावार समबन्धी आंकड़ों की उपलब्धता केअधीन होगी । प्रीमियम की दरें बाजरा तथा तिलहनों के लिये 3.5 प्रतिशत एवं अन्य खरीफ फसलों के लिए 2.5 प्रतिशत, गेहूं के लिये 1.5 प्रतिशत तथा अन्य रबी फसलों के मामले में बीमांकित दरें निर्धारित समान प्रीमियम दर से कम हैं तो निम्न दर लागू होगी । वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमांकित दरें वसूल की जायेंगी । छोटे और सीमान्त किसानों के सम्बन्ध में प्रीमियम में 50 प्रतिशत राज सहायता स्वीकृत है जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जायेगी । प्रीमियम राजसहायता 5 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से समाप्त की जायेगी ।

(3) इस योजना के तहत बीमित राशि/कवरेज की सीमा, बीमित किसानों के विकल्प पर बीमित फसल की निर्धारित पैदावार की कीमत तक बढ़ाई जायेगी । हालांकि किसान वाणिज्यिक दरों पर प्रीमियम का भुगतान करके अधिसूचित क्षेत्र की औसत पैदावार के 150 प्रतिशत तक की सीमा तक निर्धारित उपज स्तर की कीमत से अधिक अपनी फसल का बीमा भी कर सकता है ।

(4) यह योजना व्यापक आपदाओं के लिये क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर तथा स्थानीय आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भू-स्खलन, चक्रवात तथा बाढ़ के लिये व्यक्तिगत मामले के आधार पर कार्य करेगी । स्थानिक आपदाओं के मामले में व्यक्तिगत आधार पर मूल्यांकन आरम्भ में प्रयोगिक आधार पर सीमित क्षेत्रों में होगा तथा प्राप्त किये गये परिचालनात्मक अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ाया जायेगा । राज्य सरकार 3 वर्ष की अवधि में बीमा की यूनिट के रूप में ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचेगी ।

(5) यह भी निर्णय लिया गया है कि अत्यधिक नुकसान को पूरा करने के लिये भारत सरकार तथा राज्य/संघ शासित प्रदेश से 50:50 के आधार पर अंशदान के साथ एक कार्पस कोष का सृजन किया जायेगा ।

(6) केन्द्र सरकार ने उचित समय में आर०के०बी०आई के कार्यान्वयन के लिये एक विशिष्ट संगठन स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। नये ढांचे का सृजन हो जाने पर, भारतीय साधारण बीमा नियम कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करता रहेगा।

प्रेषित प्रति

4—युवक/महिला मंगल दल प्रोत्साहन		3,95,150.00
(क) युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन पर व्यय (जनपद गोण्डा/बलरामपुर)		3,28,582.30
(ख) महिला संगठकों के मानदेय पर व्यय		66,567.70
	योग	3,95,150.00

वित्तीय वर्ष 1999-2000

1—ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता		68,200.00
(क) 16 वर्षीय बालक/बालिकाओं के खेलकूद प्रतियोगिता पर व्यय		8,000.00
(ख) 16 वर्षीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता (जनपद स्तर पर व्यय)		9,200.00
(ग) 16 वर्षीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता पर व्यय, (मण्डल स्तर पर)		5,000.00
2—ग्रामीण खेलकूद (खुली प्रतियोगिता पर व्यय		16,000.00
(16 वि० खं०/1,000 की दर से)		
(ख) जनपद स्तर पर खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता पर व्यय		25,000.00
(ग) प्रदेश स्तर पर खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता पर व्यय		5,000.00
	योग	68,200.00
		32,000.00
2—सेमिनार/संगोष्ठी :–		
(क) 16 विकास खण्ड में 1000/- की दर से व्यय (16×1,000=16,000.00)		16,000.00
(ख) जनपद स्तर पर व्यय		16,000.00
	योग	32,000.00
		2,45,760.00
3—युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन :–		
जनपद की 1039 ग्राम पंचायतों को समान रूप से युवक/महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु उपलब्ध कर दिया गया है ।		2,45,760.00
	योग	2,45,760.00
4—मण्डल स्तर पर ग्रामीण खेलकूद प्रति० पर व्यय		5,600.00

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र०सं०–154 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75–76 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित श्री उबैदुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०–154 का संलग्नक

जनवरी, 1995 से 31 मई, 1999 के मध्य किसी भी ग्राम पंचायत को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी थी । उक्त अवधि में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत न्याय पंचायतों की 14 ग्राम पंचायतों में मात्र चार ग्राम पंचायतों को निम्न प्रकार धनराशि आवंटित की गयी है :––

न्याय पंचायत	ग्राम पंचायत	वर्ष	कार्य	धनराशि
रसूलपुर सादात	कपासी	97-98	स्वच्छता कार्यक्रम	29,460/-
	गोयला	97-98	,, ,,	41,094/-
			महिला काम्पलेक्स	27,268/-
			अन्य स्वच्छता	15,198/-
कुम्हरावां	गुलालपुर	97-98	स्वच्छता शौचालय	29,460/-
	परसहिया	97-98	,, ,,	19,124/-

उपरोक्त धनराशि ग्राम निधि में अन्य योजनाओं की धनराशि के साथ रखी गयी थी । धनराशि का आहरण कार्यवार न करके एक मुश्त किया गया है । जिसमें अन्य कार्य का धन भी सम्मिलित है । उपरोक्त धनराशि से सम्बन्धित कार्य पूर्ण है ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 264 विधान सभा (576)–2001–813 (डी०टी०पी०) ।

1	2	3	4
25	.. ब्राइट इण्डस्ट्रीज, 60. दीपापुर, राजातालाब, वाराणसी	कोलब्रिकेट	08363/07-11-1997
26	.. श्री रानी सती इण्डस्ट्रीज, 61. दीपापुर, राजातालाब, वाराणसी	,, ,,	08388/22-12-1997
27	,, साईंबाबा इण्डस्ट्रीज, 62. दीपापुर, राजातालाब, वाराणसी	,, ,,	08362/07-11-1997
28	.. नेशनल फ्यूल इण्ड० चन्दापुर, उदयपुर, वाराणसी	साफ्टकोक	08682/11-2-1999
29	.. प्रताप फ्यूल्स इण्डस्ट्रीज	,, ,,	08681/11-2-1999
30	.. एस० के० लाइम इण्डस्ट्रीज, छितौनी, लोहता, वाराणसी	लाइम	08553/27-7-1998
31	,, पूर्वान्चल कोल ब्रिकेटिंग प्लान्ट, हरहुआ, वाराणसी	कोलब्रिकेट	07388/11-1-1994
32	,, राधा फ्यूल्स इण्डस्ट्रीज, 506/1. 677. भीटी, राम,० वारा०	,, ,,	07465/11-3-1994
33	.. भोला चूना उद्योग, ग्राम व पो० कैथी, वाराणसी.	चूना	08421/20-2-1998

ह०/-

(के० पी० राय)

महाप्रबन्धक,

जिला उद्योग केन्द्र, वाराणसी ।

कार्यालय : महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, डी–65/149 "ए", लहरतारा, वाराणसी ।

पत्रांक 1365/जि०के (वा०)कोल/1999. जांच/एसटी/दिनांक 31 जुलाई, 1999

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–संबंधित इकाई मै० ....., वाराणसी ।

2–जिलाधिकारी, वाराणसी को उनके पृ० पत्रांक 180/जि०पू०अ०/काल/99, दिनांक जुलाई, 99 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित ।

3–मुख्य महाप्रबन्धक, सेल्स एण्ड मार्केटिंग कोल इण्डिया लि०, 15–पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता ।

4–संयुक्त निदेशक, उद्योग, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।

5–आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ० प्र० (क० मा० अनु० 8) कानपुर ।

6–क्षेत्रीय सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, वाराणसी ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र०सं०–137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 70–71 पर)

संलग्नक–1 (एक)

वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में विभिन्न योजनाओं पर खेल विभाग द्वारा किये गये व्यय का विवरण

योजनायें	1998-99	1999-2000
प्रशिक्षण	1,35,177/-	1,00,000/-
प्रतियोगिता	1,92,915/-	1,00,000/-
आ० सहायता	6,000/-	6,000/-

संलग्नक–II

युवा कल्याण विभाग द्वारा

वित्तीय वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में किये गये व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष 1998-99

1–ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता		**67,5000.00**
(क) जनपद की 166 न्याय पंचायतों में 150/- की दर से व्यय (166×150=24,900.00)		24,900.00
(ख) 16 विकास खण्डों में 1000/- की दर से व्यय (16×1000=16,000.00)		16,000.00
(ग) जनपद स्तर खेलकूद प्रतियोगिता पर व्यय		15,000.00
(घ) मण्डल स्तर पर व्यय		11,600.00
	योग	67,500.00
2—ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता (अनुसूचित जाति)		71,600.00
(क) जनपद के 16 विकास खण्डों में 2,000 रु० की दर से व्यय (16×2000=32,000)		32,000.00
(ख) जनपद स्तर पर व्यय		39,600.00
	योग	71,600.00
3—सेमिनार. संगोष्ठी		59,000.00
(क) जनपद गोण्डा/बलरामपुर के 25 विकास खण्डों में रु० 1,000/- की दर से व्यय (25×1000=25,000)		25,000.00
(ख) गोण्डा में जनपद स्तरीय सेमिनार पर व्यय		18,108.00
(ग) बलरामपुर में जनपद स्तरीय सेमिनार पर व्यय		15,892.00
	योग	59,000.00

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं०–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....7.....पर)

वर्तमान रबी 1999-2000 में फसलों की बुवाई के लिए खाद्य एवं प्रमाणित बीज की व्यवस्था

प्रमाणित बीज

(मात्रा कुन्तल में)

बीज का नाम	रबी 98-99 में वितरण	रबी 99-2000 के लिये व्यवस्था	वितरण
गेहूं	063102	1112774	920481
जौ	7089	7854	6920
चना	9253	11375	10020
मटर	15430	18112	14801
जूट	4693	2059	1937
राई-सरसों	6016	7533	6467
तोरिया	2889	3424	3267
अलसी	46	89	84

उर्वरक

(मात्रा लाख मी०ट०)

नाम उर्वरक	रबी 98-99 में वितरण	रबी 99-2000 के लक्ष्य	उपलब्धता दिनांक 21-11-99 तक	वितरण
यूरिया	25.77	27.0	19.10	7.70
डी०ए०पी०	6.16	7.0	9.04	5.70
एम०ओ०पी०	0.86	0.90	0.97	0.58
एन०पी०के० मिक्सचर	1.03	1.86	1.59	1.06
जिंक सल्फेट	—	0.05	0.052	0.019

प्रदेश में वर्तमान रबी 99-2000 में प्रमाणित बीज एवं उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता कराई गई हैं। उर्वरक आपूर्ति क्रमिक है।

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं०–90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54–55पर)

आदेश

जिलाधिकारी, वाराणसी के पृ०–180/जि०पू०अ०/कोल/99. दिनांक–जुलाई, 1999 के अनुपालन में वाराणसी जनपद की निम्न कोयले का दुरुपयोग करने वाली औद्योगिक इकाईयों का स्थायी पंजीकरण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है :–

क्रमांक	औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद	स्थायी पंजीकरणसं०/दिनांक
1	2	3	4
1	मै० जानकी कोल ट्रेडर्स प्रा०लि०, करखियांव, फूलपुर वाराणसी	कोलब्रिकेट	08234/07-04-1997
2	,, लक्ष्मी फ्यूल्स, 129 करखियांव कोलसला, वाराणसी	,, ,, ,,	07340/09-11-1993
3	,, कमला कोबोनाइजेशन, करखियांव, वाराणसी	,, ,, ,,	07045/29-01-1993
4	,, ओम श्री साई ट्रेडर्स, करखियांव, फूलपुर, वाराणसी	लाइम	08587/16-10-1998
5	,, काशी कृषि कार्बनिक खाद उद्योग, कर० फूलपुर, वारा०	कार्ब० खाद	08615/23-11-1998
6	,, कृषि खाद कम्पनी, करिखयांव, फूलपुर, वाराणसी	,, ,, ,,	08322/08-09-1997
7	,, गोपालिका केम्किल्स, वाराणसी	सोडि०सि०	08221/20-03-1997
8	,, मीना सिलीकेट कम्पनी, वाराणसी	,, ,,	08226/20-03-1997
9	,, सूर्या केमिकल, वाराणसी	,, ,,	08198/06-02-1997
10	,, काशी केमिकल्स, वाराणसी	,, ,,	08191/31-01-1997
11	,, नामिता सिलीकेट कं०, वाराणसी	,, ,,	08223/20-3-1997
12	,, पायल केमिकल, वाराणसी	,, ,,	08219/19-3-1997
13	.. त्रिशला केमिकल्स, वाराणसी	,, ,,	08222/20-3-1997
14	.. जै अम्बे केमिकल इण्डस्ट्रीज, वाराणसी	,, ,,	08197/06-2-1997
15	,, एस० पी० केमिकल्स, वाराणसी	,, ,,	08533/16-6-1998
16	.. ताज केमिकल इण्डस्ट्रीज, वाराणसी	,, ,,	08582/22-9-1998
17	.. एम० एन० कास्टिंग इण्डस्ट्रीज, वाराणसी	रा० ग्लास	08581/22-9-1998
18	.. अभिनव सिलीकेट इण्डस्ट्रीज, वाराणसी	रा०सो० सिलीकेट	08673/03-2-1999
19	.. मयूर लाइम इण्डस्ट्रीज, वाराणसी	लाइम	08707/17-4-1999
20	,, साधू लाइम इण्डस्ट्रीज, वाराणसी	,, ,,	08708/17-4-1999
21	,, एमिनेक्स मर्चेण्ट प्रा० लि०, क्षरीफूलपुर, वाराणसी	कोब्रिकेट	07531//21-7-1994
22	,, एम० जी० एमकान्ट्रेट प्रा० लि०, वाराणसी	,, ,,	07530/21-7-1994
23	.. शिवम फ्यूल्स, 5/6 क्षरी फूलपुर, वाराणसी	,, ,,	07315/19-10-1993
24	.. अरिहन्त इण्डस्ट्रीज, 59. दीपापुर, राजातालाब, वाराणसी	,, ,,	08401/03-01-1998